निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1940 (श0)

संख्या 32 पटना, बुधवार,————

8 अगस्त 2018 (ई0)

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। | 2-15 |
| भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। | --- |
| भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। | --- |
| भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि | --- |
| भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। | --- |
| भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। | --- |
| भाग-4–बिहार अधिनियम | --- |
| भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। | --- |
| भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-9–विज्ञापन | --- |
| भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं | --- |
| भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। | 16-16 |
| पूरक | --- |
| पूरक-क | 17-91 |

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

**पटना उच्च न्यायालय**

————————

**अधिसूचनाएं**

4 मई 2018

**सं0 177 नि0**:––श्री कमरूल होदा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना सिटी को भभुआ स्थित कैमुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
विधु भूषण पाठक, **महानिबंधक।**

*The 4th May, 2018*

**No. 177 A**:--Sri Quamrul Hoda, Additional District and Sessions Judge, Patna City is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of kaimur at Bhabhua.

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

————————

7 मई 2018

**सं0 182 नि0**:––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | जिला का नाम |
|---|---|---|
| **1.** | **2.** | **3.** |
| 1. | श्री अजय शंकर प्रसाद,<br>मुंसिफ, झंझारपुर (मधुबनी)। | मधुबनी |

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
विधु भूषण पाठक, **महानिबंधक।**

*The7th May, 2018*

**No. 182 A**:--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

| Sl. No. | Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship | Name of the District |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Sri Ajay Shankar Prasad,<br>Munsif, Jhanjharpur (Madhubani) | Madhubani |

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

8 मई 2018

**सं0 186 नि0**:––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनकी नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

| क्रम संख्या | पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | जिला का नाम |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | श्री राजेश कुमार दूबे,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, सहरसा | सहरसा |
| 2. | श्री रंजन कुमार सिंह,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, बक्सर | बक्सर |
| 3. | श्री राघवेन्द्र शरण पाण्डेय,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, सिवान | सिवान |
| 4. | श्री योगेश कुमार मिश्रा,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, मंझौल (बेगूसराय) | बेगूसराय |
| 5. | श्री कुमार गिरीन्द्र गौरव,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, हाजीपुर | वैशाली |
| 6. | श्री मनीष कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, दानापुर (पटना) | पटना |
| 7. | श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, औरंगाबाद | औरंगाबाद |
| 8. | श्री सुभाष कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, गया | गया |
| 9. | श्री कमलेश सिंह देऊ,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, सुपौल। | सुपौल |
| 10. | श्री मृत्युंजय कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, मोतिहारी | पूर्वी चम्पारण |
| 11. | श्री कुलदीप श्रीवास्तव,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, रोसड़ा (समस्तीपुर) | समस्तीपुर |
| 12. | श्री सुनील कुमार सिंह,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, शेरघाटी (गया) | गया |
| 13. | श्री दीपक कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) | मुजफ्फरपुर |
| 14. | श्री विनय कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, मधुबनी | मधुबनी |
| 15. | श्री मो0 शाहनवाज आलम,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, पूर्णिया | पूर्णिया |
| 16. | श्री प्रमोद रंजन,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, छपरा | सारण |
| 17. | श्री राजीव कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, बेगूसराय | बेगूसराय |
| 18. | सपना रानी,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, बांका | बांका |
| 19. | सुस्मिता कुमारी,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, पटना सिटी (पटना) | पटना |
| 20. | श्री मनोज कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, बेतिया | प0 चम्पारण |
| 21. | श्री विद्या नन्द सागर,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, बिहारशरीफ | नालन्दा |

| क्रम संख्या | पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | जिला का नाम |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 22. | श्री करूणानीधि प्रसाद आर्य,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, बाढ़ (पटना) | पटना |
| 23. | श्री चंदन कुमार वर्मा,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, डेहरी (रोहतास) | रोहतास |
| 24. | श्री रंजीत कुमार सोनू,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, मोतिहारी | पू0 चम्पारण |
| 25. | हेमा कुमारी,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, हाजीपुर | वैशाली |
| 26. | श्री प्रमोद कुमार शर्मा,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, बगहा (प0 चम्पारण) | प0 चम्पारण |
| 27. | निशा कुमारी,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, बिक्रमगंज (रोहतास) | रोहतास |
| 28. | श्री अफताव आलम,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) | मुजफ्फरपुर |
| 29. | श्री हेमन्त कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) | मुजफ्फरपुर |
| 30. | कुमारी ज्योत्स्ना,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, सिकरहना (पूर्वी चम्पारण) | पू0 चम्पारण |
| 31. | दिव्या अमल,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, पटना | पटना |
| 32. | श्री राजीव रंजन,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, बेगूसराय | बेगूसराय |
| 33. | श्री मो0 मंजूर आलम,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, मधेपुरा | मधेपुरा |
| 34. | श्री दामोदर कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, आरा | भोजपुर |
| 35. | श्री सुशांत कुमार,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, आरा | भोजपुर |
| 36. | श्री उदय प्रताप,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, गोपालगंज | गोपालगंज |

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
बी0एन0 पाण्डेय, **प्रभारी महानिबंधक।**

*The 8th May, 2018*

**No. 186 A** : In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 2nd Class for the district noted against their names in column no. 3 of the table.

| Sl. No. | Name of the Officers with designation and present place of posting | Name of the District |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Sri Rajesh Kumar Dubey,<br>Probationary Munsif,<br>Saharsa. | Saharsa |
| 2. | Sri Ranjan Kumar Singh,<br>Probationary Munsif, Buxar. | Buxar |

| Sl. No. | Name of the Officers with designation and present place of posting | Name of the District |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 3. | Sri Raghwendra Sharan Pandey,<br>Probationary Munsif, Siwan. | Siwan |
| 4. | Sri Yogesh Kumar Mishra,<br>Probationary Munsif,<br>Manjhaul (Begusarai). | Begusarai |
| 5. | Sri Kumar Girindra Gaurav,<br>Probationary Munsif,<br>Hajipur. | Vaishali |
| 6. | Sri Manish Kumar,<br>Probationary Munsif,<br>Danapur (Patna). | Patna |
| 7. | Sri Sushil Kumar Srivastava,<br>Probationary Munsif,<br>Aurangabad. | Aurangabad |
| 8. | Sri Subhash Kumar,<br>Probationary Munsif,<br>Gaya. | Gaya |
| 9. | Sri Kamlesh Singh Deou,<br>Probationary Munsif,<br>Supaul. | Supaul |
| 10. | Sri Mritunjay Kumar,<br>Probationary Munsif,<br>Motihari. | East Champaran |
| 11. | Sri Kuldeep Srivastav,<br>Probationary Munsif,<br>Rosera (Samastipur). | Samastipur |
| 12. | Sri Sunil Kumar Singh,<br>Probationary Munsif,<br>Sherghati (Gaya). | Gaya |
| 13. | Sri Deepak Kumar,<br>Probationary Munsif,<br>Muzaffarpur (East). | Muzaffarpur |
| 14. | Sri Vinay Kumar,<br>Probationary Munsif,<br>Madhubani. | Madhubani |
| 15. | Sri Md. Shahnawaz Alam,<br>Probationary Munsif,<br>Purnea. | Purnea |
| 16. | Sri Pramod Ranjan,<br>Probationary Munsif,<br>Chapra. | Saran |
| 17. | Sri Rajeev Kumar,<br>Probationary Munsif,<br>Begusarai. | Begusarai |

| Sl. No. | Name of the Officers with designation and present place of posting | Name of the District |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 18. | Ms. Sapna Rani,<br>Probationary Munsif,<br>Banka. | Banka |
| 19. | Ms. Susmita Kumari,<br>Probationary Munsif,<br>Patna City (Patna). | Patna |
| 20. | Sri Manoj Kumar,<br>Probationary Munsif,<br>Bettiah. | West Champaran |
| 21. | Sri Vidha Nand Sagar,<br>Probationary Munsif,<br>Biharsharif. | Nalanda |
| 22. | Sri Karunanidhi Prasad Arya,<br>Probationary Munsif,<br>Barh (Patna). | Patna |
| 23. | Sri Chandan Kumar Verma,<br>Probationary Munsif,<br>Dehri (Rohtas). | Rohtas |
| 24. | Sri Raneet Kumar Sonu,<br>Probationary Munsif,<br>Motihari. | East Champaran |
| 25. | Ms. Hema Kumari,<br>Probationary Munsif,<br>Hajipur. | Vaishali |
| 26. | Sri Pramod Kumar Sharma,<br>Probationary Munsif,<br>Bagaha (West Champaran). | West Champaran |
| 27. | Ms. Nisha Kumari,<br>Probationary Munsif,<br>Bikramganj (Rohtas). | Rohtas |
| 28. | Sri Aftab Alam,<br>Probationary Munsif,<br>Muzaffarpur (East). | Muzaffarpur |
| 29. | Sri Hemant Kumar,<br>Probationary Munsif,<br>Muzaffarpur (West). | Muzaffarpur |
| 30. | Ms. Kumari Jyotsna,<br>Probationary Munsif,<br>Sikrahana (East Champaran). | East Champaran |
| 31. | Ms. Divya Amal,<br>Probationary Munsif,<br>Patna. | Patna |

| Sl. No. | Name of the Officers with designation and present place of posting | Name of the District |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 32. | Sri Rajeev Ranjan,<br>Probationary Munsif,<br>Begusarai. | Begusarai |
| 33. | Sri Md. Manzoor Alam,<br>Probationary Munsif,<br>Madhepura. | Madhepura |
| 34. | Sri Damodar Kumar,<br>Probationary Munsif,<br>Ara. | Bhojpur |
| 35. | Sri Sushant Kumar,<br>Probationary Munsif, Ara. | Bhojpur |
| 36. | Sri Uday Pratap,<br>Probationary Munsif,<br>Gopalganj. | Gopalganj |

**By order of the High Court,**
B.N. Pandey, ***Registrar General I/C.***

————————

9 मई 2018

**सं0 187 नि०**:––अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री राजीव कुमार–III, सब जज–सह–ए0सी0जे0एम0, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) की सेवायें, अवर सचिव–सह–उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना को अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए सौंपी जाती है।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
बी0एन0 पाण्डेय, **प्रभारी महानिबंधक।**

*The 9th May, 2018*

**No. 187 A**:--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Rajeev Kumar III, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Motihari (East Champaran) is placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Govt. of Bihar, Patna on his appointment as the Under Secretary-cum-Deputy Legal Remebrancer, in the Law Department, Government of Bihar, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,**
B.N. Pandey, ***Registrar General I/C.***

————————

18 मई 2018

**सं0 198 नि0**:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहॉ पर वे अधिष्ठित रहेगें पर अवर न्यायाधीश/अवर न्यायाधीश–सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानांतरित एवं नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, क्रमांक 2 में उल्लिखित न्यायिक दण्डाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी

के न्यायिक दण्डाधिकारी क शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित) | अ) नये स्थान का पदनाम<br>ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिश्ठित रहने का स्थान<br>स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं। |
|---|---|---|
| 1. | श्री सैयद मो0 फजलूल बारी<br>अवर न्यायाधीश–सह–मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर (मुंगेर) | (अ) अवर न्यायाधीश<br>(ब) सीतामढ़ी<br>(स) सीतामढ़ी |
| 2. | सुश्री कल्पना श्रीवास्तव<br>अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बक्सर (बक्सर) | (अ) अवर न्यायाधीश–सह–अ0मु0न्या0दण्डा0<br>(ब) गया<br>(स) गया |

उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 139 नि0 दिनांक 12.04.2018 जहाँ तक इसका संबंध सुश्री कल्पना श्रीवास्तवा के स्थानांतरण से है को, उपर्युक्त क्रमांक संख्या 2 के हद तक संशोधित किया जाता है।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
विधु भूषण पाठक, **महानिबंधक।**

*The 18th May, 2018*

**No. 198 A**:--The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge/Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officer named below at serial no. 2, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that she shall work in such a way that her disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

| **Sl. No.** | **Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)** | **(a) Designation at the new station**<br>**(b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily**<br>**(c) Name of the Judgeship/place in which transferred** |
|---|---|---|
| **1.** | **2.** | **3.** |
| 1. | Sri Syed Md. Fazlul Bari<br>Sub Judge-cum-C.J.M., Mugner (Munger) | a) Sub Judge<br>b) Sitamarhi<br>c) Sitamarhi |
| 2. | Ms Kalpana Srivastava<br>Sub Judge-cum-A.C.J.M., Buxar (Buxar) | a) Sub Judge-cum-A.C.J.M.<br>b) Gaya<br>c) Gaya |

**Court's notification no. 139 A dated 12.04.2018 so far as it relates to transfer of Ms. Kalpana Srivastava stands modified to the extend as above at sl. no. 2.**

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

18 मई 2018

**सं0 199 नि0**:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट–2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ–4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ–4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ–4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

| **क्रम संख्या** | **पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित** | **अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त किए गये हैं** | **नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारन प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | श्री महेश शुक्ला, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय (लखीसराय)। | अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) लखीसराय स) लखीसराय | अ) लखीसराय मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) लखीसराय मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ |

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
विधु भूषण पाठक, **महानिबंधक।**

*The 18th May, 2018*

**No. 199 A:**--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not, however, be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

| Sl. No. | Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship | a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. | Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sri Mahesh Shukla, J.M. 1st Class, Lakhisarai (Lakhisarai) | a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Lakhisarai c) Lakhisarai | a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Lakhisarai Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Lakhisarai Munsifi. |

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

————————

18 मई 2018

**सं0 200 नि0**:––उच्च न्यायालय, श्री आदित्य पाण्डेय, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ एवं श्री मानवेन्द्र मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिहारशरीफ को मलमास मेला के अवसर पर राजगीर में कैम्प कोर्ट करने के लिए क्रमशः दिनांक 16.05.2018 से 30.05.2018 तक एवं 31.05.2018 से 13.06.2018 तक के लिए प्रतिनियुक्त करता है।

इन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 260 के अन्तर्गत वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी को दी जाने वाली शक्तियॉ भी प्रदान की जाती है।

इन्हें मेला स्थल पर, जिसका निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियॉ भी प्रदान की जाती है।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
विधु भूषण पाठक, **महानिबंधक।**

*The 18th May, 2018*

**No. 200 A :**--The High Court have been pleased to depute Sri Aditya Pandey, S.D.J.M., Biharsharif and Sri Manvendra Mishra, Judicial Magistrate, 1st Class-cum-P.M., J.J.B., Biharsharif for holding camp court during the Malmas Mela at Rajgir for the periods from 16.05.2018 to 30.05.2018 and 31.05.2018 to 13.06.2018 respectively.

They are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of 1st Class to try summarily the cases, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they are authorized to try during the Mela spot.

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

————————

18 मई 2018

**सं0 201 नि0**:––कुमारी ज्योत्सना, प्रशिक्षु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सिकरहना को उनके प्रशिक्षण पूरी होने पर, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में मोतिहारी में स्थानांतरण एवं पदस्थापना किया जाता है, जो की साधारणतः पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी में अधिष्ठित रहेंगे।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
बी0बी0 पाठक, **महानिबंधक।**

*The 18th May, 2018*

**No. 201 A**:--On completion of her training Ms. Kumari Jyotsana, Probationary Civil Judge (Junior Division), Sikrahana is transferred and posted as Judicial Magistrate 2nd Class at Motihari to be stationed ordinarily at Motihari in the Judgeship of East Champaran.

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

———————

18 मई 2018

**सं0 202 नि0**:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट–2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ–4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ–4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ–4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

| **क्रम संख्या** | **पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित** | **अ) नए स्थान का पदनाम**<br>**ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान**<br>**स) जजी जहा नियुक्त किए गये हैं** | **नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ**<br>**अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारन प्रक्रिया)**<br>**ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | श्री वसीम अकरम खान,<br>प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी,<br>सिकरहना (पूर्वी चम्पारण)। | अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि)<br>ब) सिवान<br>स) सिवान | अ) सिवान मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक<br>ब) सिवान मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ |

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
विधु भूषण पाठक, **महानिबंधक।**

*The 18th May, 2018*

**No. 202 A:**---The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not, however, be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

| **Sl. No.** | **Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship** | **a) Designation at the new station.**<br>**b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily.**<br>**c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.** | **Special Power with which the Officer is vested at the new station**<br>**a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure).**<br>**b) Under the provincial small causes Courts Act,1987** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Sri Waseem Akram Khan, J.M. 1st Class, Sikrahana (East Champaran) | a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.)<br>b) Siwan<br>c) Siwan | a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Siwan Munsifi.<br>b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Siwan Munsifi. |

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

————————

19 मई 2018

**सं0 203 नि०**:––अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्रीमती ख्याति सिंह, सब जज–सह–ए0सी0जे0एम0 पटना सिटी (पटना) की सेवायें विधि पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
बी0बी0 पाठक, **महानिबंधक।**

*The 19th May, 2018*

**No. 203 A**:--On being relieved of his present assignment, the services of Smt. Kheyati Singh, Sub Judge-cum-ACJM, Patna City is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for her appointment as Law Officer in Health Department, Government of Bihar, Patna on deputation basis, for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

————————

19 जून 2018

**सं0 211 नि०**:––अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मो0 अजाजुदीन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान की सेवायें बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी

लिमिटेड के तिरहुत एरिया, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
बी0बी0 पाठक, **महानिबंधक।**

*The 19th June, 2018*

**No. 211 A** :---On being relieved of his present assignment, the services of Sri Md. Ajazuddin, Additional District and Sessions Judge, Siwan are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Presiding Officer, Special Court, Tirhut Area, Muzaffarpur under North Bihar Power Distribution Company Limited of Bihar State Power (Holding) Company Limited, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

————————

21 जून 2018

**सं0 216 नि0**:––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | जिला का नाम |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | ऋचा रंजन,<br>परिक्षेमान मुंसिफ, पटना। | पटना |

**उच्च न्यायालय के आदेश से,**
विधु भूषण पाठक, **महानिबंधक।**

*The 21st June 2018*

**No. 216 A**:--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 2nd Class for the District noted against her name in column no. 3 of the table.

| Sl. No. | Name of Officer with designation and present place of posting | Name of the District |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Ms. Richa Ranjan,<br>Probationary Munsif,<br>Patna. | Patna |

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

————————

28 जून 2018

**सं0 223 नि0**:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे तथा स्तंभ 4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

तदोपरान्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को स्तम्भ–5 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ–3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ–5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित) | अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिश्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहॉ नियुक्त किये जाते है। | स्थानांतरण की श्रृंखला | जिला का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री अनिल कुमार मिश्रा, अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मधेपुरा (मधेपुरा) | अ) अवर न्यायाधीश ब) मुंगेर स) मुंगेर | स्थानांतरित श्री एस0एम0एफ0 बारी के स्थान पर | मुंगेर |

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, **महानिबंधक।**

*The 28th June 2018*

**No. 223 A**:--The Judicial officer of the rank of Sub Judge (Civil Judge, Senior Division) named in column no. 2 of the table given below is transferred as Subordinate Judge in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in Column No. 3 and in the chain specified in Column No. 4 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the High Court are pleased to confer upon the Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table, the powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against his name in column no. 5 of the table.

Furthermore, in exercise of the powers conferred under Sub Section (1) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officer is also appointed as Chief Judicial Magistrate for the District noted against his name in column no. 5 of the table and in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 9 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are also pleased to appoint the Judicial Officer named in column-2 of the table as Assistant Sessions Judge for the Session Division noted against his name in column-5 of the table.

| Sl. No. | Name of the Officer with designation and present place of posting (with Judgeship) | (a) Designation at the new station/ place (b) Place where the Officer is to be ordinarily | Chain of transfer | Name of the District and Sessions Division. |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **stationed at (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer** | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| 1. | Sri Anil Kumar Mishra, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Madhepura (Madhepura) | a) Sub Judge b) Munger c) Munger | Vice Sri S.M.F. Bari, since transferred | Munger |

**By order of the High Court,**
B.B. Pathak, ***Registrar General.***

---

**Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya**

---

**Office Order**

***The 12th July 2018***

No. II- स्था०–46 / 2017-2094---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad (letter no. 456 dt. 16.05.2018) power of certificate officer have been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

| Sl. | Name of Officer | Designation | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Fateh Faiyaz | Seniour Deputy Collector, Aurangabad | For Aurangabad Dist. |

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 07/07/2018

By Order,
Sd/-Illegible, *Secretary to Commissioner.*

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 20–571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**

# भाग-9-ख

## निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

_____

No. 1069--- I , Wagisha, D/o Sri Vijay Kumar Sinha, R/o Mohalla C/o Prof. Naryan Prasad Singh, Qtr. No. D/4, Professor Colony Aghoriya Bazar, P.O.- Ramna, P.S. – Kazi Mohammadpur, Distt.- Muzaffarpur, Pin- 842002 declare that according to my educational certificate my name is Wagisha, but from today onwards I will be known as Wagisha Sinha for all future purposes, Affidavit No. 7186, Dated 05-03-2018.

Wagisha.

_____

No. 1079---I, KAUSHAL KUMAR, S/o Shri Narsingh Mahto R/o Vill.-Silhauri, P.O.-Karma, P.S.-Sikandra, Distt.-Jamui, Bihar affirm by Affi. No. 14057 dated 05.07.2018 that my son ABHINAV will be known and identified as ABHINAV ARYA for all purposes.

KAUSHAL KUMAR.

_____

No. 1092---**I, RAJA** S/o Sudhir Kumar Jha, Mishra tola, Gannipur, Muzaffarpur, Bihar declare that both Raja and Raja Kumar Jha are same person and from now ownwards I have changed my name to Raja Kumar Jha for all official purposes. Aff.no. 46 dated 17.07.18.

RAJA.

_____

No. 1093---I, Rahul S/O Anil R/O 8H/8, P.O-Bahadurpur Housing Colony, P.S.-Agamkuan, Patna-800026 declare vide Affd no-10104 Dated 06.06.2018 have changed my name to Rahul Shrivastava for all future purposes.

Rahul.

_____

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 20–571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**

# बिहार गजट

# का

# पूरक(अ0)

# प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 6 / आ0–376 / 2006(खण्ड)सा0प्र0–**10149**
सामान्य प्रशासन विभाग

**संकल्प**
**30 जुलाई 2018**

श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(2007), सम्प्रति निलम्बित के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित आरोप प्राप्त होने पर इसकी प्रारंभिक जाँच विशेष निगरानी इकाई, बिहार के द्वारा की गयी और इसमें पाए गए तथ्यों के आधार पर श्री आनंद एवं उनकी पत्नी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम–1988 की संगत धाराओं के अधीन थाना कांड संख्या–01 / 2018 दिनांक 02.01.2018 दर्ज किया गया है और उनके पत्रांक–04 / 09 / 2018 / वि.नि.इ. / पटना, दिनांक 02.01.2018 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को प्रतिवेदित किया गया।

2. इस मामले की गंभीरता, इसमें निहित नैतिक नीचता और भ्रष्टाचार के आरोप रहने एवं मामले के अनुसंधान अंतर्गत होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(2007) को अखिल भारतीय सेवाएँ, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–3(3) के अधीन तत्कालिक प्रभाव से विभागीय आदेश संख्या–1442 दिनांक 30.01.2018 के द्वारा निलम्बित किया गया।

3. इस मामले में श्री आनंद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–7811 दिनांक 13.06.2018 के द्वारा आरोप पत्र आदि निर्गत कर बचाव बयान माँगा गया था। श्री आनंद से दिनांक 12.07.2018 को बचाव बयान प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

4. इसके अतिरिक्त श्री दीपक आनंद के जिला पदाधिकारी, सारण के पदस्थापन काल में सबलपुर दियारा में आयोजित पतंगोत्सव के अवसर पर हुई नाव दुर्घटना के मामले में कर्त्तव्यहीनता के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित है और उसी जिले में अवैध बालू के व्यापार के मामले में भी विभागीय कार्यवाही संचालित है।

5. श्री आनंद के निलम्बन की प्रथम समीक्षा निलम्बन समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 19.03.2018 की बैठक में की गयी थी। समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 4127 दिनांक 27.03.2018 के द्वारा श्री आनंद के निलम्बन को बरकरार रखा गया।

6. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–3(8) के अधीन श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(2007) के निलम्बन की द्वितीय समीक्षा राज्य निलम्बन समिति द्वारा दिनांक 23.07.2018 को की गयी और श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(बिहार : 2007) के विरूद्ध दर्ज उक्त विशेष निगरानी इकाई कांड की गंभीरता, इसमें भ्रष्टाचार के आरोपों के अंतर्निहित होने और मामले के अनुसंधान अंतर्गत होने की दृष्टि से श्री आनंद के निलम्बन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी।

7. राज्य निलम्बन समीक्षा समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री दीपक आनंद के निलम्बन को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

आदेश :– यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

## जल संसाधन विभाग

———————

## अधिसूचनाएं

**27 अप्रील 2018**

**सं0 22 / नि0सि0(सिवान)11–11 / 2015–984**––श्री दिनेश्वर कुमार सिंह (आई0डी0–4005), तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बनमनखी (पूर्णियाँ) के अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमण्डल, छपरा के पद पर पदस्थापन अवधि के दरम्यान सारण नहर प्रमण्डल, छपरा के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 खरीफ अवधि में बिना प्राक्कलन एवं श्रम शक्ति की स्वीकृति कराये मौसमी मजदूरों को रखकर दायित्वों के सृजन करने संबंधी मामले की जाँच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गयी। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–87, दिनांक 28.09.15 की समीक्षोपरांत प्रतिवेदित अनियमित कृत के बिन्दु पर सहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर विभागीय पत्रांक–1711, दिनांक 08.08.16 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

(i) ये दिनांक 09.08.99 से 25.01.02 तक सारण नहर अवर प्रमंडल, छपरा में पदस्थापित थे।

(ii) वर्ष 2001–02 में खरीफ सिंचाई हेतु मौसमी मजदूरों के भुगतान हेतु प्राक्कलन स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, गंडक योजना, छपरा को समर्पित किया गया था। पुनः प्रमंडल के पत्रांक 05, दिनांक 04.01.02 से प्राक्कलन समर्पित किया गया था। प्राक्कलन सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण भुगतान में विलंब हुआ है।

(iii) ज्ञातव्य हो कि नहरों में जलश्राव कराने हेतु नहर पर अवस्थित HR/CR तथा नहर के देख–रेख के दृष्टिकोण से मौसमी मजदूरों का प्रावधान मुख्य अभियंता, सिवान के प्रत्येक वर्ष के मापदण्ड के अनुसार किया गया था।

(iv) ये दिनांक 25.01.02 को सारण नहर अवर प्रमंडल, छपरा का प्रभार श्री कृष्णदेव प्रसाद, सहायक अभियंता को सौंप दिये। अतः वर्ष 2002–03 में ये उक्त प्रमंडल में पदस्थापित नहीं रहे है।

मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा कहा गया है कि वे दिनांक 09.08.99 से 25.01.02 तक अवर प्रमंडल, छपरा में पदस्थापित रहे है तथा मजदूरों के रखने के संबंध में कहा गया है कि वर्ष 2001–02 में मौसमी मजदूरों के भुगतान हेतु प्राक्कलन समय पर समर्पित किया गया था तथा मुख्य अभियंता द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप तटबंध की देख–रेख तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से मौसमी मजदूरों को रखकर पटवन कार्य कराया गया है। परन्तु प्राक्कलन की स्वीकृति तथा आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित रहा है। श्री सिंह द्वारा उपरोक्त कथन से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्री सिंह के उपरोक्त कथन तथा संचिका में उपलब्ध अभिलेखों से परिलक्षित होता है कि वर्ष 2001–02 में बिना प्राक्कलन एवं श्रम शक्ति की स्वीकृति प्राप्त किये ही इनके द्वारा मौसमी मजदूर रखा गया है। यहाँ तक कि मजदूरों के रखने हेतु किसी भी उच्च पदाधिकारी से अनुमति तक भी प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है तथा वर्ष 2001–02 में बिना अनुमति प्राप्त किये विभागीय नियम के विरूद्ध बगैर प्राक्कलन एवं श्रम शक्ति की स्वीकृति प्राप्त किये ही मौसमी मजदूरों को रखकर अनावश्यक रूप से कुल रू0 59,330 / – (उनसठ हजार तीन सौ तीस) रूपये का सृजन होने में इनकी सहभागिता मानी जा सकती है, जिसके लिए श्री सिंह दोषी है। अतएव सरकार द्वारा श्री सिंह से सरकार को पहुँचाई गयी वित्तीय क्षति रू0 59,330 / – मात्र की वसूली उनके वेतन से किये जाने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड विभागीय अधिसूचना संख्या–288, दिनांक 23.02.2017 द्वारा संसूचित किया गया।

सरकार द्वारा उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह के पत्रांक–220, दिनांक 04.03.2017 द्वारा पुर्नविचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा के पत्रांक–327, दिनांक 12.07.2001 के द्वारा मौसमी मजदूरों का प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा को समर्पित किया गया। जिसे मुख्य अभियंता, सिवान के पत्रांक–1780, दिनांक 06.08.2001 द्वारा अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को समर्पित किया गया। पुनः प्राक्कलन में कतिपय त्रुटियों को सुधार करने के पश्चात प्रमंडलीय कार्यालय के पत्रांक–05, दिनांक 04.01.2002 सारण नहर अंचल, छपरा को समर्पित किया गया।

नहर की देख–रेख करने हेतु मौसमी मजदूरों का नियोजन कनीय अभियंता द्वारा किया जाता है, जिसकी सम्पुष्टि कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा के पत्रांक–2312, दिनांक 05.11.02 से होती है। इससे स्पष्ट होता है कि अवर प्रमंडल पदाधिकारी पर दायित्व सृजन का मामला नहीं बनता है।

साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि सारण नहर प्रमंडल छपरा के अंतर्गत दो अवर प्रमंडलों में दैनिक मौसमी मजदूरों का लंबित भुगतान विलंब से मार्च 2010 में किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) सारण नहर प्रमंडल क्रमांक 1 से 6 तक रूपये 35,598=24

(ii) सारण नहर अवर प्रमंडल, जलालपुर क्रमांक 7 से 10 तक रूपये 23,732=16

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सारण नहर अवर प्रमंडल, छपरा में मौसमी मजदूरों की रकम 35,598=24 के भुगतान में इनका दायित्व सृजन का मामला नहीं बनता है।

उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा रू0 59330=00 की वसूली को निरस्त करने हेतु पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया।

**श्री सिंह के पुनर्विचार अभ्यावेदन की विभागीय समीक्षा :–**

आरोपी श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में कहा गया है कि वर्ष 2001–02 के खरीफ अवधि में रखे गये मौसमी मजदूरों का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–327, दिनांक 12.07.01 से भेजा गया था एवं पुनः सुधारोपरांत उक्त कार्य का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता द्वारा ही अपने पत्रांक–5, दिनांक 04.01.02 से समर्पित किया गया था। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–2312, दिनांक 05.11.02 से स्पष्ट है कि मौसमी मजदूरों का नियोजन कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। अतः श्री सिंह द्वारा दायित्व का सृजन नहीं किया गया है को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि, इनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि "वर्ष 2001–02 में रखे गये मौसमी मजदूरों के भुगतान हेतु प्राक्कलन समय पर समर्पित किया गया था तथा मुख्य अभियंता के द्वारा पूर्व निर्धारित मापदंड के अनुरूप मजदूरों को रखकर खरीफ पटवन कार्य कराया गया है। परन्तु, प्राक्कलन सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृत नहीं होने के कारण भुगतान लंबित रहा है।" इससे स्पष्ट है कि बिना अनुमति प्राप्त किये ही एवं बिना श्रमशक्ति एवं प्राक्कलन स्वीकृति के कनीय अभियंता द्वारा नियोजित मजदूरों से ये भली–भाँति अवगत थे। ऐसी स्थिति में इनका कहना कि इनके द्वारा दायित्व सृजन नहीं किया गया है, उचित नहीं माना जा सकता है।

श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया है कि सारण नहर प्रमंडल, छपरा के अंतर्गत दो अवर प्रमंडलों में रखे गये मौसमी मजदूरों का भुगतान मार्च 2010 में किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत है –

(i) अवर प्रमंडल छपरा क्रमांक 1 से 6 तक रूपये 35598=24

(ii) अवर प्रमंडल जलालपुर क्रमांक 7 से 10 तक रूपये 23732=16

इस प्रकार इनके अधीन सारण नहर अवर प्रमंडल, छपरा में वर्ष 2001–02 में रखे गये मजदूरों का कुल 35598.00 रूपये ही भुगतान किया गया है। जबकि, इनसे कुल 59330.00 रूपये की वसूली का दंड संसूचित किया गया है, जो उचित नहीं है।

उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वर्ष 2001–02 में दिनांक 15.06.01 से 10.10.2001 के बीच अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, छपरा के अधीन क्रमांक 1 से 6 तक कुल 6 अद्द मजदूरों को रखा गया था, जिसकी राशि 35598.00 रूपये है एवं अवर प्रमंडल पदाधिकारी सारण नहर अवर प्रमंडल, जलालपुर के अधीन क्रमांक 7 से 10 तक यानि 4 अद्द मजदूरों को नियोजित किया गया है। जिसकी राशि रूपये 23732=16 रूपये है।

चूँकि श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता वर्ष 2001–02 में दिनांक 25.01.2002 तक ही अवर प्रमंडल, छपरा में कार्यरत रहे है, ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि श्री सिंह द्वारा खरीफ अवधि 2001 में बिना अनुमति के रखे गये 6 अद्द मौसमी मजदूरों जिसकी राशि 35598.00 रूपये है, का दायित्व सृजन किया गया, जिसके लिए इन्हें दोषी माना जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सरकार द्वारा श्री सिंह के पुनर्विलोकन अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य मानते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–288, दिनांक 23.02.17 द्वारा अधिरोपित दंड सरकार को पहुँचाई गयी वित्तीय क्षति रूपये 59,330/– की वसूली में आंशिक संशोधित करते हुए रूपये 35598/– की वसूली का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री दिनेश्वर कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण नहर अवर प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता के पुनर्विलोकन अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य मानते हुए विभागीय अधिसूचना सं०–288, दिनांक 23.02.17 द्वारा अधिरोपित दंड रूपये 59330/– (उनसठ हजार तीन सौ तीस) मात्र की वसूली में आंशिक संशोधन करते हुए रूपये 35598/– (पैंतीस हजार पाँच सौ अनठानवे) मात्र की वसूली उनके वेतन से करने का दंड दिया जाता है एवं संसूचित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

27 अप्रील 2018

**सं० 22/नि०सि०(दर0)–16–14/2011/982**––श्री शम्भू प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता (आई0डी0–4036), पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा के विरूद्ध श्री रामदेव महतो सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त परिवाद के आलोक में मुख्य अभियंता (सिंचाई सृजन) दरभंगा के परिक्षेत्राधीन गोकुल उप वितरणी के वि0दू0–16.319 के बाहर निर्मित सेतु के निर्माण में हुई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–1032 दिनांक–21.09.2012 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प सहपठित ज्ञापांक–299 दिनांक 18.02.2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

**आरोप** :– गोकुल उपवितरणी के वि0दू0 16.319 पर निर्मित सेतु के सेंटर लाइन एवं नहर के सेंटर लाइन के बीच की दूरी 49'6'' है। इस प्रकार एक पथीय सेतु नहर के रेखांकण के बाहर निर्माण कराने के कारण नहर पर आवागमन हेतु एक पथीय सेतु का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। जिससे विभाग को वित्तीय क्षति होगी। संरचना निर्माण में बरती गई लापरवाही एवं विभाग को हुई इस वित्तीय क्षति के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए संबंधित पदाधिकारी दोषी हैं।

**संचालन पदाधिकारी के समक्ष श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव बयान का मुख्य अंश** :–

(i) संरचना का निर्माण अमीनों द्वारा निर्धारित सेंटर लाईन पर कराया गया।

(ii) अन्य निर्माणों की तरह भू–अर्जन की स्थिति एक जैसी होने के कारण नहरों में मिट्टी कार्य को छोड़कर केवल संरचनाओं का कार्य कराया गया एवं नियमित भुगतान प्रमंडल द्वारा कराया गया।

(iii) वर्तमान में इसी संरचना के माध्यम से नहर के किनारे का पानी सड़क के एक तरफ से दुसरे तरफ प्रवाहित होता है क्योंकि नहर के इस हिस्से में सी0डी0 का प्रावधान नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान समय मे निर्मित संरचना उपयोगी है।

**संचालन पदाधिकारी का मंतव्य** :–

भू–अधिपत्य के आधार पर अमीन द्वारा रेखांकण के पश्चात ही स्थल पर कार्य कराया जाता है। भू–अधिपत्य प्राप्ति के बावजूद भू–स्वामियों को भूगतान नहीं होने के कारण मिट्टी के कार्य में प्रबल विरोध के कारण बाधा को देखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा सरकारी जमीन पर संरचना निर्माण करने का निर्णय लिया गया एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति कर लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया गया। इस प्रकार अमीन द्वारा निर्धारित सेंटर लाईन पर संरचना निर्माण कराना एक मात्र विकल्प था। अतएव आरोपित पदाधिकारी प्रतिवेदित आरोप के लिए जिम्मेदार नहीं है।

इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

**जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा** :–

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्न बिन्दू पर श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक–1785 दिनांक 22.08.2016 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा किया गया।

**असहमति के बिन्दू** :–

संरचना के निर्माण कराने से संबंधित उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश तथा अमीनों द्वारा निर्धारित सेंटर लाईन पर ही संरचना का निर्माण कराया गया है, से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतएव साक्ष्य के अभाव में श्री प्रसाद के कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी नहर बन जाने के बाद ही संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए था। ताकि, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के अनुसार नहर के सेंटर लाईन एवं निर्मित सेतु के सेंटर लाईन के बीच 49'6'' की दूरी पायी गई है तथा नहर निर्माण के बाद आवागमन हेतु एक अन्य सेतु का निर्माण कराने की आवश्यकता बतायी गई है। इससे स्पष्ट है कि नहर प्रणाली हेतु निर्मित एक पथीय सेतु की उपयोगिता नहीं रह गयी है। अतएव माना जा सकता है कि उक्त संरचना के निर्माण पर किया गया व्यय निरर्थक है।

श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि सेतु के सेंटर लाईन का निर्धारण विभागीय अमीन द्वारा ही किया गया एवं उसी सेंटर लाईन पर सेतु का निर्माण कराया गया, से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया। श्री प्रसाद का कहना कि कार्य के दौरान वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया एवं प्रति माह अंचल एवं मुख्य अभियंता स्तर पर कार्य की समीक्षा की गई परन्तु किसी भी स्तर पर इस कार्य की पद्धति पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई। उक्त कथन के समर्थन में कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही साथ उड़नदस्ता अंचल के जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि नहर निर्माण के पश्चात आवागमन हेतु एक अन्य सेतु का निर्माण कराना आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त संरचना नहर प्रणाली के लिए उपयोगी नहीं रहा। अतः श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शम्भू प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता (आई0डी0–4036) पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है :–

**(I) तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।**

**(II) एक पथीय सेतु के निर्माण में व्यय की गई राशि की वसूली।**

सरकार के उक्त निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

18 अप्रील 2018

**सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–10/2015–932**––श्री रामविनय सिन्हा (आई0डी0–3574), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी के उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान सी0डब्लू0जे0सी0 सं०–22123/2014 शिवेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में बरती गई अनियमितता सहित अन्य आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०–2272, दिनांक 06.10.15 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोपों को अप्रमाणित पाया। फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए उक्त मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया है एवं उक्त निर्णय श्री रामविनय सिन्हा (आई0डी0–3574), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (निलंबित) मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना को संसूचित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

5 अप्रील 2018

**सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–10/2015–866**–श्री राजेन्द्र प्रसाद (आई0डी0–4561), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान सी0डब्लू0जे0सी0 सं०–22123/2014 शिवेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–1085, दिनांक 13.06.2016 द्वारा श्री प्रसाद से निम्नलिखित आरोपों के लिए आरोप प्रपत्र–'क' के साथ स्पष्टीकरण पूछा गया।

**(i)** सी0डब्लू0जे0सी0 सं०–22123/2014 शिवेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में विभागीय उच्चाधिकारियों के निदेशों एवं स्मार पत्रों के बावजूद आपके द्वारा ससमय तथ्यकथन उपलब्ध नहीं कराने के कारण तथ्यकथन ससमय विभाग को समर्पित नहीं किया जा सका। फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मुख्य सचिव, बिहार, पटना, सचिव, जल संसाधन विभाग, अभियंता प्रमुख (उत्तर) एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर सहित अन्य सात पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 14.09.15 को उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया। जिससे विभाग छवी धुमिल हुई है। यह आपकी उदासीनता, अक्रमन्यता, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी है।

**(ii)** बागमती विस्तारीकरण योजना कार्य से संबंधित श्री नवल किशोर प्रसाद शाही, अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं श्री अवनीश कुमार सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त परिवाद की जाँच उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात विभागीय पत्रांक–1030, दिनांक 02.06.2014 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बिन्दुवार मंतव्य एवं अभिलेखों साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के कारण ससमय विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं हो सका, जो आपकी उदासीनता, अक्रमन्यता कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं M.O.U. में वर्णित कंडिकाओं का अनुपालन नहीं करना दर्शाता है जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी है।

उक्त के आलोक में श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, शिवहर ने अपने पत्रांक–0, दिनांक 13.08.2016 द्वारा विभाग में समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से निम्न बातें कहीं गई हैं :–

**आरोप सं० 1**:– आरोप सं०–1 के संदर्भ में कहना है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं०–22123/2014, शिवेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के रिट याचिका में कुल 11 (ग्यारह) Respondent है। जिसमें कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर का नाम नहीं है। Respondent नहीं रहने के कारण बाढ़ में तथ्यकथन विवरणी तैयार कर प्रतिशपथ पत्र दायर करने का प्रश्न नहीं बनता है।

पुनः आरोप पत्र के साथ अनुलग्नक के पत्रांक–3221, दिनांक 26.12.2014, 1199 दिनांक 24.04.2015, 135 दिनांक 15.05.15 तथा 1468, दिनांक 27.05.2015 आदि में भी बागमती प्रमंडल, शिवहर का नाम नहीं है।

बाद में हमसे पत्राचार के बाद मेरे द्वारा मौखिक एवं लिखित सूचना दे दी गई थी कि उक्त वाद में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर Respondent नहीं है। इससे जो सहयोग की आवश्यकता हो मैं हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इस कार्यालय के पत्रांक–374, दिनांक 04.08.2015 तथा पत्रांक–01 (कैम्प) मुज0 दिनांक 10.08.2015 द्वारा कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर को सूचना प्रेषित की गई थी।

मैं न्यायिक मामले में कभी भी उदासीनता नहीं बरतता हूँ। मेरे उपर पूर्व में भी कभी न्यायिक मामले में उदासीनता का आरोप नहीं लगा है। क्योंकि मैं उक्त मामलों में ससमय अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहा हूँ। अतः मेरे उपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद एवं तथ्य से परे है। इसलिए इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

**आरोप सं० 2**:– आरोप सं०–2 के संदर्भ में कहना है कि विभागीय पत्रांक–1030, दिनांक 02.06.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के कंडिका "2" में अतिरिक्त भुगतान की समीक्षा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल स्तर पर पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश था। इस पूर्ण समीक्षात्मक बैठक के लिए मौखिक रूप से मेरे द्वारा मुख्य अभियंता को स्मारित किया गया था। जब मुख्य अभियंता के पत्रांक–2503, दिनांक

14.09.15 को मुख्य अभियंता कार्यालय बुलाया गया तो मैं अपने सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ अधीक्षण अभियंता सहित सभी संबंधित अभिलेखों के साथ पूर्ण समीक्षा के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय में उपस्थित हुआ और दिनांक 16.09.2015 एवं 17.09.2015 को मुख्य अभियंता के साथ सचिव (प्रावैधिक) ई0 अशोक कुमार सिंह के साथ पूर्ण समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पूर्ण समीक्षा प्रतिवेदन मुख्य अभियंता महोदय द्वारा विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया। इसके पश्चात दिनांक 21.09.2015 को बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल द्वारा समीक्षा के लिए विभाग में उपस्थित होने के लिए दूरभाष द्वारा सभी अभिलेखों के साथ उपस्थित होने को कहा गया। मैं संबंधित अन्य अभियंताओं एवं वांछित अभिलेखों के साथ निर्देशानुसार निर्धारित तिथि एवं समय को पूर्ण समीक्षा में सहयोग के लिए उपस्थित हुआ था।

इस प्रकार अनुरोधपूर्वक कहना है कि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को गहन समीक्षा कर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना था तथा मेरे द्वारा सभी वांछित अभिलेख के साथ पूर्ण सहयोग करना था। जो मेरे द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय को सहयोग किया गया है। अतएव मुझे आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

**आरोप 1**– सी0डब्लू0जे0सी0 सं०–22123/2014 शिवेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में विभागीय निदेश एवं स्मारित करने के बावजूद तथ्यात्मक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने के बावजूद तथ्यात्मक विवरणी ससमय उपलब्ध नहीं कराने के कारण न्यायालय द्वारा विभागीय पदाधिकारी का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का न्याय निर्णय पारित किये जाने से संबंधित है।

श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता द्वारा कहा गया है कि उक्त रीट याचिका में कार्यपालक अभियंता, शिवहर को Respondent नहीं बनाया गया था। इसकी लिखित सूचना पत्रांक–374, दिनांक 04.08.15 तथा एक (1) कैम्प दिनांक 10.08.15 से कार्यपालक अभियंता, रून्नीसैदपुर को देते हुए प्रति मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को दे दी गयी है। इस आरोप के संदर्भ में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त रीट याचिका में तथ्यकथन समर्पित करने हेतु प्रथम बार दिनांक 05.08.2015 को कार्यपालक अभियंता, शिवहर को निदेश दिया गया तथा आरोपी द्वारा दिनांक 04.08.15 एवं दिनांक 10.08.15 को वांछित सूचना यथा केस में वे पार्टी नहीं है। कार्यपालक अभियंता, रून्नीसैदपुर को देते हुए इसकी सूचना अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को दी गयी है तथा यह भी अंकित किया है कि विषयांकित मामले में अगर किसी तथ्य की आवश्यकता महसूस होती है तो कार्यालय से वांछित अभिलेख प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में ससमय तथ्यकथन विवरणी समर्पित नहीं करने के लिए श्री प्रसाद दोषी नहीं है। अतएव आरोप सं०–1 अप्रमाणित होता है।

**आरोप सं० 2**– विभागीय/मुख्य अभियंता के निदेश के अवहेलना करते हुए उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन पर ससमय अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित है।

श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता द्वारा कहा गया है कि विभागीय पत्रांक–1030, दिनांक 02.06.14 के कंडिका–2 में अतिरिक्त भुगतान की समीक्षा मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना के स्तर पर किया जाना था तथा मुख्य अभियंता के पत्रांक–2503, दिनांक 14.09.15 के आलोक में मुख्य अभियंता के कार्यालय में उपस्थित था एवं दिनांक 16.09.15 एवं 17.09.15 को सचिव (प्रावैधिक) के साथ समीक्षा की गयी। इसके पश्चात दिनांक 21.09.15 को बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना के निदेशानुसार सभी अभिलेख के साथ समीक्षा हेतु उपस्थित होकर सहयोग किया गया, को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतीत हो रहा है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्यपालक अभियंता को चुपचाप बैठे रहना था। जबकि इन्हें अनेकों पत्र के माध्यम से वांछित प्रतिवेदन हेतु स्मारित किया गया है।

विभागीय पत्रांक–1030, दिनांक 02.06.14 को मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक–1480, दिनांक 01.07.14 के अन्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के साथ–साथ शिवहर कार्यपालक अभियंता से एक विस्तृत जाँच प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन हेतु स्मारित किया गया। परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा दिनांक 14.09.2015 तक न तो अनुवर्ती कार्रवाई ही की गई और न ही वांछित प्रतिवेदन ही उच्चाधिकारी को उपलब्ध कराया गया। अपने कमियों को छिपाने के लिए उक्त पत्र में उद्धित कि "मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, के स्तर पर समीक्षा किया जाना था को आधार बनाना चाहते है। जिसे उचित नहीं माना जा सकता है। अतएव कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के लिए श्री सिंह दोषी है। अतएव आरोप सं०–2 प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

**"एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"**

उक्त दण्ड श्री राजेन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर को अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

**"एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव स रोक"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

5 अप्रील 2018

**सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–10/2015–865**––श्री धनंजय कुमार सिंह, (आई0डी0–3221), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, सीतामढ़ी को उनके उक्त अंचल में पदस्थापन अवधि के दौरान सी0डब्लू0जे0सी0 सं०–22123/2014 शिवेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–1086, दिनांक 13.06.16 द्वारा श्री सिंह से निम्नलिखित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र–'क' के साथ स्पष्टीकरण पूछा गया।

**(i)** सी0डब्लू0जे0सी0 सं०–22123/2014 शिवेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में विभागीय उच्चाधिकारियों के निदेश एवं स्मार पत्रों के बावजूद श्री सिंह के द्वारा ससमय तथ्यकथन उपलब्ध नहीं कराने के कारण तथ्यकथन ससमय विभाग को समर्पित नहीं किया जा सका। फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मुख्य सचिव, बिहार, पटना, सचिव, जल संसाधन विभाग एवं अभियंता प्रमुख (उत्तर) सहित अन्य आठ पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 14.09.2015 को उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया। जिससे विभाग की छवि धुमिल हुई। यह आपकी उदासीनता अक्रमन्यता कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी है।

**(ii)** बागमती विस्तारीकरण योजना कार्य से संबंधित श्री नवल किशोर प्रसाद शाही, अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यन्वयन समिति एवं श्री अवनीश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त परिवाद की जाँच उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात विभागीय पत्रांक–1030, दिनांक 02.06.2014 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बिन्दुवार मंतव्य एवं अभिलेख साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता कार्यालय के अनेकों पत्राचार के बावजूद ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण ससमय विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं हो सका जो आपकी उदासीनता, अक्रमन्यता, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं M.O.U. वर्णित कंडिकाओं का अनुपालन नहीं करना दर्शाता है जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये हैं।

उक्त के आलोक में श्री सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–268, दिनांक 03.08.16 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कहीं गयी है :–

**(i)** जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–736, दिनांक 24.04.2015 द्वारा बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर को तथ्यात्मक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सीधे निर्देश दिया गया है। मेरे द्वारा विभाग एवं मुख्य अभियंता स्तर से प्राप्त प्रत्येक पत्र पर तथ्यात्मक विवरणी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है एवं इस कार्यालय से भी विभिन्न पत्रों के द्वारा वांछित प्रतिवेदन एवं तथ्यात्मक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–594, दिनांक 20.05.2015 द्वारा कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर को तथ्यात्मक विवरणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–678, दिनांक 02.06.2015 द्वारा निर्देश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर से सम्पर्क स्थापित कर तथ्यात्मक विवरणी अविलंब समर्पित किया जाय। तथ्यविवरणी के अप्राप्त रहने के कारण पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–819, दिनांक 08.07.2015, 887 दिनांक 30.07.2015 द्वारा तीन दिनों के अन्दर तथ्यात्मक विवरणी बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर एवं शिवहर को निर्देश दिया गया।

**(ii)** मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2077, दिनांक 05.08.2015 द्वारा निर्देशित पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर एवं शिवहर को अपने पत्रांक–978 एवं 981 दिनांक 10.08.2015 के द्वारा अंचलीय कार्यालय में बुलाकर तथ्यात्मक विवरणी शीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

**(iii)** मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार मेरे इस कार्यालय के पत्रांक–1009, दिनांक 12.08.2015 के द्वारा बागमती प्रमंडल, शिवहर एवं रून्नीसैदपुर के 24 घंटे के अन्दर तथ्यात्मक विवरणी समर्पित करने का निर्देश दिया गया एवं इसकी सूचना मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर एवं श्री विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दी गई।

**(iv)** कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर द्वारा इस कार्यालय का पत्रांक–708, दिनांक 14.08.2015 से तथ्यकथन विवरणी उपलब्ध कराया जिसे मेरे द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर मुख्य अभियंता कार्यालय में हाथों–हाथ समर्पित कर दिया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि शिवेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में तथ्यात्मक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया जाता रहा है एवं इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी दी गई। विदित हो कि मेरे द्वारा दिनांक 08.07.2015 को प्रभार ग्रहण किया गया एवं दिनांक 14.08.2015 को तथ्यात्मक विवरणी प्रतिहस्ताक्षरित कर मुख्य अभियंता कार्यालय को समर्पित कर दिया गया। अतएव आरोप से मुक्त किया जाय।

श्री सिंह, अधीक्षण अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

**आरोप सं०–1** के संदर्भ में श्री सिंह द्वारा कहा गया है कि दिनांक 08.07.2015 को अंचल का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात पत्रांक–819, दिनांक 08.07.15 पत्रांक–887, दिनांक 30.07.2015 पत्रांक–978, एवं 981 दिनांक 10.08.15 से तथ्यकथन विवरणी हेतु स्मारित किया गया। अंततः मुख्य अभियंता के पत्रांक–1009 दिनांक 12.08.2015 के आलोक में कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–708, दिनांक 14.08.15 से प्राप्त तथ्यकथन विवरणी को दिनांक 14.08.15 को ही हाथों–हाथ मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार देखा जाय तो श्री सिंह के द्वारा प्रभार ग्रहण की तिथि 08.07.15 से

12.08.15 अर्थात लगभग एक माह के अन्दर कार्यपालक अभियंता से वांछित तथ्य कथन प्राप्त कर मुख्य अभियंता को समर्पित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में ससमय तथ्यकथन विवरणी उपलब्ध नहीं कराने के लिए श्री सिंह को दोषी नहीं माना गया है। अतएव आरोप सं०–1 प्रमाणित होता है।

**आरोप सं०–2** इस आरोप के संदर्भ में आरोपी श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण में न तो कोई तथ्य उद्धित किया गया है और न ही कोई साक्ष्य दिया गया है। जिससे परिलक्षित हो सके की विभागीय एवं मुख्य अभियंता से उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया हो एवं स्मारित करने के बावजूद कोई कार्रवाई ही की गई हो। जो इनकी उदासीनता, कर्त्तव्यहीनता तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के लिए दोषी माना गया है। अतएव आरोप सं०–2 प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री धनंजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

**"एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"**

उक्त दण्ड श्री धनंजय कुमार सिंह, (आई0डी0–3221), अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, मुजफ्फरपुर को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

**"एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

5 मार्च 2018

**सं0 22 / नि0सि0(सिवान)–11–07 / 2013**–790––श्री सुदामा राय (आई0डी0–3273), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर, गोपालगंज के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1412 दिनांक 18.07.16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी –

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर गोपालगंज के अन्तर्गत पतहरा छरकी स्थल पर बाढ़ 2011 की अवधि में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों की जाँच उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गई। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत जुलाई 2011 में NC Crating की स्थिति निम्नवत पायी गयी –

| अवधि | पाली पंजी के अनुसार | प्रतिवेदित प्रपत्र–24 के अनुसार | स्थल लेखा से निर्गत | स्वीकृत प्रपत्र 24 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.11 से 15.07.11 | 12074 | 12342 | 26119 | 3606 |
| 16.07.11 से 31.07.11 | 18275 | 17965 | | 14505 |
| **कुल** | **30349** | **30307** | **26119** | **18111** |

उक्त पाली पंजी में अंकित NC की सं० 30349 की तुलना में स्थल लेखा से 26119 अद्द निर्गत किया गया है तथा प्रपत्र 24 में 30307 प्रतिवेदित किया गया है जिसके विरूद्ध 18111 अद्द NC खपत की विभागीय स्वीकृति की गयी है। अतः कराये गये कार्य एवं लेखा में एकरूपता नहीं रहने से कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में निम्नलिखित आरोप बनता है।

**आरोप सं०–1** – माह जुलाई 2011 से अक्टूबर 2011 के बीच कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में पाली रजिस्टर बेतार संवाद से प्रेषित प्रतिदिन कराये गये कार्य कि विवरणी (NR) तथा प्रपत्र–24 में अंकित मात्रा में भिन्नता पाये जाने से अनियमितता परिलक्षित है।

**आरोप सं०–2**– प्रतिवेदित प्रपत्र–24 स्थल लेखा एवं स्वीकृत प्रपत्र 24 में एकरूपता नहीं रहने के कारण कराये गये कार्य संदिग्ध की श्रेणी में होने से अधिकाई भुगतान परिलक्षित होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं०–1 पूर्णतः प्रमाणित एवं आरोप सं०–2 को आंशिक प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री राय से विभागीय पत्रांक–481, दिनांक 07.04.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। जिसके आलोक में श्री राय द्वारा समर्पित बचाव बयान का मुख्य अंश निम्नवत है –

**आरोप 1**–जुलाई 2011 के द्वितीय पक्ष में पाली पंजी की तिथि वार एवं पालीवार NC की पुर्नगणना की गयी तो 18275 न होकर 18233 आती है। परिशिष्ट–3 से स्पष्ट है कि भूलवश आरोप में पालीवार के अनुसार 18275 अद्द अंकित हो गया है। इस प्रकार जुलाई 2011 के प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को जोड़ने पर (12074+18233)=30307 हो जाता है। जो प्रतिवेदित प्रपत्र–24 में अंकित 30307 के समरूप है।

ज्ञातव्य हो कि पूर्व में दिये गणना में दिनांक 30 एवं 31 जुलाई में भूल हो गयी थी जो निम्नवत है–

दिनांक 30.07.11 को तृतीय पाली में 80 अद्द क्रेटिंग द्वितीय पाली में अंकित हो गया था परन्तु उक्त तिथि की कुल कार्य 2706 में कोई अन्तर नहीं है।

दिनांक 31.07.11 को भी तृतीय पाली में प्रयुक्त 95 अद्द NC भूलवश द्वितीय पाली में अंकित हो गया था परन्तु कुल योग 1693 अद्द में कोई अन्तर नहीं है।

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा भूलवश परिगणित पालीवार NC की संख्या अंकित की गयी है जो निम्नवत है।

दिनांक 30.07.11 को 1218, 1126 एवं 327 = 2671

दिनांक 31.07.11 को 528, 881 एवं 404 = 1813

फलस्वरूप विभाग ने दिनांक 30.07.11 को 35 अद्द कम जबकि 31.07.11 को 120 अद्द अधिक दर्शाया गया है जिसे पुनः पाली रजिस्टर से गणना की जा सकती है।

अंतिम जाँच प्रतिवेदन का चौथा पारा सत्य से परे है। क्योंकि आरोप के कॉलम–2 एवं 3 से स्पष्ट है कि पाली पंजी में दर्ज NC से प्रपत्र 24 में प्रतिवेदित NC प्रथम पक्ष में अधिक एवं द्वितीय पक्ष में कम है।

संचालन पदाधिकारी के मत कि प्रतिदिन NC करने के क्रम में Tempering पर पत्राचार करना चाहिये था जबकि समय–समय पर कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर किया गया है के संदर्भ में कहा गया है कि पाली पंजी से गणना कर ई0 सुरेश नारायण NR भेजते थे तो उनके द्वारा पत्राचार का प्रश्न नहीं है। पाली पंजी पर उनका हस्ताक्षर नहीं बल्कि पाली प्रभारी कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर है पाली पंजी एवं प्रपत्र–24 तथा पाली पंजी एवं बेतार संवाद (NR) में अंकित NC की मात्रा में पायी गयी भिन्नता के आलोक में अनियमितता का मुख्य कारण पाली पंजी से त्रुटिपूर्ण गणना कर NR किया जाना है।

उनके स्तर पर उक्त NR को मूल रूप से प्रमंडल के अन्य स्थलों से प्राप्त NR के साथ स्थलवार केवल समेकित कर विभाग को भेजा गया था क्योंकि प्रत्येक स्थल पाली पंजी में त्रुटिपूर्ण गणना कर NR किये जाने में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। अतः आरोप–1 की कथित अनियमितता में भी उनकी कोई भूमिका नहीं है।

**आरोप 2**– स्थल लेखा में माह जुलाई में कुल निर्गत NC की संख्या 26119 के संदर्भ में कहा गया है कि उक्त निर्गत NC का आधार लेखा अवधि 09.07.11 से 31.07.11 है जो आरोप अवधि 01.07.11 से 31.07.11 के आलोक में अधूरा है।

आरोपी द्वारा कहा गया है कि मुख्य अभियंता के पत्रांक 01 दिनांक 07.07.11 के आलोक में श्री गंगाधर दत्त, कनीय अभियंता दिनांक 09.07.11 एवं श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता दिनांक 01.08.11 से सामग्री प्रभारी के रूप में कार्यरत हुए। इसके पूर्व लेखा का संधारण प्रभारी कनीय अभियंता, श्री सुरेश नारायण एवं सहायक अभियंता श्री राम नारायण सिंह के जिम्मे था। दिनांक 08.07.11 तक श्री सुरेश नारायण द्वारा संवेदक को कुल 4702 NC तथा 09.07.11 से 31.07.11 तक श्री दत्ता द्वारा कुल 26119 NC निर्गत किये गये। अर्थात जुलाई 11 में कुल 4702+26119=30821 अद्द NC निर्गत किये गयें

जहाँ तक प्रपत्र–24 में प्रतिवेदित 30307 अद्द NC के बदले विभाग द्वारा मात्र 18111 अदद की औपबंधिक स्वीकृति है। इस संबंध में मुख्य अभियंता से कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात विभाग के विचार करने का अभिमत अपने पत्रांक–679, दिनांक 12.03.12 में व्यक्त किया है। अतः इसे अंतिम रूप से अस्वीकृत मानते हुए दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

इस प्रकार स्थल लेखा से निर्गत 30821 अद्द NC से कम NC प्रपत्र–24 में (30307) प्रतिवेदित हुआ है तथा अवशेष NC 514 अद्द संवेदक के पास है तथा प्रतिवेदित प्रपत्र–24 में 30307 अद्द NC के विरूद्ध कुल 18111 अद्द की औपबंधिक स्वीकृति है तथा अवशेष मात्रा की स्वीकृति मुख्य अभियंता के Clearance की प्रत्याशा में विभाग के पास विचाराधीन है। उपरोक्त से प्रतिवेदित प्रपत्र–24 स्थल लेखा एवं स्वीकृत प्रपत्र–24 में एकरूपता प्रमाणित है। इसलिए कराये गये कार्य संदिग्ध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है एवं अनियमित भुगतान की स्थिति स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः आरोप–2 प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में आरोप पत्र में अंकित विवरणी निम्नवत रूप से परिवर्तित हो जाता है।

पाली पंजी में अंकित 30349/30367 की तुलना में 30821 अद्द NC निर्गत किया जाना कतई आपत्तिजनक नहीं है। क्योंकि अवशेष NC संवेदक के पास है।

प्रपत्र–24 में 30307 प्रतिवेदित NC के विरूद्ध 18119 NC की खपत की औपबंधिक स्वीकृति विभाग द्वारा दी गयी है और अवशेष प्रतिवेदित NC की स्वीकृति मुख्य अभियंता, सिवान के Clearance प्राप्त होने तक विभाग के स्तर पर लंबित रखा गया है। अतः कराये गये कार्य एवं लेखा में एकरूपता प्रमाणित है। फलतः बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में कोई आरोप नहीं बनता है।

मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित तथ्य पाये गये–

**आरोप–1**:– जो वर्ष 2011 बाढ़ अवधि में पतहरा छड़की बाँध पर जुलाई 2011 से अक्टूबर 2011 की बीच कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक के तहत जुलाई 2011 में कराये गये नाईलॉन क्रेटिंग कार्य का पाली रजिस्टर बेतार संवाद (NR) तथा प्रपत्र–24 में अंकित मात्रा में भिन्नता पाये जाने के कारण कार्य में अनियमितता बरतने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा मंतव्य दिया गया है कि दैनिक प्रगति प्रतिवेदन (NR) एवं प्रपत्र–24 में वास्तविक रूप से कराये गये कार्य के आधार पर स्थल लेखा से निर्गत सामग्री से संबंधित लेखा से मिलान करते हुए तैयार किया जाना है। जब स्थल लेखा से 26119 अद्द नाईलॉन क्रेट (NC) निर्गत हुआ है तब कार्य भी इतना ही होना चाहिये था। लेखा से निर्गत नाईलॉन क्रेट कम है। कार्य ज्यादा दिखलाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि Flood Fighting में बोगस कार्य दिखाने का प्रयास किया गया है। अतः आरोप –1 प्रमाणित होता है।

इस आरोप के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में 1 जुलाई 2011 से 31 जुलाई 2011 तक में स्थल लेखा से निर्गत नाईलॉन क्रेट के संदर्भ में कहा गया है कि मुख्य अभियंता, सिवान के पत्रांक–01 शिविर पतहरा दिनांक 07.07.11 के अनुपालन में दिनांक 09.07.11 से श्री गंगाधर दत्त, कनीय अभियंता सामग्री के प्रभारी के रूप में कार्यरत हुए। इसके पूर्व लेखा का संधारण का प्रभार श्री सुरेश नारायण, कनीय अभियंता के रूप में एवं श्री राम नारायण सिंह, सहायक अभियंता के जिम्मे था। साथ ही आरोपी द्वारा वर्तमान कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज के पत्रांक–831, दिनांक 10.12.16 से प्राप्त करायी गयी लेखा की प्रति संलग्न करते हुए कहा गया है कि दिनांक 01.07.11 से 08.07.11 तक श्री नारायण, तत्कालीन लेखा प्रभारी कनीय अभियंता द्वारा संवेदक को कुल 4702 अद्द NC तथा दिनांक 09.07.11 से 31.07.11 तक श्री दत्ता, तत्कालीन लेखा प्रभारी कनीय अभियंता द्वारा संवेदक को कुल 26119 अद्द NC निर्गत किये गये अर्थात 1 जुलाई 2011 से 31 जुलाई 2011 में कुल (4702+26119)=30821 अद्द NC निर्गत किये गये है। आरोपी के उक्त कथन की पुष्टि कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज के पत्रांक–831, दिनांक 1.12.16 के साथ संलग्न अवर प्रमंडल, सारंगपुर के माह जुलाई 2011 के स्थल लेखा से 01.07.2011 से 31.07.2011 तक कुल 30821 अद्द NC निर्गत किये जाने से होती है।

आरोप पत्र में उल्लेखित पाली रजिस्टर में अंकित NC के संदर्भ में कहा गया है कि जुलाई के प्रथम पाक्षिक (दिनांक 01.07.11 से 15.07.11) तक कुल 12074 अद्द तथा द्वितीय पाक्षिक दिनांक 16.07.11 से 31.07.11 तक में कुल 18233 अद्द NC का कार्य पाली रजिस्टर में दर्ज है। आरोपी द्वारा दिये गये विवरणी का मिलान पाली पंजी से करने पर दिनांक 16.07.11 से 31.07.11 के बीच कराये गये NC कार्य की कुल सं० 18339 अद्द होता है। इस प्रकार देखा जाय तो पाली पंजी के अनुसार दिनांक 01.07.11 से 31.07.11 के बीच कुल 12074+18339=30413 अद्द NC का कार्य पाली पंजी के अनुसार कराया जाना परिलक्षित होता है तथा प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित प्रपत्र–24 में कुल 30307 अद्द NC का कार्य दिखाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्थल लेखा से 30821 अद्द NC निर्गत है। पाली पंजी में NC कार्य की मात्रा 30413 अद्द दर्ज है तथा प्रतिवेदित प्रपत्र–24 में 30307 अद्द NC अंकित है। शेष (30821–30307)=514 अद्द NC संवेदक के पास होना बताया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्थल पर उपलब्ध NC के अन्तर्गत ही कार्य कराया जाना परिलक्षित है। ऐसी स्थिति में अनियमितता का प्रयास करने का मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। परन्तु 514 अद्द NC जो संवेदक से वसूलनीय है के संदर्भ में आरोपी द्वारा कोई तथ्य नहीं दिया गया है। इससे 514 अद्द NC का दुरूपयोग होना परिलक्षित होता है। जिसके लिए इन्हें दोषी माना जा सकता है। साथ ही साथ लेखाओं का सही ढ़ग से संधारण नहीं करने के लिए भी दोषी माना जा सकता है।

**आरोप–2** :– प्रतिवेदित प्रपत्र–24 स्थल लेखा एवं स्वीकृत प्रपत्र–24 में एकरूपता नहीं रहने के कारण कराये गये कार्य संदिग्ध की श्रेणी में होने से अधिकाई भुगतान होने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रपत्र–24 के अनुसार 18111 अद्द NC के भुगतान की स्वीकृति दिये जाने के कारण अधिकाई भुगतान वास्तविक रूप से नहीं होना बताया गया है। परन्तु आरोपी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन प्रपत्र–24 को स्वीकार कर यदि स्वीकृति दी जाती तो अधिकाई व्यय हो जाता के आधार पर अधिकाई व्यय करने का प्रयास किये जाने के लिये दोषी माना गया है।

आरोपी द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा में इस आरोप के संदर्भ में कहा गया है कि प्रपत्र–24 में प्रतिवेदित 30307 NC के बदले विभाग द्वारा मात्र 18111 अदद की औपबंधिक स्वीकृति दी गयी है तथा शेष के लिये मुख्य अभियंता से कतिपय बिन्दुओं पर Clarification प्राप्त के पश्चात विभाग ने विचार करने का अभिमत अपने पत्रांक–679, दिनांक 12.03.12 में अंकित किया है। विभागीय पत्रांक–679, दिनांक 12.03.12 के कंडिका–2 से स्पष्ट होता है कि दिनांक 01.07.11 से 31.08.11 के बीच कराये गये कार्यों का कुल 411.314 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा कंडिका–3 के अनुसार कुल 120.178 लाख को स्थगित रखा गया है। जिस पर सम्यक स्पष्टीकरण मुख्य अभियंता, सिवान से प्राप्त होने पर विचार किया जाना अंकित है। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 7.9.0 में उक्त विभागीय पत्र के कंडिका –4 एवं 5 के आलोक में उड़नदस्ता द्वारा मंतव्य दिया गया है कि लंबित भुगतान के समय पूरे बाढ़ अवधि के लिये वांछित सुधार कर भुगतान सुनिश्चित किया जाना श्रेष्कर होगा।

परन्तु संचालन पदाधिकारी का मंतव्य कि प्रतिवेदित प्रपत्र–24 में 30307 अद्द NC के विरूद्व विभाग द्वारा कुल 18111 अद्द का ही दिये गये स्वीकृति के आलोक में अधिकाई भुगतान होने का मामला बनता प्रतीत नहीं होता है, को स्वीकार योग्य माना जा सकता है। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य कि आरोपी द्वारा प्रपत्र–24 में NC का कराये गये कार्य (स्वीकृति प्रपत्र–24–18111 अद्द NC) से अधिक प्रतिवेदित कर अधिकाई भुगतान करने का प्रयास किया गया है से एक

सीमा तक सहमत हुआ जा सकता है। क्योंकि स्थल लेखा से निर्गत NC प्रपत्र–24 में प्रतिवेदित NC की सं० एवं पाली पंजी में दर्ज NC की सं० में एकरूपता नहीं है। अतएव आरोप–2 आंशिक रूप से प्रमाणित माना जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप–1 यथा लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों को सही ढ़ग से संधारण नहीं करने एवं संवेदक को 514 अद्द अधिक दिये गये NC की वसूली की दिशा में कार्रवाई नहीं करने तथा आरोप–2, यथा आलोच्य कार्य में अधिकाई व्यय करने का प्रयास किये जाने के आरोप को प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुदामा राय, कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया –

**"कालमान वेतन में तीन वेतन प्रक्रम पर दो वर्षों के लिए अवनति"**

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुदामा राय (आई0डी0–3273), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा, शिविर गोपालगंज को निम्न दण्ड देते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है:–

**"कालमान वेतन में तीन वेतन प्रक्रम पर दो वर्षों के लिए अवनति"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

23 मार्च 2018

**सं0 22 / नि0सि0(सिवान)–11–07 / 2013**–789––श्री राम नारायण प्रसाद सिंह (आई0डी0–जे–9311), तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1411 दिनांक 18.07.16 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी –

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर गोपालगंज के अन्तर्गत पतहरा छरकी स्थल पर बाढ़ 2011 की अवधि में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों की जाँच उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गई। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत जुलाई 2011 में NC Crating की स्थिति निम्नवत पायी गयी –

| अवधि | पाली पंजी के अनुसार | प्रतिवेदित प्रपत्र–24 के अनुसार | स्थल लेखा से निर्गत | स्वीकृत प्रपत्र 24 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.11 से 15.07.11 | 12074 | 12342 | 26119 | 3606 |
| 16.07.11 से 31.07.11 | 18275 | 17965 | | 14505 |
| **कुल** | **30349** | **30307** | **26119** | **18111** |

उक्त पाली पंजी में अंकित NC की सं० 30349 की तुलना में स्थल लेखा से 26119 अद्द निर्गत किया गया है तथा प्रपत्र 24 में 30307 प्रतिवेदित किया गया है जिसके विरूद्ध 18111 अद्द NC खपत की विभागीय स्वीकृति की गयी है। अतः कराये गये कार्य एवं लेखा में एकरूपता नहीं रहने से कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में निम्नलिखित आरोप बनता है।

**आरोप सं०–1** – माह जुलाई 2011 से अक्टूबर 2011 के बीच कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में पाली रजिस्टर बेतार संवाद से प्रेषित प्रतिदिन कराये गये कार्य कि विवरणी (NR) तथा प्रपत्र–24 में अंकित मात्रा में भिन्नता पाये जाने से अनियमितता परिलक्षित है।

**आरोप सं०–2**– प्रतिवेदित प्रपत्र–24 स्थल लेखा एवं स्वीकृत प्रपत्र 24 में एकरूपता नहीं रहने के कारण कराये गये कार्य संदिग्ध की श्रेणी में होने से अधिकाई भुगतान परिलक्षित होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं०–1 पूर्णतः प्रमाणित एवं आरोप सं०–2 को आंशिक प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–478, दिनांक 06.04.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव बयान में आरोप को बिहार पेंशन नियमावली 43(बी), सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय तथा अन्य अभिलेखों को संलग्न करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संधारणीय नहीं होने की बात कही गई।

मामले की समीक्षा में पाया गया कि श्री राम नारायण सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, दिनांक 30.07.11 को ही सेवानिवृत हो चुके हैं। इनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र में आरोप वर्ष 2011–12 से संबंधित है। आरोप पत्र का गठन दिनांक 30.06.16 को किया गया है। इस प्रकार श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत कालबाधित है।

उक्त के आलोक में सरकार द्वारा श्री राम नारायण प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत कालबाधित होने के कारण समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम नारायण प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत को आरोपमुक्त करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

23 मार्च 2018

**सं0 22 / नि0सि0(ल0सिं0)–05–04 / 2015–782**––श्री परमेश्वर बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, गया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, समस्तीपुर के विरूद्ध नलकूप प्रमंडल, गया के उनके पदस्थापन काल में किए गए भ्रष्टाचार अनुशासनहीनता, निधि दुर्विनियोग, वित्तीय अनियमितता, कार्य निर्वहन में निष्फलता, आदेश का उल्लंघन, पद का दुरूपयोग आदि आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिए गए निर्णय के आलोक में इनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2699, दिनांक 18.12.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री कुमार जयंत प्रसाद, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के पत्रांक–673 दिनांक 05.11.16 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत सरकार के स्तर पर लिए गए निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होकर प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–2550, दिनांक 13.12.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री परमेश्वर बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, गया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया जिसमें निम्न तथ्यों को प्रस्तुत किया गया –

(1) लघु जल संसाधन विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, छपरा के विरूद्ध गठित है जबकि वे उस समय कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, छपरा के पद पर पदस्थापित नहीं रहे है। आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में जिन आरोपों का वर्णन है उससे संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है जो आरोपों को सम्पुष्ट करते हों, इसलिए प्रपत्र–'क' में गठित सभी आरोप साक्ष्य आधारित नहीं है एवं मनगढ़ंत है।

(2) लघु जल संसाधन विभाग द्वारा गठित प्रपत्र–'क' की विश्वसनीयता संदेहास्पद है क्योंकि तत्कालीन परियोजना संयोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए निरीक्षण प्रतिवेदन पर परियोजना संयोजक का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

(3) वित्तीय वर्ष 2009–10 में नाबार्ड फेज–11 की योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध मात्र 7.92 प्रतिशत भुगतान का स्मरण नहीं है।

(4) प्राप्त आवंटन के विरूद्ध असफल राजकीय नलकूप के स्थान पर प्रतिस्थानी नलकूप का बोरिंग कराए जाने के पश्चात जलश्राव निर्धारित मानदण्ड $150m^3/hour$ से कम पाए जाने के कारण एकरारनामा के शर्त के अनुसार भुगतान नहीं होने के फलस्वरूप आवंटन की पूरी की पूरी राशि का प्रत्यार्पण स्वभाविक है।

(5) कार्यहित में उनके द्वारा अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किए गए जिसका समायोजन महालेखाकार द्वारा मासिक रोकड़ लेखा पारित कर, कर दिया गया है।

(6) अप्राप्त मासिक रोकड़ लेखा एवं आर0एफ0 51 की स्थिति नलकूप प्रमंडल गया की अन्य प्रमंडलों से अच्छी है।

(7) कार्यपालक अभियंता द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन का उत्तर प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता को भेजा गया है। नाबार्ड फेज–11 का प्रतिपूर्ति विपत्र, परियोजना संयोजक नलकूप प्रभाग के कार्यालय में समर्पित किया जाता रहा है।

(8) निर्गत पंजी संधारण के लिए कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार नहीं होते।

(9) उनके द्वारा अगस्त 2010 के बाद माँग पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने का आरोप निराधार है।

(10) नलकूप प्रमंडल, गया के पदस्थापन काल में समीक्षात्मक बैठकों में अनुपस्थिति के स्पष्टीकरण का जवाब अधीक्षण अभियंता / मुख्य अभियंता को समर्पित कर दिया गया।

(11) अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण नहीं करने का आरोप निराधार है।

श्री परमेश्वर बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, गया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों के संदर्भ में लघु जल संसाधन विभाग से विभागीय मंतव्य की मांग की गयी। लघु जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंतव्य एवं श्री बैठा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तुत तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत निम्न तथ्य पाए गए :–

(1) यह सही है कि श्री परमेश्वर बैठा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र उनके नलकूप प्रमंडल, गया के पदस्थापन काल से संबंधित है एवं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव मात्र एक लिपिकीय भूल मानी जा सकती है क्योंकि श्री बैठा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में उनके गया पदस्थापन से संबंधित आरोपों का ही उल्लेख किया गया है एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसी आरोप पत्र को अनुमोदित किया गया है।

(2) परियोजना संयोजक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर परियोजना संयोजक का हस्ताक्षर अंकित है तथा उनके पत्रांक–917, दिनांक 02.06.11 द्वारा आरोप पत्र एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है। विभाग द्वारा श्री बैठा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में परियोजना संयोजक द्वारा प्रेषित आरोपों को ही अन्तर्विष्ट किया गया है।

(3) वित्तीय वर्ष 2009–10 में नाबार्ड फेज–11 की योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध मात्र 7.92 प्रतिशत भुगतान करने की बात को आरोपित पदाधिकारी द्वारा पूर्व में ही उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 09.09.2011 में स्वीकार कर लिया गया है।

(4) निविदा के निष्पादन में जमानत की राशि अंकित नहीं किए जाने के भूल को भी कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 09.09.2011 द्वारा स्वीकार किया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा पूर्व में ही स्वीकार किया गया है कि नलकूप व मिट्टी का कार्य कराया गया जबकि ड्रेसिंग का कार्य सम्पन्न नहीं हो सका।

(5) आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अस्थायी अग्रिम के समायोजन के बिना ही पुनः अग्रिम दिया जाता रहा। साथ ही पूर्व से लंबित अग्रिमों के समायोजन की जवाबदेही भी वर्तमान में कार्यरत पदाधिकारी की होती है।

(6) आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि आर0एफ0–51 अप्राप्त दिखाया गया है।

(7) आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

(8) बिहार लोक निर्माण विभाग की संहिता के नियम–30 के तहत प्रमण्डलान्र्गत प्रबंधन की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की ही होती है। अतः इस संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(9) आरोपित पदाधिकारी द्वारा जाँच की लंबी प्रक्रिया एवं अपने विभिन्न स्पष्टीकरणों में कभी भी बचाव का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। जिससे उनके विरूद्ध आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

(10) विभिन्न बैठकों में यदि किसी कारणवश कार्यपालक अभियंता उपस्थित नहीं हो सके तो उन्हें प्रतिवेदन के साथ किसी अन्य पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

(11) आरोपित पदाधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप की पुष्टि होती है।

उपर्युक्त पाए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध लघु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में श्री परमेश्वर बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, गया द्वारा बचाव का अभिलेखीय अथवा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की पुष्टि होती है। श्री परमेश्वर बैठा ने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में उल्लेख किया है कि प्रपत्र–क में गठित आरोप कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, छपरा से संबंधित है जबकि वे उस समय नलकूप प्रमंडल गया में पदस्थापित थे। इस संबंध में लघु जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंतव्य में इसे स्पष्ट किया गया है कि वस्तुतः प्रपत्र–'क' में गठित आरोप कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, गया से ही संबंधित है। किन्तु लिपिकीय भूल के कारण कार्यपालक अभियंता, नलकूलप प्रमंडल, छपरा अंकित हो गया है।

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आरोपों के परिप्रेक्ष्य में बिन्दुवार मंतव्य गठित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि श्री बैठा के विरूद्ध जो भी आरोप गठित किए गए है उसको अप्रमाणित करने वाले साक्ष्य श्री बैठा के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में संलग्न नहीं है। इसलिए प्रपत्र–'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

फलस्वरूप उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री परमेश्वर बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, गया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, समस्तीपुर को "तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड देने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

उक्त निर्णीत दण्ड पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में श्री परमेश्वर बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, गया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, समस्तीपुर को निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है :–

**"तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"।**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

19 मार्च 2018

**सं0 22 / नि0सि0(मुज0)–06–07 / 2011–763**––श्री लाल झा (आई0डी0–1975) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान एजेण्डा सं०–107 / 17 के तहत बागमती बायाँ तटबंध के पचनौर स्थल के 45.10 कि0मी0 से 45.60 कि0मी0 के बीच कटाव निरोधक कार्य स्थल का निरीक्षण विभागीय मंत्री के द्वारा किया गया। स्थल निरीक्षण में उक्त कार्यों में प्रयुक्त ईंटों की नमूनों की जाँच गवेषण संस्थान खगौल से करायी गयी। जाँचोपरांत ईंट के दोनों नमूनों का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ निर्धारित विशिष्टि से कम पाया गया। उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री झा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई –

**आरोप सं० 1**:– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन एजेण्डा सं०–107 / 17 के तहत पचनौर स्थल पर **(बागमती बायाँ तटबंध के 45.10 कि0मी0 से 45.60कि0मी0 के बीच)** पर कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्यों

का स्थल निरीक्षण विभागीय मंत्री के द्वारा किया गया। स्थल निरीक्षण में उक्त कार्यों में प्रयुक्त ईंटों के नमूनों की जाँच ग्वेषण संस्थान, खगौल से करायी गयी। जाँचोपरांत ईंट के दोनों नमूनों का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ क्रमशः 36.06kg/cm$^2$ एवं 06. 83kg/cm$^2$ पाया गया जो निर्धारित विशिष्टि से 100kg/cm$^2$ से काफी कम है स्थल निरीक्षण के दौरान विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये गये ईंटों को बदलने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा सभी खराब ईंटों का बिना बदले हुए ही कार्य पूर्ण होने की सूचना दे दी गयी, जो कार्य के प्रति आपकी घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। इस प्रकार आपके द्वारा निजी स्वार्थ हेतु संवेदक के मिलीभगत से कार्य में अत्यन्त घटिया ईंटों का उपयोग किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि कार्य में व्यवहृत कुल ईटों की संख्या–3.25 लाख के अनुसार नियमानुसार मानक जाँच हेतु लगभग 90 अद्द नमूनों के जाँचफल के औसत परिणाम के आधार पर गुणदोष का आकलन उचित होता। मात्र दो अदद नमूनों के जाँच के आधार पर गुणदोष का आकलन में लगभग 2% की ही संभावना है। अतः मात्र दो ईंटों के Compressive Strength सही नहीं पाये जाने के आरोप के लिए श्री झा, को दोषी नहीं माना जा सकता है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत 90 अदद ईटों में नमूनों का औसत के विरूद्ध मात्र 02 अद्द ईंटों का नमूना लेकर उसे मानक से काफी कम पाये जाने के आरोप को न्यायसंगत नहीं मानते हुए श्री झा को दोषमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था। किन्तु उक्त के क्रम में अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना द्वारा श्री झा के विरूद्ध पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही में वर्णित आरोप के समरूप ही कुछ नये तथ्यों एवं साक्ष्य के साथ आरोप एवं दो नये आरोप साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। जिसकी पूर्ण समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री झा के विरूद्ध नये सिरे से विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०–2012, दिनांक 18.12.14 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में विहित रीति से नये सिरे से निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई–

**आरोप 1**– माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–13385/12 दायर किया गया। कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल रून्नीसैदपुर (सीतामढ़ी) द्वारा समय पर प्रतिशपथ पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर नहीं करने के कारण माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा ओरल आर्डर दिनांक 02.08.12 को पारित किया गया।

**आरोप 2**– कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर (सीतामढ़ी) के पत्रांक–473, दिनांक 02.05.2013 द्वारा पारित तार्किक आदेश से स्पष्ट है कि इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित ओरल न्यायादेश दिनांक 02.08.2012 के अनुपालन में निर्धारित अवधि के बाद काफी विलंब से दिनांक 02.05.2013 को तार्किक आदेश पारित किया गया। जिसके कारण अवमानना का मामला बना।

**आरोप 3**–मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी के अन्तर्गत बाढ़ वर्ष 2011 के पूर्व एजेण्डा संख्या–107/17 के तहत बागमती बायाँ तटबंध के 45.10 कि0मी0 से 45.60कि0मी0 के बीच पचनौर खरका स्थल पर कटाव निरोधक कार्य (क्रेटेड ब्रीक एप्रोन के क्षतिग्रस्त भाग में NC बेस बनाकर क्रेटेड ब्रीक से मरम्मति) के निचले लेयर में प्रयुक्त ईंटों के 25 प्रतिशत अर्थात कार्य में प्रयुक्त कुल ईंटों की संख्या का 12.5प्रतिशत ईंट गुणवता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये गये। इस प्रकार कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराकर संवेदक को आर्थिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया।

श्री झा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित अपने बचाव बयान में मुख्य रूप से निम्न बातें कहीं गयी हैं –

**आरोप सं० 1**– उक्त वाद की सूचना मेरे द्वारा बेतार संवाद सं०–5370, दिनांक 01.08.2012 के माध्यम से मुख्य अभियंजा, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को प्राप्त होने एवं अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, बागमतीनगर, सीतामढ़ी के पत्रांक–986, दिनांक 16.08.12 द्वारा उन्हें दिनांक 25.08.12 को उपलब्ध कराने का लिखित बयान समर्पित किया गया है। इसा वाद में दिनांक 2.8.12 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है पारित आदेश में विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं करने संबंधी किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है। इस मामले में मुझे याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं थी। यदि मुझे मौखिक निर्देश भी मिलता तो न्यायालय से याचिका प्राप्त कर दिनांक 2.8.12 के पूर्व प्रतिशपथ पत्र दायर करना संभव नहीं था। इस आरोप के लिए मैं दोषी नहीं हूँ।

**आरोप सं० 2**–सी0डब्लू0जे0सी0 सं०–13385/2012 के दायर होने की सूचना मुझे दिनांक 25.08.12 को मिली तत्पश्चात AAG-3 से सम्पर्क कर याचिका की प्रति प्राप्त की गई एवं दिनांक 02.11.2012 को तथ्य विवरणी अपने नियंत्रण पदाधिकारी को समर्पित किया गया। मुख्य अभियंता के स्तर से अनुमोदित तथ्य विवरणी दिनांक 13.12.2012 को AAG-3 को समर्पित किया गया। उस तिथि तक उन्हें इस वाद में न्याय निर्णय पारित होने की सूचना प्राप्त नहीं थी। दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में उन्हें न्याय निर्णय पारित होने की सूचना प्राप्त हुई। उनके द्वारा विपत्र भुगतान स्थगित होने का सकारण सूचना वादी को उनके पत्रांक–66, दिनांक 17.1.13 को दिया गया साथ ही कहा गया कि विभागीय निदेश प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा। इस पत्र की प्रति के साथ माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.15 को विभाग को भी उपलब्ध कराया गया। इन्हें अभियंता प्रमुख उत्तर द्वारा तार्किक आदेश अपने स्तर से निर्गत करने का निदेश दिनांक 08.04.2013 को प्राप्त हुआ। तार्किक आदेश के संबंध में उचित जानकारी नहीं रहने के कारण निजी अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 02.05.2013 को तार्किक आदेश पारित किया गया। वादी द्वारा जून 2013 के अंतिम सप्ताह में अवमाननावाद दाखिल किये जाने की सूचना की गयी। तार्किक आदेश में विलंब के लिए विभाग द्वारा विलम्ब से निर्णय लिया गया है।

**आरोप सं० 3**– मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर सीतामढ़ी के अन्तर्गत बाढ़ 2011 के पूर्व पचनौर खरका स्थल पर कटाव निरोधक कार्य के अन्तर्गत क्रेटेड ब्रीक से कराये गये कार्य की गुणवत्ता के संबंध में विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त अन्वीक्षण दल द्वारा की गयी टिप्पणी को मात्र अवलोकन के आधार पर दर्ज किये जाने, संदेहास्पद एवं साक्ष्य पर आधारित नहीं होने के कारण अनियमित बताया गया है।

स्थल पर कुल 292 ब्रीक क्रेट का कार्य कराया गया। 21 अद्द ब्रीक क्रेट के 25 प्रतिशत की गुणवत्ता ही विवादित होने की संभावना बतायी गयी है अर्थात कुल कार्य के 1.80प्रतिशत भाग की गुणवत्ता ही खराब होने की संभावना व्यक्त की गयी है। विधिवत जाँचफल पर आधारित नहीं रहने के कारण इस प्रकार की टिप्पणी को भी नियम विरूद्ध बताया गया है। यदि संवेदक को लाभ पहुँचाने की मंशा होती तो क्षतिग्रस्त क्रेटों प्राप्त कुल 11,016 अद्द ईटों को कार्य में लगाकर इसके विरूद्ध संवेदक के विपत्र से कुल 39685.00 रूपये की कटौती नहीं की गई होती।

संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री झा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निम्न बाते मुख्य रूप से कही गयी हैं :–

**आरोप सं० 1**– इस वाद में दिनांक 02.08.12 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। पारित आदेश में विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं करने संबंधित किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है। इस मामले में श्री झा को याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं थी। यदि उन्हें मौखिक निदेश भी मिलता तो न्यायालय से याचिका प्राप्त कर दिनांक 02.08.12 के पूर्व प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना संभव नहीं था। अतएव आरोप–1 श्री झा के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

**आरोप सं० 2**– दिनांक 02.08.12 को पारित आदेश के आलोक में इन्हें आदेश की प्रति की तिथि यानि 11.01.2013 से तीन माह के अन्दर अर्थात 10.04.13 के पूर्व कराये गये कार्य के आलोक में वादी (संवेदक) के विपत्र की जाँच कर अनुमान्य विपत्र की राशि का भुगतान सुनिश्चित करना था या भुगतान अनुमान्य नहीं होने पर विशिष्टि कारण के साथ उन्हें संसूचित करना था। कार्यपालक अभियंता श्री झा का यह कर्त्तव्य था कि एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप मान्य कार्य के विपत्र की जाँचित राशि की अधियाचना ससमय विभाग से करते हुए भुगतान करते या भुगतेय नहीं होने की स्थिति में निहित शर्तों के साथ बताते हुए संवेदक को संसूचित करते।

कार्यपालक अभियंता श्री झा के पत्रांक–66, दिनांक 17.01.2013 द्वारा संवेदक को लिखा गया पत्र एवं दिनांक 02.05.2013 को विलंब से निर्गत तार्किक आदेश न्याय निर्णय के निदेश को पुष्टि करने में विफल रहा है। जबकि आरोपित पदाधिकारी श्री झा विपत्र की अनुमान्यता निर्धारण के लिये सक्षम थे। यदि इन्हें पदाधिकारियों का निदेश अपेक्षित था तो उचित तथ्य सामग्रियों के साथ अनुमोदन प्राप्त कर तदुनासार कार्रवाई करना चाहिये था। परन्तु इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। अतएव विलंब से तार्किक आदेश निर्गत करने के लिए श्री झा जवाबदेह है। अतएव आरोप सं०–02 श्री झा पर प्रमाणित होता है।

**आरोप सं० 3**– दिनांक 17.10.13 को अभियंता प्रमुख (उत्तर) की अध्यक्षता में गढित 5(पाँच) सदस्यीय समिति द्वारा समीक्षोपरांत ब्रीक क्रेटिंग कार्य में 25 प्रतिशत खराब ईट का प्रयोग मानते हुए कुल कार्य का 12.50प्रतिशत ईंट विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने के कारण इनको भुगतान योग्य नहीं मानने का निर्णय लिया गया है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा अनुवेक्षण दल के अध्यक्ष द्वारा की गयी टिप्पणीयों से असहमति प्रकट की गयी है। हलांकि उनकी विभिन्न तिथियों में की गयी टिप्पणियों का प्रतिकार ससमय नहीं किया गया। अपितु उनकी टिप्पणी के अनुकूल अपने अधीनस्थों को निदेश दिया जाता रहा है। निचली लेयर में अन्वीक्षण दल द्वारा पुराने ईंटों के टुकड़े लगाये जाने का उल्लेख किया गया है। ईंट के टुकड़े को मात्र अवलोकन से ही टुकड़ा प्रमाणित किया जा सकता है।

अनुवीक्षण दल द्वारा कार्य के प्रारंभ से अंत तक क्रमिक रूप में अन्वेषण किया गया है एवं गुणवत्ता के संदर्भ में उचित गुणवत्ता होने की पुष्टि नहीं की गयी है। उक्त स्थिति में आरोपी पदाधिकारी श्री झा का कथन मान्य नहीं है कि कुछ नमूनों की उचित गुणवत्ता में पाये जाने के आधार पर कार्य के सभी ईंट अच्छे ही होंगे। ऐसा आवश्यक नहीं है क्योंकि अध्यक्ष अनुवीक्षण दल के साथ–साथ कार्यपालक अभियंता द्वारा भी विभिन्न तिथियों में स्थल पर खराब ईंटों को अस्वीकार कर लगातार इन्हें स्थल से हटाने का निदेश दिया जाता रहा है। अतएव आर्थिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किये जाने संबंधित इनकी मंशा नहीं रही है। परन्तु कार्य स्थल पर खराब ईंट को लगाने का प्रयास किया गया है। अतएव आरोप सं०–3 का अंश प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप सं०–1 अप्रमाणित आरोप सं०–2 प्रमाणित एवं आरोप सं०–3 में संवेदक को आर्थिक लाभ पहुँचाने की मंशा को अप्रमाणित किन्तु इसी आरोप का अंश की कार्य स्थल पर खराब ईंट को लगाने का आरोप प्रमाणित पाया गया एवं उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री झा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से विभागीय पत्रांक–248, दिनांक 08.02.16 से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री झा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–01, दिनांक 15.04.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कहीं गई हैं –

**आरोप सं० 1** के संबंध में संचालन पदाधिकारी ने उनके विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया है। जिसकी विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए विभाग द्वारा भी उक्त आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है। जिसके लिए मैं आभारी हूँ। अतएव आरोप सं०–1 प्रमाणित नहीं होता है।

**आरोप सं० 2** के संबंध में इनके द्वारा कहा गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय से पारित ओरल आर्डर की सत्यापित प्रति दिनांक 11.01.13 को स्वयं प्राप्त कर विभागीय संयुक्त सचिव को उसी दिन हाथों–हाथ प्राप्त करा दिये थे। न्याय निर्णय

के अनुसार तीन माह के अन्दर अनुमान्य राशि का भुगतान किया जाना था। न्याय निर्णय की प्रति पत्रांक–66, दिनांक 17.01.13 प्राप्त करने के लगभग तीन माह वाद अभियंता प्रमुख (उत्तर) के पत्रांक–615, दिनांक 23.03.2013 के आलोक मुख्य अभियंता का पत्रांक–870, दिनांक 29.03.13 उन्हें दिनांक 08.04.2013 को प्राप्त हुआ जिसमें अनुमान्य भुगतेय राशि निर्णय के बदले विषयांकित मामले में विभागीय निगरानी जाँच प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष प्रतिक्षित रहने स्मरण कराते हुए प्रमंडल स्तर से केवल तार्किक आदेश पारित करने का आदेश दिया गया था। निदेश के अनुपालन में उन्होंने तार्किक आदेश पारित कर पत्रांक–473, दिनांक 02.05.2013 द्वारा आदेश की प्रति विशेष दूत के माध्यम से वादी को हस्तगत करायी गयी है। इसलिए उनके विरूद्ध विलंब से तार्किक आदेश पारित करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

**आरोप सं० 3** के संबंध में इनके द्वारा कहा गया है कि इसके पूर्व विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी ने उन्हें आरोप मुक्त किया गया है। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए सरकार के स्तर से ही उक्त जाँच को न्यायसंगत मानते हुए उन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया। इनका कहना की पूर्व में जिस आरोप के लिए उन्हें आरोप मुक्त किया गया है। पुनः उसी आधार पर विभागीय कार्यवाही का संचालन किया जाना स्थापित नियमों के विरूद्ध है।

श्री झा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये हैं :–

श्री झा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में स्वीकार किया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति उन्हें दिनांक 11.01.2013 को प्राप्त हो चुकी थी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में तार्किक आदेश पारित करते हुए तीन महीने के अन्दर संवेदक को की जाने वाले भुगतेय राशि के संबंध में निर्णय लिया जाना था। किन्तु उनके द्वारा दिनांक 02.05.2013 को तार्किक आदेश पारित किया गया। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के उपरांत चार महीनें बाद तार्किक आदेश पारित किया गया। इसलिए श्री झा पर आरोप सं०–02 प्रमाणित होता है।

आरोप सं०–3 के संबंध में श्री झा का कहना है कि पूर्व में जिस आरोप (निम्न विशिष्टि के ईंट का उपयोग करने) के लिये उन्हें मुक्त किया जा चुका था। पुनः इसी आरोपों के लिए दुबारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जो स्थापित नियमों के विरूद्ध है। यह सत्य है कि माननीय मंत्री महोदय के स्थल निरीक्षण के दौरान कार्य स्थल से दो ईंट का नमूना संग्रहित किया गया था। जिसकी जाँच खगौल, ग्वेषण संस्थान पटना से करायी गयी। जाँच दोनों ईंट के नमूनों का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ मानक से कम पाया गया। किन्तु संचालन पदाधिकारी का मंतव्य था कि कार्य में 3.25लाख ईंटों में मात्र 2 ईंटों के नमूनों की गुणवत्ता की जाँच करायी गयी। जो CSGC Specification Volume-2 की कंडिका 6.1.3.2 के विपरीत है। फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री झा के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना द्वारा इन अभियंताओं के विरूद्ध जो प्रपत्र–"क" गठित किया गया उसमें साक्ष्य के रूप में दिनांक 17.10.2013 को विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न की गई। समिति की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न की गई। समिति की बैठक की कार्यवाही में यह अंकित है कि पूर्व में लिये गये दो ईटों के नमूनों की गुणवत्ता जाँच एवं श्री एस0पी0 चौधरी, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख (विशेष जाँच दल सं०–3) के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आकलित किया गया कि क्रेटों में लगने वाला ईंट में से 12.5 प्रतिशत ईंट खराब गुणवत्ता के थे। समिति की बैठक की कार्यवाही ही बाद के विभागीय कार्यवाही के संचालन का आधार है। दिनांक 17.10.2013 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न निरीक्षणों में ईंट की गुणवत्ता पर टिप्पणी की जाती रही है। कई निरीक्षणों में इस बात का उल्लेख है कि कार्य में खराब गुणवत्ता का ईंट लगाया जा रहा है। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि कार्य में निम्न विशिष्टि के ईंट का उपयोग हुआ है। अतएव आरोप सं०–3 का अंश यथा निम्न विशिष्टि के ईंट का उपयोग करने का आरोप प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री झा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को निम्न दंड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :–

**" 10(दस) प्रतिशत पेंशन से कटौती 5 वर्षों के लिए"**

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति प्राप्त है।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री लाल झा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, 401A रामश्याम इन्कलेब, नेहरू नगर, पाटिलपुत्रा कॉलोनी, पटना–800013को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

**" 10(दस) प्रतिशत पेंशन से कटौती 5 वर्षों के लिए"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

19 मार्च 2018

**सं0 22 / नि0सि0(मुज0)–06–07 / 2011–764**––श्री निवास प्रसाद (आई0डी0–जे–8150) तत्कालीन सहायक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान एजेण्डा सं०–107 / 17 के तहत बागमती बायाँ तटबंध के पचनौर स्थल के 45.10 कि0मी0 से 45.60 कि0मी0 के बीच कटाव निरोधक कार्य स्थल का निरीक्षण विभागीय मंत्री के द्वारा किया गया। स्थल निरीक्षण में उक्त कार्य में प्रयुक्त ईंटों की नमूनों की जाँच गवेषण संस्थान खगौल से करायी गयी। जाँचोपरांत ईंट के दोनों नमूनों का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ निर्धारित विशिष्टि से कम पाया

गया। उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०–817, दिनांक 23.07.2012 द्वारा निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई –

**आरोप सं० 1**:– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन एजेण्डा सं०–107/17 के तहत पचनौर स्थल पर (बागमती बायाँ तटबंध के 45.10 कि0मी0 से 45.60कि0मी0 के बीच) पर कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्यों का स्थल निरीक्षण विभागीय मंत्री के द्वारा किया गया। स्थल निरीक्षण में उक्त कार्यों में प्रयुक्त ईंटों के नमूनों की जाँच ग्वेषण संस्थान, खगौल से करायी गयी। जाँचोपरांत ईंट के दोनों नमूनों का कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ 36.06$kg/cm^2$ एवं 06.83$kg/cm^2$ पाया गया जो निर्धारित विशिष्टि से 100$kg/cm^2$ से काफी कम है स्थल निरीक्षण के दौरान विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये गये ईंटों को बदलने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा सभी खराब ईंटों का बिना बदले हुए ही कार्य पूर्ण होने की सूचना दे दी गयी, जो कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। इस प्रकार आपके द्वारा निजी स्वार्थ हेतु संवेदक के मिलीभगत कार्य में अत्यन्त घटिया ईंटों का उपयोग किया गया जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये हैं।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि कार्य में व्यवहृत कुल ईटों की संख्या–3.25 लाख के अनुसार नियमानुसार मानक जाँच हेतु लगभग 90 अद्द नमूनों के जाँचफल के औसत परिणाम के आधार पर गुणदोष का आकलन उचित होता। मात्र दो अदद नमूनों की जाँच के आधार पर गुणदोष का आकलन में 2% की ही संभावना है। अतः मात्र दो ईंटों के Compressive Strength सही नहीं पाये जाने के आरोप के लिए श्री प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता को दोषी नहीं माना जा सकता है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत 90 अदद ईटों के नमूनों का औसत के विरूद्ध मात्र 02 अद्द ईंटो का नमूना लेकर उसे मानक से काफी कम पाये जाने के आरोप को न्यायसंगत नहीं मानते हुए श्री प्रसाद को दोषमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था। किन्तु उक्त के क्रम में अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही में वर्णित आरोप के समरूप ही कुछ नये तथ्यों एवं साक्ष्य के साथ आरोप प्राप्त हुए जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक संख्या–2013, दिनांक 18.12.14 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से नये सिरे से निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

**आरोप सं० 1**–मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी के अन्तर्गत बाढ़ वर्ष 2011 के पूर्व एजेण्डा संख्या–107/17 के तहत बागमती दाँये तटबंध के 45.10 कि0मी0 से 45.60कि0मी0 के बीच पचनौर खरका स्थल पर कटाव निरोधक कार्य (क्रेटेड ब्रीक एप्रोन के क्षतिग्रस्त भाग में NC बेस बनाकर क्रेटेड ब्रीक से मरम्मति) के निचले लेयर में प्रयुक्त ईंटों के 25 प्रतिशत अर्थात कार्य में प्रयुक्त कुल ईंटों की संख्या का 12.5 प्रतिशत ईंट गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये गये। इस प्रकार कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराकर संवेदक को आर्थिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया।

श्री प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित अपने बचाव बयान में मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी है।

**आरोप सं० 1**– आरोप के संबंध में श्री प्रसाद, सहायक अभियंता ने अनुवीक्षण दल द्वारा विभिन्न तिथियों को किये गये निरीक्षण के दौरान दी गयी अभियुक्ति का जिक्र करते हुए श्री प्रसाद द्वारा कहा गया है कि दिनांक 18.05.2011 को निरीक्षण के दौरान क्रेट में 25 प्रतिशत ईंट नहीं किये जाने परन्तु दिनांक 17.06.2011 के निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त तिथि को क्रेट में 25 प्रतिशत ईंट खराब होने की संभावना प्रकट किये जाने का बिना किसी जाँच ऐजेंसी के जाँच फल आधारित नहीं होने के कारण इसे नियमानुकूल नहीं माना गया है। गुणवत्ता की कमी एक विशेष भाग में पाये जाने पर भी इस पूरे कार्य में समान रूप से माने जाने को विरोधाभाषी बताया गया है।

श्री प्रसाद, सहायक अभियंता द्वारा कहा गया है कि स्थल पर कुल 292 ब्रीक क्रेट का कार्य कराया गया। जिसके 21 अद्द ब्रीक क्रेट के 25 प्रतिशत की गुणवत्ता ही विवादित होने की संभावना बताई गई है अर्थात कुल कार्य के 1.80प्रतिशत भाग की गुणवत्ता खराब होने की संभावना व्यक्त की गयी है विधिवत जाँचफल पर आधारित नहीं रहने के कारण इस प्रकार की टिप्पणी को भी नियम विरूद्ध बताया गया है। उपरोक्त कारणों से इन्होंने मिथ्या एवं प्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य नहीं रहने के कारण आरोप मुक्त करने का अनुरोध श्री प्रसाद द्वारा किया गया है।

संचालन पदाधिकारी वे अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद, सहायक अभियंता के विरूद्ध मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी है :–

आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्य एवं श्री प्रसाद के बचाव बयान के साथ संलग्न दस्तावेज से ज्ञात होता है कि बागमती दायाँ तटबंध के 45.10 कि0मी0 से 45.60कि0मी0 के बीच पचनौर खरका स्थल पर बाढ 2011 के पूर्व कटाव निरोधक कार्य की स्वीकृति ही गयी थी। इसमें क्रेटेड ब्रीक का कार्य करना था। कार्य की एकरारित राशि रू0 22,25,830/– एवं प्रारंभ की तिथि 19.02.2011 थी। इस कार्य के लिए विभाग के स्तर से अन्वीक्षण दल के अध्यक्ष के रूप में श्री एस0पी0 चौधरी, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख प्रतिनियुक्त थे।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्वीक्षण दल सं०–03 के पत्रांक–01 दिनांक 16.03.2011 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 13.03.11 को प्रथम निरीक्षण के दौरान कार्य के प्रारम्भिक स्थिति में होने एवं गुणवत्ता

संतोषजनक होने की अभियुक्ति दर्ज की गयी है। हालांकि अग्रसारण पत्र में गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा जाँच कराकर अगले निरीक्षण के समय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। द्वितीय निरीक्षण दिनांक 01.04.11 को किया गया है। जिसमें अध्यक्ष द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संतोषप्रद होने परन्तु अग्रसारण पत्र में गुण नियंत्रण का जाँच फल उपलब्ध नहीं कराये जाने का उल्लेख है।

तृतीय निरीक्षण, दिनांक 20.04.2011 को किया गया है। ईंट का नमूना समक्ष नहीं लिये जाने के कारण निर्धारित गुणवत्ता की पुष्टि संभव नहीं होने का उल्लेख है। हालांकि मोटे तौर पर कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक बताई गयी है। इसी आशय का उल्लेख अध्यक्ष अनुवीक्षण दल–3 के अग्रसारण पत्र सं०–04, दिनांक 24.04.11 में भी किया गया है।

चतुर्थ निरीक्षण दिनांक 18.05.2011 को किया गया है। जिसमें कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं पाया गया है। अधिकांश ईट विशिष्टि के अनुरूप नहीं रहने एवं खराब पाये जाने संबंधी अभियुक्ति उल्लेखित है दिनांक 18.05.11 को एक क्रेट खोले जाने पर पाया गया कि सभी खराब ईंट को नहीं बदला गया है। नीचे का लेयर पानी में डूबे रहने के कारण उसका जाँच संभव नहीं हो पाया। इसमें यह भी उल्लेखित है कि संवेदक एवं स्थल प्रभारी सहायक अभियंता द्वारा बताये गये सुधार किये गये क्रेट की ही जाँच की गयी थी।

दिनांक 17.10.2013 को अभियंता प्रमुख (उत्तर) की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा समीक्षोपरांत नीचली लेयर में 25 प्रतिशत खराब ईंटों का प्रयोग मानते हुए कुल कार्य का 12½ प्रतिशत ईट विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने के कारण इनको भुगतान योग्य नहीं मानने का निर्णय लिया गया है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा अन्वीक्षण दल के अध्यक्ष द्वारा की गयी टिप्पणीयों से असहमति प्रकट की गयी है। हालांकि उनके विभिन्न तिथियों में की गयी टिप्पणीयों का प्रतिकार ससमय नहीं किया अपितु उनकी टिप्पणी के अनुकूल अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया जाता रहा है।

अनुवीक्षण दल द्वारा कार्य के प्रारंभ से अंत तक क्रमिक रूप से अन्वेषण किया गया है एवं गुणवत्ता के संदर्भ में उचित गुणवत्ता होने की संपुष्टि नहीं की गयी है। उक्त स्थिति में आरोपित पदाधिकारी का कथन मान्य नहीं है। सैम्पल के उचित गुणवत्ता के पाये जाने के आधार पर कार्य के सभी ईंट अच्छे ही होंगे ऐसा आवश्यक नहीं है क्योंकि अध्यक्ष, अनुवीक्षण दल के साथ–साथ आरोपित पदाधिकारी द्वारा भी विभिन्न तिथियों में स्थल पर खराब ईंटों को अस्वीकार कर लगातार इन्हें स्थल से हटाने का निर्देश दिया जाता रहा है। अतएव आर्थिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किये जाने संबंधि इनकी मंशा नहीं रही है। परन्तु कार्य स्थल पर खराब ईटों को लगाने का प्रमाण है। अतएव वर्णित स्थिति में श्री प्रसाद, सहायक अभियंता के विरूद्ध 12.5 प्रतिशत ईट गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये जाने के आरोप प्रमाणित होता है। परन्तु संवेदक को आर्थिक लाभ पहुँचाने का प्रयास संबंधी मंशा नहीं रखने के कारण आरोप का यह अंश प्रमाणित नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए 12.5 प्रतिशत ईंट गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये जाने के प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–249, दिनांक 08.02.2016 से श्री प्रसाद सहायक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री प्रसाद, सहायक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–0 दिनांक 01.03.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कहीं गयी।

(i) दिनांक 13.03.2011 को अनुवीक्षण दल सं०–3 के आदेश में श्री एस0पी0 चौधरी द्वारा कार्य को संतोषजनक एवं विशिष्टि के अनुरूप पाया गया था। दिनांक 01.04.2011 को निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी थी। मात्र स्थल पर कुछ खराब ईंट देखे गये थे। जो कार्य में नहीं लगायी गयी थी एवं कार्य स्थल से हटाये जाने का निदेश उनके द्वारा दिया गया था।

(ii) खराब ईंट को कार्य स्थल से हटाने का निदेश संवेदक को दिया गया एवं दिये गये निदेश के आलोक में संवेदक द्वारा खराब ईंटों को कार्य स्थल से तुरंत हटा दिया गया।

(iii) दिनांक 20.04.2011 को अनुवीक्षण दल सं०–3 के अध्यक्ष श्री एस0 पी0 चौधरी द्वारा कार्य पूर्ण एवं गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी। गुण नियंत्रण प्रमंडल सं०–1 द्वारा ईट का सैंपल नहीं लिया गया। अतः गुणवत्ता की पुष्टि संभव नहीं हो पायी। संचालन पदाधिकारी ने अपने विभागीय कार्यवाही की जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य अंकित किया है कि आरोप में वर्णित लगभग 12.5प्रतिशत ईंट गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये जाने का आरोप प्रमाणित होता है। परन्तु संवेदक को आर्थिक लाभ पहुँचाने की प्रयास संबंधी मंशा परिलक्षित नहीं होने के कारण संवेदक से मिलीभगत होने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(iv) विभागीय समिति द्वारा प्रयुक्त ब्रिक्स क्रेटों से लिये गये ईंट के नमूने की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ को विशिष्टि के अनुरूप पाया गया है। उनके द्वारा तृतीय चालू विपत्र तैयार किया गया था। जिसमें विभागीय निदेशानुसार ईंट का भुगतान नहीं किया गया। साक्ष्य के रूप में मापीपुस्त सं०–650 के पृष्ठ संख्या 84 की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

(v) चतुर्थ चालू विपत्र में से विभागीय निदेशानुसार कार्य में प्रयुक्त कुल ईंटों का 12.5 प्रतिशत कटौती कर भुगतान किया गया है। अंतिम विपत्र का निष्पादन भी 12.5 प्रतिशत खराब ईंट का भुगतान नहीं करते हुए किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया जाना उचित नहीं है।

श्री प्रसाद, सहायक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। जिसमें निम्न तथ्य पाये गये हैं :–

दिनांक 17.10.2013 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न निरीक्षणों में ईंट को विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने के संबंध में टिप्पणी की जाती रही है। आरोपित पदाधिकारी ने भी अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया गया है कि संवेदक को 12.5 प्रतिशत खराब गुणवत्ता की ईंट की राशि काटकर ही भुगतान किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि विभागीय स्तर पर इसकी सतत निगरानी नहीं की जाती तो कार्य में खराब ईंट लगाई जाती। कार्य में संलग्न अभियंताओं का यह उत्तरदायित्व है कि कार्य में जो भी सामग्री लगाई जाय, वह प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप रहें। यद्यपि कि इस मामले में सरकार को किसी प्रकार की वित्तीय क्षति नहीं हुई किन्तु खराब ईंट लगाये जाने के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई। अतएव यह साबित होता है कि कार्य में निम्न विशिष्टि के ईंट का उपयोग हुआ है। अतएव उक्त आरोप श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री निवास प्रसाद, सहायक अभियंता को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

**"दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"।**

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री निवास प्रसाद, (आई0डी0–8150) सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं०–2, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

**"दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"।**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

19 मार्च 2018

**सं0 22 / नि०सि०(मंत्री0)मोति0–301 / 89–765**––श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0–26 / 87 में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम सं0–45) की धारा 420, 477(ए0), 109, 120(बी0) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1947 का अधिनियम सं0–02 की धारा 5(2) पठित धारा 5(1)(डी0) के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया केस बनने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0–232 सहपठित ज्ञापांक–1696 दिनांक 28.07.90 द्वारा निलंबित किया गया, परन्तु इनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की गयी। सेवानिवृत होने के उपरांत इन्हें विभागीय अधिसूचना सं0–2995 दिनांक 17.09.97 के द्वारा सेवानिवृति की तिथि 30.11.1992 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय लिया गया कि निगरानी थाना कांड सं0–26 / 87 में पारित आदेश के आलोक में निर्णय लिया जायेगा।

पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण बयूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–7238 दिनांक 06.12.2017 द्वारा सूचित किया गया कि श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा चल रहे अपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 11(2) में वर्णित प्रावधान के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के निलंबन अवधि (दिनांक 28.07.1990 से 30.11.1992) को कर्तव्य अवधि मानते हुए पूर्व मे ली गयी राशि को घटाकर पूर्ण भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल के निलंबन अवधि (दिनांक 28.07.1990 से 30.11.1992) को कर्तव्य अवधि मानते हुए पूर्व मे ली गयी राशि को घटाकर पूर्ण भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

19 मार्च 2018

**सं0 22 / नि०सि०(मोति0)–08–03 / 2013–766**––श्री राजेश्वर दयाल (आई0डी0–2467), तत्कालीन अभियंता प्रमुख (उत्तर) संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध नेपाल हितकारी योजना गंडक परियोजना 2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का प्रयोग करने, स्थानीय सामग्री के प्रयोग करने के बावजूद सामग्री ढुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद के अनुरूप करने आदि अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2018 दिनांक 08.09.2015 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

(1) मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर अपने पत्रांक–437 दिनांक 30.03.2012 से उक्त तथ्यों को उजागर करते हुए उनको प्रतिवेदित किया गया तथा दिनांक 31.03.2012, 27.04.2012 एवं 09.05.2012 को भी मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर द्वारा स्थल निरीक्षण कर स्थानीय स्टोन मेटल चिप्स एवं बालू के उपयोग सहित अन्य त्रुटियों को उजागर किया गया। यहाँ तक कि मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर अपने पत्रांक–276 दिनांक 21.03.2012 के माध्यम से विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं किये

जाने के आलोक में संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता को भुगतान लंबित रखने हेतु निदेशित करते हुए प्रति उनको उपलब्ध कराया गया जिसमें मुख्य अभियंता ने आपको स्पष्ट लिखा था कि अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निदेश की अवहेलना कर भुगतान किये/कर रहें हैं, जिसके लिए वे दोषी हैं, परन्तु उनके द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितता के प्रति सजग नहीं रहे एवं आवश्यक कार्रवाई भी नहीं की गई। फलतः अनियमित भुगतान होता रहा। यहाँ तक योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, पटना द्वारा मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर से प्राप्त अनेकों पत्रों को संचिकाबद्ध करते हुए संचिका उपस्थापित कर वस्तुस्थिति से उनको अवगत भी कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त अनियमित भुगतान होने एवं सरकारी राजस्व की क्षति होने में उनकी सहभागिता है। जिसके लिए वह प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

(2) कंक्रिट एवं रोड के कार्यों में स्थानीय Singles के उपयोग के कारण कार्यों की गुणवत्ता घटी है। विशिष्टि के अनुरूप कार्य न ही कराने तथा विशिष्टि के विरूद्ध कार्य चलते रहने देने में उनकी सहभागिता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है जिसके लिए वे दोषी हैं।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में मुख्यतः निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया :–

(i) नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के पुनर्स्थापन कार्य का एकरारनामा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर द्वारा किया गया है। अतएव मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर का यह दायित्व है कि वे एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार कार्य की गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप निष्पादित करावें, परन्तु श्री दिनेश कुमार चौधरी एवं श्री रामपुकार रंजन, तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन न कर केवल अपने पत्रांक–276 दिनांक 21.03.2012, पत्रांक–437 दिनांक 30.03.2012, पत्रांक–479 दिनांक 31.03.2012 पत्रांक–480 दिनांक 31.03.2012 पत्रांक–487, दिनांक 31.03.2012, पत्रांक–499 दिनांक 09.04.2012, पत्रांक–557 दिनांक 27.04.2012 (निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2012) पत्रांक–687, दिनांक 10.5.12 (निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 09.05.2012) द्वारा कार्य में स्थानीय सामग्री का उपयोग होने एवं कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने की सूचना देकर केवल स्थानापूर्ति की गयी है। जब अनियमितता हो रही थी और यह उनकी जानकारी में थी तो तुरंत भुगतान पर रोक लगा दिया जाना चाहिए था, जबकि प्रमंडल अंचल एवं उनका मुख्यालय कार्य स्थल के बिल्कुल समीप (Walking Distance) है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्य अभियंताओं द्वारा सोची समझी साजिश के तहत् अपने दायित्व का निर्वहन न करते हुए इस प्रकार का प्रपंच रचा गया है।

(ii) इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–658 दिनांक 07.07.2010 द्वारा मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर परिक्षेत्राधीन गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सुसज्जित हो जाने के फलस्वरूप 50.00 (पचास लाख) रूपये की राशि से अधिक राशि के कार्यों की गुणवत्ता एवं विशिष्टि की जाँच गुण नियंत्रण शोध प्रमंडल, वाल्मीकिनगर, शिविर मोतिहारी द्वारा संपन्न कराये जाने का निदेश दिया गया है फिर भी क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस निदेश का अनुपालन नहीं किया गया प्रतीत होता है।

(iii) दिनांक 14.04.2011 से दिनांक 16.04.2011 तक माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के कार्यों का स्थल भ्रमण एवं समीक्षात्मक बैठक में मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर को हर हाल में पुनर्स्थापन कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कराने का निदेश दिया गया है तथा समानुपातिक प्रगति नहीं होने पर एकरारनामा के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाय। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक–612 दिनांक 28.04.2011 देखा जा सकता है।

(iv) दिनांक 10.11.11 से 12.11.2011 तक मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर के परिक्षेत्राधीन नेपाल हितकारी योजना 2009 के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, पटना के द्वारा किया गया, जिसमें कार्य की गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है।

(v) दिनांक 16.11.2011 एवं 17.11.2011 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में नेपाल हितकारी योजना के पुनर्स्थापन कार्यों की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक में मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया है कि कार्यों की गहन समीक्षा साप्ताहिक रूप से करें एवं कार्य मे आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक–2059 दिनांक 30.11.2011 देखा जा सकता है।

(vi) दिनांक 25.04.2012 को निर्माण एजेंसी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही में भी नेपाल हितकारी योजना के संवेदक को समानुपातिक प्रगति लाने एवं कार्य की गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुसार करने का निदेश दिया गया है। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक–321 दिनांक–08.05.2012 देखा जा सकता है।

(vii) इसके बावजूद भी विभागीय पत्रांक–627 दिनांक 26.04.2012 के द्वारा आवश्यक दिशा–निदेश मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर को दिया गया है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन उनके द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर का पुनर्स्थापन कार्य मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का मुख्यालय वाल्मीकिनगर में ही अवस्थित है तथा कार्य क्षेत्र भी वाल्मीकिनगर में ही है। फिर भी स्थानीय सामग्री के उपयोग को नहीं रोका जाना अथवा संवेदक पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न किया जाना एकरारनामा के अनुरूप कार्य का भुगतान संवेदक को होते रहना क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सहभागिता को परिलक्षित करता है।

(viii) अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–756 दिनांक 28.05.2012 द्वारा कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–7, पटना एवं सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2 के साथ–साथ शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, खगौल के पदाधिकारियों को नेपाल हितकारी योजना 2009 के कार्यों का स्थल निरीक्षण के लिये निदेश दिया गया। जिसके आलोक में उनके द्वारा दिनांक 30.05.2012 को नेपाल हितकारी योजना 2009 के कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण दल के साथ शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, खगौल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे तथा उनके द्वारा गुणवत्ता जाँच हेतु चल रहे कार्यों का नमूना भी संग्रह किया गया। निरीक्षण दल द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाया जाय एवं सभी कार्य को विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप यथाशीघ्र संपन्न कराया जाय।

(ix) नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के पुनर्स्थापन कार्य में घोर अनियमितता के संबंध में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–769 दिनांक 19.07.2012 द्वारा उड़नदस्ता अंचल, पटना से परिवाद की जाँच का आदेश दिया गया है। जिसके आलोक में उड़नदस्ता का जाँचदल दिनांक 08.04.2013 से 11.04.2013 तक स्थल निरीक्षण कर जाँच समर्पित किया है। उड़नदस्ता दल ने जाँच के दौरान नेपाल भू–भाग के कार्यों में स्थानीय सामग्रियाँ आंशिक रूप से पाया है। उड़नदस्ता द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि अभी एकरारनामा के तहत कार्य चल रहे हैं, अंतिम भुगतान के पूर्व नेपाल भू–भाग में कार्य में व्यवहृत सामग्रियों के लिये पर्याप्त नमूना लेकर एवं उसके आकलन के आधार पर भुगतान किया जाय, उल्लेखित है। परन्तु यह प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया गया ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके।

(x) नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के पुनर्स्थापन कार्य खासकर नेपाल भाग में पश्चिमी गंडक मुख्य नहर का लाईनिंग के कार्य को 31 दिसम्बर 2012 तक हर हालत में पूर्ण कराने का उद्देश्य से सघन मोनिटरिंग के लिये मुख्यालय स्तर से श्री उपेन्द्र प्रसाद शर्मा, कार्यपालक अभियंता एवं श्री धर्मवीर कुमार, सहायक अभियंता को वाल्मीकिनगर में कैम्प कराये जाने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में विभागीय गैर सरकारी प्रेषण सं0–104, दिनांक 04.12.2012 में दिये गये निदेश के आलोक में अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–1711 दिनांक 06.12.2012 के द्वारा कार्यपालक अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0–7, पटना एवं सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, पटना को वाल्मीकिनगर में कैम्प कर कार्यों की गहन मोनिटरिंग हेतु भेजा गया।

(xi) विभागीय पत्रांक–387 दिनांक 30.04.2013 द्वारा नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट की प्रगति एवं गुणवत्ता की जाँच कराने हेतु टीम का गठन किया गया है, जिसके आलोक में अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं गुण नियंत्रण अंचल, जल संसाधन विभाग, सिवान के पत्रांक–112 दिनांक 30.06.2013 द्वारा गुणवत्ता एवं प्रगति जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

(xii) मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर द्वारा केवल स्थानीय सामग्री के उपयोग एवं अनियमित भुगतान पर रोक लगाने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा संवेदक के प्रति कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके लिये उन्हें दोषी माना जा सकता है। परन्तु अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रपत्र–क में आरोप गठित कर मुख्य अभियंता द्वारा विभाग को नहीं भेजा गया जिससे उन पर विभागीय कार्यवाही संबंधी अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा सकी। उसी तरह संवेदक यदि एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थें तो उनके विरूद्ध एफ0आई0आर0/डिफाल्टर घोषित करने/अपने निविदा में भाग लेने से वंचित करने/कालीकृत करने के संबंध में स्वयं सक्षम होते हुए भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही संबंध में विभाग को कोई सूचना दी गई है।

(xiii) निगरानी के जाँच दल द्वारा अगस्त 2012 में जाँच की गयी तथा जाँच प्रतिवेदन जनवरी 2013 में निगरानी विभाग को समर्पित किया गया। संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग से जाँच प्रतिवेदन मई 2013 में विभाग को प्राप्त हुआ तथा विभागीय निगरानी शाखा द्वारा माह जनवरी 2014 में इस अनियमितता को उजागर किया गया। अगर उड़नदस्ता एवं निगरानी का जाँच प्रतिवेदन ससमय प्राप्त हुआ होता तो उनके द्वारा और पहले कार्रवाई की गयी होती।

संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग, पटना के पत्रांक–2756, दिनांक 29.05.13 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुपालन में विभागीय पत्रांक–96, दिनांक 24.01.14 द्वारा संवेदक के किसी भी प्रकार के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। चूँकि कार्य प्रगति में है और एकरारनामा चालू है, वित्तीय अनियमितता एवं हानि के समेकित निर्धारण एवं भरपाई संवेदक के विपत्रों या अन्य माध्यम से करने हेतु एक समिति का गठन कर दिया गया। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक–96, दिनांक 22.01.14 एवं पत्रांक–206, दिनांक 18.02.14 देखा जा सकता है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत संवेदक से वसूली/भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त तथ्यों से बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनियमितता को रोकने के लिये यथोचित आवश्यक कार्रवाई की गई है। उसके बाद भी यह कहा जाना कि केवल दिशा–निदेश दिया गया है न्यायसंगत नहीं है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–1017, दिनांक 02.06.16 द्वारा श्री दयाल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री दयाल, तत्कालीन अभियंता प्रमुख (उ0) संप्रति सेवानिवृत द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में मुख्यतः निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया :–

Enquiry officer without appreciating the relevant fact and in absence of any documentary evidence and witness has wrongly held the charge to have been proved against me nearly on presumption an assumption which is not permissible in the eye of law.

Further the reasoning by the enquiry officer was totally immaterial for proving the charge and inthus perverse for the following reasons:-

(i) The enquiry officer has also failed to appreciate that the work was executed by C.E. WRD, Balmikinagar and it is a responsibility of the C.E. But the Chief Engineer, Ram pukar Ranjan through several letter's has done the formality only. When such irregularity were committed within the knowledge of the C.E. the payment should have been stopped and both the circle and division officers along with office were at walking distance of the work site and appears that the Chief Engineer through conspiracy falsely implicated me to state their skin and tried to shift the onus on me for their illegal gains by violating the condition mentioned in agreement.

(ii) The enquiry officer has also failed to appreciate that through letter no. 358 dated 07-07-10 it is evident that within the zone officer C.E. is equipped with quality control laboratory has been established from 14-04-11 to 16-04-11 a visit by the Hon'ble Minister of WRD along with me. After visit guidelines were issued by Hon'ble Minister that work was done as per the clause mentioned in SBD and incase if the work is not found as per the agreement penal actions be taken against the persons responsible which is evident from letter no. 612 dt. 28-4-11 and the Chief engineer as per the PWD code is responsible for such illegal activities and the officers posted within that zone is accountable for such misconduct.

(iii) Enquiry officers has also not appreciated the fact that from 10-11-11 to12-11-11 the chief engineer has carried an inspection and directed to get the work done as per the clause of SBD. Further from 16-11-11 to 17-11-11 meeting under the chairmanship of principle secretary was conducted and it was directed that the supervision has to be carried out weekly. But it is surprising that no body to say such irregularity and suggests that I have been falsely implicated and roped by than C.E. is conspiracy with contractor for their illegal gratification.

(iv) Further through letter no. 627 dt. 26-04-12 necessary direction to C.E. were issued regards to his different letters. Despite that the local material used by contractor was stopped by the Engineers posted there and no actions against the contractor has been taken and their connivance cannot be ruled out and payment were not stopped. The above stated facts and Engg. Posted were purposely allowed the contractor to use the local material for their gain for which they are responsible.

(v) The enquiry officer has also not considered that fact that upon the complain with regard a flying squared was constituted through letter no. 769 dt. 19-07-12 and investigation from 08-04-13 to 11-04-13 was carried out.

(vi) Enquiry officers has failed to appreciate that dispite the direction by the C.E. for stopping the payment through memo no. 480 dt. 31-03-12 to the E.E.&S.E. has not taken any action against the contractor like loading FIR or showing him defaulter. For this the C.E. is responsible and as per SBD clause he is vested with

such power and in spite of taking any action the C.E. started writing letter no me for shifting his onus and liability and responsibility.

(vii) The Enquiry officer has not consider the letter 437 dt. 30-03-12 issued by C.E. to me. And tried to mislead me as well as the department by starting in the said letter. It is submitted that in the said letter it has been also mentioned by C.E. the proper direction/ Guideline were issued to SE and EE that the work should be done as per agreement. But no any information with regard to action taken by C.E. was either communicated to me or department with regard to this work.

(viii) Further the enquiry officer has failed to appreciate that the payment made after 28-03-2012 against $6^{th}$ ,$7^{th}$, $8^{th}$ and $9^{th}$ bill was passed by the EE and amount paid after 28-3-12 amounting Rs. 12,74,07,988/- was made in connivance with CE with EE and it is surprising that the CE and EE were having the knowledge that local material are being used and order for stopping the payment has been passed vide letter no. 480 dt. 31-03-12. I cannot be held responsible it the direction issued by CE is not being followed by his subordinate EE. For which the chief Engineer is competent to initiate action against him. For which there is no requirement as the CE is competent to take action against them under the code.

(ix) Further the report of Technical Vigilance was received on 31-05-2013 in department. After 08 month the report was brought to my notice dt. 23-01-14 and the moment I can to know that the irregularity on the very next day i.e. 24-01-14 directed to the C.E. with regard to the said work not to make any payment against any bill and other direction, there after direction of Technical vigilance a three man committee was constitute and in the report submitted by committee that the Excess amount paid was 8,99,33,624/- which was also raise dispute upon the report submitted by technical vigilance.

(x) Further the Enquiry officer has not considered under rule 15A of PWD code is the authority to take action against the officer and the CE is responsible for any misconduct within their zone. The role of Engineer is Chief and the Chief Engineer is also the administrative and processional head of that zone and having the power to recommend to Govt. removal transfer and posting.

(xi) The Enquiry officer has also not considered the fact that the Chief Engineer through its letter 687 dt. 10-5-12 requested for suspension of one AE & JE. When through letter no. 739 dt. 24-05-12, I directed the CE to submit memo of charge along with specific allegation against them. Same was not provided by the Chief Engineer so in absence of memo of charge, I was not in a position to take any action against those Engg.

(xii) The Enquiry officer has wrongly relied upon the statement made by Rajeev Nandan Maurya. AE as for the reason that he was posted there for a very short duration from 24-05-12 to 16-09-12 and he was not aware with the proper fact of this proceeding. During that period of his posting nothing has been alleged against me. For the said period or any role for participation has been brought by Sri R.M. Maurya with regard to my participation in relation to the excess payment.

(xiii) Further it is relevant to mention here that the Technical Vigilance has concluded his investigation on 29-5-13 and after a laps of Eleven months on 18-02-14 a show cause has been issued and to which, I replied on 28-02-14 and thereafter

without considering my show cause and after my retirement a proceeding has been initiated under Rule 43(B) is not permissible under the pension rule. But in the present case much after my retirement on 08-09-15 the proceeding has been conducted under 43(B) which is clear violation of pension rule 43(B).

(xiv) Further it is submitted that from the above mentioned fact it is evidence that no charge alleged against me is being proved and for the irregularities posted in the said work is responsible for the said irregular payment.

श्री राजेश्वर दयाल, तत्कालीन अभियंता प्रमुख (उत्तर) से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री दयाल द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में वही तथ्य उद्धत किया गया है जो उनके द्वारा प्रथमतः विभाग को दिये गये अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है अथवा संचालित विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी को दिये गये मूल बचाव–बयान एवं पूरक बचाव–बयान में उद्धत किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री दयाल के द्वितीय कारण पृच्छा की कंडिका 13 में वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र–क में आरोप वर्ष 2010–11 से 2013–14 उल्लिखित है। श्री दयाल दिनांक 30.09.14 को सेवानिवृत हुए है तथा इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' का गठन दिनांक 12.08.15 को किया गया है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सेवानिवृत कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही उस घटना के संदर्भ में चलायी जा सकती है जो 4 वर्ष से पूर्व घटित नहीं हुयी हो। इस प्रकरण में आरोप वर्ष 2013–14 है तथा श्री दयाल की सेवानिवृति तिथि दिनांक 30.09.14 है। इसलिए इनकी संबद्धता विषयगत मामले से दिनांक 30.09.14 तक रही है। पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत ही इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है। स्पष्टतः यह मामला बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत कालबाधित नहीं है।

संचालन पदाधिकारी (विभागीय जॉच आयुक्त) द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये आरोप पत्र तथा संदर्भित साक्ष्य विभागीय अभिमतों तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी बचाव बयान का विस्तृत रूप से अध्यनोपरांत मामले की विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी। संचालन पदाधिकारी ने अपने समीक्षात्मक कंडिका में योजना प्राक्कलन के गठन से लेकर कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिये गये तर्क कार्य में संलग्न पदाधिकारियों की मौलिक जवाबदेही वरीय पदाधिकारी के दायित्वों तथा संदर्भित बिहार वित्त नियमावली की कंडिका 10, 11, 12, 31 एवं 32 तथा PWD code-15 AC जिसमें मुख्य अभियंता की जवाबदेही PWD code -15 के आलोक में अभियंता प्रमुख के दायित्वों तथा अन्य संदर्भित पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करते हुए जॉच प्रतिवेदन की कंडिका 8(VI) में कहा गया है कि –

आरोपित पदाधिकारी द्वारा यदि समय पर उपर्युक्त वांछित कार्रवाईयाँ की गई होती तो 28 मार्च 2012 और उसके बाद के विपत्रों के माध्यम से किये गये 12 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान रूक जाता है उससे अनियमित भुगतान की आकलित राशि की वसूली की जा सकती थी। आरोपित पदाधिकारी का यह कहना है कि उपर्युक्त विपत्रों के द्वारा किय गये भुगतान अग्रिम के तौर पर है और उनके माध्यम से भुगतान की गयी राशि की वसूली अंतिम विपत्र से की जा सकती है एक गैर जवाबदेही दृष्टिकोण है। अगर वित्तीय नियमावली में विभागाध्यक्ष और नियंत्री पदाधिकारी के लिए निर्धारित दायित्वों के आलोक में इसे देखा जाय तो चालू विपत्रों के तहत भुगतान में कोई त्रुटि होने की स्थिति में उसके समायोजन की व्यवस्था आगे के विपत्रों से किये जाने की है परंतु वर्तमान मामला त्रुटिपूर्ण का नहीं है बल्कि अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा जानबूझकर और मुख्य स्तर के वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में आने और उनके स्तर से स्पष्ट निदेश दिये जाने के बावजूद अनियमित वित्तीय भुगतान जारी रखने का है जो एक गबन का मामला है। इस संदर्भ में बिहार वित्त नियमावली का नियम 34 का उल्लेख किया गया है जिसमें अंकित है कि Every Govt. Servent should realise fully and clearly that he will be held personally responsible for any loss suistained by govt. through fraud or negligence on his part and that he will also be held personally responsible for any loss arising from fund or negligence on the party of any other govt. Servant to the extent to which it may me shown that he contributed to the loss by his won action or negligence.

संचालन पदाधिकारी ने मामले को एवं आरोपी द्वारा दिये गये तर्कों के समीक्षोपरांत पुनर्स्थापन कार्य में विशिष्टि का उल्लंघन करते हुए कार्य जारी रहने में तथा पत्थर एवं बालू की ढुलाई मद में अनियमित भुगतान जारी रहने में श्री दयाल की सहभागिता मानी है तथा दोनों आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया है। चूंकि आरोपी श्री दयाल के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में वही तथ्य दोहराया गया है जो उनके द्वारा विभिन्न तिथियों में विभाग को अथवा संचालन पदाधिकारी को दिया गया है। इस कार्य में विभाग द्वारा अनियमित भुगतान की गणना हेतु गठित समिति द्वारा ढुलाई मद में कुल 8,99,33,624/– (आठ करोड निनानबे लाख तैतीस हजार छः चौ चौबीस) रूपये की अनियमितता भुगतान होने की गणना की गयी है। इनके कृत्य से सरकार को 8,99,33,264/– (आठ करोड़ निनानबे लाख तैतीस हजार दो सौ चौसठ) रूपये की आर्थिक क्षति हुयी है।

मामले की सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राजेश्वर दयाल, तत्कालीन अभियंता प्रमुख (उ0) संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–506, दिनांक 11.04.17 द्वारा पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) की स्थायी रूप से कटौती का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त आलोक में श्री दयाल द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया हैः–

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके बचाव–वयान की सम्यक समीक्षा नहीं की गयी है एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर विचार किये बगैर उनके विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। एस0बी0डी0 की कंडिका 3, 4 एवं 7 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि यदि संवेदक द्वारा एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अंतिम विपत्र से आवश्यक राशि की कटौती कर ली जायेगी।

(ii) कार्य के क्रियान्वयन के लिए मुख्य अभियंता पूर्णतः जिम्मेवार हैं। मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि योजना का क्रियान्वयन प्राक्कलन की विशिष्टि के अनुरूप हो। तत्कालीन मुख्य अभियंता, श्री रामपुकार रंजन द्वारा अनियमितता के संबंध में केवल पत्राचार किया जाता रहा, जबकि उनके द्वारा भुगतान पर रोक के लिए कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गयी। पी0डब्लू0डी0 कोड की कंडिका 15(ए) में उपबंधित है कि योजना में हो रहे किसी प्रकार की गड़बड़ी, अनियमित भुगतान आदि के लिए मुख्य अभियंता ही उत्तरदायी होंगे। इस मामले में मुख्य अभियंता को उत्तरदायी न मानते हुए उनके (आवेदक) पेंशन से 50 प्रतिशत की कटौती करने का जो दंडादेश निर्गत किया गया है वह विधिसम्मत नहीं है।

(iii) तत्कालीन मुख्य अभियंता श्री रामपुकार रंजन द्वारा कई पत्रों द्वारा योजना में अनियमितता बरते जाने का जो प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया है, वह औपचारिकता मात्र है। यदि योजना में अनियमित भुगतान किया जा रहा था तो मुख्य अभियता को अविलंब कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगानी चाहिए थी। मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर के नियंत्रणाधीन गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित है, जिसमें योजनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री के गुणवत्ता की जॉच की जानी है, किन्तु इस निदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके लिए मुख्य रूप से मुख्य अभियंता ही दोषी है।

(iv) दिनांक 16.11.2011 की बैठक में श्री रामपुकार रंजन द्वारा योजना में स्थानीय सामग्री के उपयोग होने की शिकायत नहीं की गयी। संवेदक एवं मुख्य अभियंता की मिलीभगत से अनियमित राशि का भुगतान किया जाता रहा, जिसके लिए वे (आवेदक) दोषी नहीं है।

(v) मुख्य अभियंता द्वारा संवेदक के भुगतान पर रोक लगाये जाने के बावजूद भी कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी और न ही संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए विभाग द्वारा 50 प्रतिशत की पेंशन स्थायी रूप से कटौती करने का जो दंडादेश निर्गत किया गया है, वह गलत है।

(vi) तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा योजनाओं की जॉच दिनांक 29.5.2013 को की गई। करीब 11 माह बाद दिनांक 18.2.2014 को विभागीय पत्रांक 219 द्वारा उनसे कारण पृच्छा की मॉग की गयी। उन्होंने इस संबंध में अपना कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 28.2.2014 को समर्पित कर दिया, किन्तु उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में उल्लेखित तथ्यों पर विचार किये बगैर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अंतर्गत कार्रवाई कर दी गयी, जो बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है। इस मामले में उनकी सेवानिवृति की तिथि 30.9.2014 के पश्चात् विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी है, जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

(vii) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में प्रावधानित है कि गम्भीर कदाचार एवं सरकारी को पहुॅचाई गयी आर्थिक क्षति के मामले में ही किसी सेवानिवृत कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जा सकती है। इस मामले में न तो उनके द्वारा किसी प्रकार का Grave misconduct किया गया है, जो न ही सरकार को किसी प्रकार की वितीय क्षति पहुॅचाई गयी है। इसलिए इनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत की गयी कार्रवाई नियम विरुद्ध है।

श्री दयाल द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में हुई अनियमितताओं के लिए मुख्य रूप से क्षेत्रीय अभियंताओं यथा कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को उत्तरदायी बताया गया। पी0डब्लू0डी0 कोड की कंडिका 15(ए) का उल्लेख करते हुए श्री दयाल का कहना है कि योजनाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए सीधे तौर पर मुख्य अभियंता उत्तरदायी है। इस पूरे मामले में उनकी (आवेदक) कोई भूमिका नहीं रही है।

नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्यों में स्थानीय सामग्री का उपयोग किये जाने के संबंध में तत्कालीन मुख्य अभियंता, श्री रामपुकार रंजन ने निम्नांकित पत्रों द्वारा योजना में स्थानीय एवं घटिया सामग्री उपयोग किये जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया :–

| क्रम सं0 | पत्रांक | दिनांक | पत्र में वर्णित विषय |
|---|---|---|---|
| **01.** | 687 | 10.05.2012 | कराए जा रहे घटिया कार्य एवं कनीय अभियंताओं को निलंबित करने के संबंध में। |
| **02.** | 557 | 27.04.2012 | स्थानीय सामग्री के उपयोग के संबंध में। |
| **03.** | 493 | 09.04.2012 | स्थानीय सामग्री का उपयोग करने एवं कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04.** | 480 | 31.03.2012 | स्थानीय सामग्री का उपयोग करने एवं भुगतान पर रोक लगाने के संबंध में। |
| **05.** | 479 | 31.03.2012 | स्थानीय सामग्री का उपयोग करने एवं घटिया निर्माण कार्य कराने के संबंध में। |
| **06.** | 437 | 30.03.2012 | घटिया कार्य कराये जाने के संबंध में। |
| **07.** | 118 | 01.03.2012 | स्थानीय एवं घटिया सामग्री का उपयोग करने के संबंध में। |
| **08.** | 96 | 23.02.2012 | घटिया कार्य कराये जाने के संबंध में। |

उपर्युक्त पत्रों की विवरणी से स्पष्ट है कि तत्कालीन मुख्य अभियंता श्री रामपुकार रंजन द्वारा कार्य में घटिया एवं स्थानीय सामग्री के उपयोग होने के संबंध में नियमित अंतराल पर विभाग को अवगत कराया जाता रहा। इतना ही नहीं निदेशों की अनदेखी किए जाने एवं कार्य की गुणवता में सुधार नहीं किए जाने पर कार्यस्थल के प्रभारी कनीय अभियंता, को निलंबित करने एवं कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। इसके बाद भी श्री दयाल द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए श्री दयाल का यह कहना कि सम्पूर्ण मामले के लिए तत्कालीन मुख्य अभियंता, श्री रामपुकार रंजन उतरदायी है, स्वीकारयोग्य नहीं है।

योजना एवं मोनिटरिंग अंचल की संचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्य अभियंता के सभी पत्रों को सूचिबद्ध कर सम्पूर्ण मामले को प्रधान सचिव के संज्ञान में लाने का प्रस्ताव उपस्थापित किया गया था, परन्तु ''विमर्श'' अंकित कर संचिका वापस कर दी गई। विमर्श के पश्चात् भी संचिका प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु उपस्थापित नहीं की गई बल्कि अपने स्तर से ही आपति लगाकर संचिका को लंबित रखा गया। अंततः श्री दयाल ने सम्पूर्ण तथ्यों को प्रधान सचिव के संज्ञान में लाए वगैर अपने स्तर से मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मिकीनगर को पत्रांक 627, दिनांक 26.04.2012 द्वारा निदेशित किया कि अपने स्तर से विषयाधीन कार्यों की विस्तृत जॉच तकनीकी रूप से स्वयं कर ली जाय एवं नहरवार पाई गई त्रुटियों का सुधार ससमय कराया जाय। हर हालत में कार्य प्राक्कलन के अनुसार गुणवतायुक्त सामग्री से गुणवता एवं विशिष्टि के अनुरूप ही कराया जाना सुनिश्चित की जाय। यदि संवेदक निदेश का अनुपालन ससमय नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल कठोर कार्रवाई की जाय।

तत्कालीन मुख्य अभियंता श्री रामपुकार रंजन द्वारा अभियंता प्रमुख को भेजे गए सभी पत्रों में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कार्य में स्थानीय एवं गुणवता विहिन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए कार्य प्रभारी कनीय अभियंताओं को निलंबित करने की अनुशंसा भी की गयी थी, किन्तु इन तथ्यों को दरकिनार करते हुए श्री दयाल द्वारा कार्य में हो रही त्रुटियों को सुधार करने का निदेश मुख्य अभियंता को दिया गया। गंभीर अनियमितताओं की पूर्ण जानकारी रहने के बावजूद भी श्री दयाल द्वारा न तो अभियंताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई और न ही संवेदक के विरुद्ध। श्री दयाल का यह पत्र औपचारिकता मात्र है। तत्कालीन मुख्य अभियंता श्री रामपुकार रंजन ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन ज्ञापांक 687, दिनांक 10.05.2012 द्वारा कार्यस्थल के प्रभारी कनीय अभियंताओं श्री ब्रजभूषण शर्मा एवं श्री विशेश्वर नारायण को निलंबित करने की अनुशंसा की थी, इसके बावजूद भी श्री दयाल द्वारा इन कनीय अभियंताओं के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य अभियंता के द्वारा योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता प्रतिवेदित किए जाने के बाद भी श्री दयाल द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को प्रधान सचिव के संज्ञान में नहीं लाना, मुख्य अभियंता की अनुशंसा के बावजूद कार्यस्थल के प्रभारी कनीय अभियंताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना, संवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना इस आरोप को पुष्ट करता है कि हो रहे अनियमित भुगतान में श्री दयाल की मौन सहमति थी।

श्री दयाल द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में की गयी कार्रवाई को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के प्रावधानों के विपरीत बताया है। श्री दयाल की सेवानिवृति दिनांक 30.9.2014 है। आरोप वर्ष 2013–14 से संबंधित है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में उपबंधित है कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही वैसे आरोपों के लिए चलाई जा सकती है जो प्रपत्र ''क'' गठन के 4 साल के पूर्व न हो। वर्ष 2013–14 से संबंधित आरोपों के लिए श्री दयाल के विरुद्ध दिनांक 12.08.2015 को प्रपत्र ''क'' का गठन किया गया है जो 4 साल के अंतर्गत है। इसलिए श्री दयाल के विरुद्ध प्रारंभ की गयी विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अनुकूल है।

श्री दयाल का कहना है कि यह मामला वितीय अनियमितता एवं Grave Misconduct से संबंधित नहीं है। केवल वैसे मामले में ही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में विभागीय कार्यवाही चलाई जा सकती है, जो Grave Misconduct एवं वित्तीय क्षति से संबंधित है। प्रस्तुत मामले में स्थानीय सामग्रियों के प्रयोग किये जाने के बावजूद भी प्रावधानित लीड के अनुसार भुगतान किये जाने के कारण सरकार को कम से कम 8.99 करोड़ की वित्तीय क्षति हुई है। जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी श्री दयाल द्वारा किसी प्रकार का कारगर कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार श्री दयाल का यह कृत्य Grave Misconduct की श्रेणी में आता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री दयाल का पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृत करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०–506, दिनांक 11.04.2017 द्वारा संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री राजेश्वर दयाल (आई0डी0–2467), तत्कालीन अभियंता प्रमुख (उत्तर) संप्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

19 मार्च 2018

**सं0 22 / नि0सि0(औ0)–17–02 / 2008**–767––श्री राजेश्वर दयाल (आई0डी0–2467), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद के विरूद्ध शीर्ष कार्य प्रमंडल, हरिहरगंज अन्तर्गत बटाने दायाँ मुख्य नहर के चेन सं०–627.00 पर 6'–0" फॉल–सह–कैनाल साईफन कार्य का निविदा आमंत्रण सूचना सं०–01 / 2007–08 के ग्रुप सं०–2 के निष्पादन में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–922, दिनांक 21.08.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

1. आपने बटाने शीर्ष कार्य प्रमंडल, हरिहरगंज शिविर–अम्बा के निविदा सूचना सं०–1 वर्ष 2007–08 के ग्रुप सं०–2 के कार्य के लिए कुल पाँच निविदादाताओं में से तीन निविदादाताओं को अग्रधन की राशि निविदा से पूर्व लौटाकर संवेदक विशेष को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं।
2. निविदा सूचना सं०–1 वर्ष 2007–08 के ग्रुप सं०–2 के कार्य हेतु पाँच निविदादाताओं में से तीन निविदादाताओं के अग्रधन की राशि आपके निदेश के आलोक में निविदा निस्तार के पूर्व ही निविदाकारों को वापस कर दी गई। जाँच के क्रम में इन निविदाकारों के प्राईस बिड (price bid) को खोलने पर निविदित दर अनुसूचित दर से 15(पन्द्रह) प्रतिशत कम पाया गया। स्पष्टतः न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले निविदाकारों को अवैध रूप से निविदा प्रक्रिया से बाहर रखते हुए कार्य का आवंटन मनोनुकूल ढ़ग से अनुसूचित दर से 9.50 प्रतिशत अधिक दर पर किया गया। फलस्वरूप अनुसूचित दर से 24.50% (15%+9.50%) अधिक दर स्वीकृत कर विभाग को वित्तीय क्षति पहुँचाने का प्रयास आपके द्वारा किया गया जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाए गए।
3. दिनांक 26.06.07 को श्री महादेव सिंह, बजरंज कन्सट्रक्शन, औरंगाबाद द्वारा एक आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया कि प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पूर्व से उनके द्वारा एकरारनामा सं०–32 / एफ0 / 89–90 के तहत कार्य किया गया है। संवेदक द्वारा मॉग की गई कि निविदा निष्पादन के पूर्व उनके द्वारा किए गए कार्यों की अंतिम मापी लेकर भुगतान किया जाय एवं जमानत तथा अग्रधन की राशि वापस की जाय। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को पूर्व का एकरारनामा बन्द करने हेतु निदेशित किया गया परन्तु कार्यपालक अभियंता से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही दिनांक 14.08.07 को आपके द्वारा यह कार्य आनन्द कन्सट्रक्शन को आवंटित कर दिया गया जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी है।
4. दिनांक 14.06.10 से दिनांक 26.06.07 तक ग्रुप सं०–2 के निविदा का निष्पादन नियमानुसार हो जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं कर आपके द्वारा जानबूझ कर उक्त निविदा निष्पादन कार्य में जटिलता पैदा की गई एवं एक साजिश के तहत ऐसे निविदादाताओं को प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा गया जिसके द्वारा निविदित दर अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम थे। इस प्रकार आपके द्वारा विभाग को वित्तीय क्षति पहुँचाने का प्रयास किया गया जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी है।

दिनांक 30.09.14 को श्री राजेश्वर दयाल के अभियंता प्रमुख के पद से सेवानिवृत हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं०–123, सहपठित ज्ञापांक 1689, दिनांक 14.11.14 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में मुख्यतः निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया :–

1. आलोच्य कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में से तीन निविदादाताओं के अग्रधन की राशि उनके अनुरोध पर लौटाई गई थी क्योंकि निविदा के नियम एवं शर्त्तो में कोई भी शर्त नहीं थी कि निविदादाताओं को कार्य आवंटन के पूर्व निविदा प्रक्रिया में शामिल रखने हेतु बाध्य किया जा सके एवं निविदा निर्णय में हो रहे विलंब तक अग्रधन की राशि रोक रखी जाय।

दिनांक 08.06.07 को प्राप्त एवं उसी दिन खोली गई निविदाओं का तकनीकी बीड वैद्य पाया गया था लेकिन निविदा निष्पादन के क्रम में संवेदक श्री महादेव सिंह (बजरंज कन्सट्रक्शन, शाहपुर, औरंगाबाद) से दिनांक 26.06.07 को प्राप्त पत्र से

तथ्य प्रकाश में आया कि इसी स्थल पर श्री सिंह द्वारा कराए गए कार्यों की अंतिम मापी नहीं हुई है एवं इनका एकरारनामा बन्द नहीं हुआ है। अतः संवेदक से प्राप्त इस आवेदन पर कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन की माँग की गई ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। उनके (श्री दयाल) अनुसार पूर्व के कार्यों के अंतिम मापी के कारण निविदा निष्पादन में हो रहे विलंब के मद्देनजर संवेदक मे0 मैहर बिल्डर प्रा0 लि0 एवं आदर्श बंधु कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के दिनांक 24.07.07 तथा ए0 के0 बिल्डर्स के दिनांक 26.07.07 के अर्नेस्ट मनी लौटाने संबंधी अनुरोध पत्र पर कार्यपालक अभियंता को आदेश दिया गया लेकिन वित्तीय बीड का लिफाफा बन्द रहा। पूर्व में सम्पादित कार्यों की अंतिम मापी लेकर निविदा की तुलनात्मक विवरणी कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–666, दिनांक 12.08.07 से प्राप्त होते ही शेष दो निविदादाताओं का वित्तीय बीड खोलकर न्यूनतम निविदादाता से दर वार्ता के आधार पर कार्य आवंटित किया गया। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही नियमानुसार निविदा का निष्पादन किया गया है न कि किसी संवेदक विशेष को कोई लाभ पहुँचाया गया है।

**2.** तीन निविदादाताओं का अर्नेस्ट मनी लौटा दिए जाने के उपरांत मात्र दो निविदादाता की ही निविदा निष्पादन हेतु वैध रह गयी थी। फलतः उक्त दो वैध निविदा का वित्तीय बीड खोला गया था एवं न्यूनतम निविदित दर अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत अधिक था न कि अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम नियमतः न्यूनतम निविदादाता से दर वार्ता कर 9.5 प्रतिशत अधिक दर पर उन्हें कार्य आवंटित किया गया। जिन तीन निविदादाताओं के अग्रधन की राशि लौटाने का आदेश दिया गया था उनके वित्तीय बीड को नहीं खोला गया। अतः बन्द वित्तीय बीड के लिफाफे में अंकित कर की जानकारी संभव नहीं थी। इस प्रकार उड़नदस्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में विभाग को होने वाली वित्तीय क्षति का आकलन गलत है और उन्हें आरोपित करने के उदेश्य से ऐसा किया गया है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आलोच्य निविदा को मुख्य अभियंता के पत्रांक 3061, दिनांक 18.09.07 द्वारा रद्द भी कर दिया गया था। इस प्रकार विभाग को न तो वित्तीय क्षति पहुँचाने का प्रयास किया गया है और न कोई वित्तीय क्षति हुई है।

**3.** पूर्व में कराए गए कार्यों के संवेदक से दिनांक 26.06.07 को प्राप्त आवेदन को उसी दिन कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया एवं स्मारित भी किया गया जिसके क्रम में कार्यपालक अभियंता से दिनांक 12.08.07 को तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुई। कार्यपालक अभियंता से अनुपालन के उपरांत अलग से उक्त संबंध में प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं थी।

**4.** निविदा सं०–01/2007–08 के ग्रुप सं०–2 में वर्णित कार्य स्थल पर पूर्व में संवेदक श्री महादेव सिंह, बजरंज कन्सट्रक्शन, औरंगाबाद द्वारा कार्य कराया गया था एवं बिना इनके कार्य की अंतिम मापी एवं एकरारनामा बन्द किए ही इस स्थल के अवशेष कार्यों हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त निविदा आमंत्रित की गई। श्री महादेव सिंह द्वारा पूर्व में इस स्थल पर किए गए कार्य की मापी एवं एकरारनामा बन्द करने के संबंध में संवेदक से दिनांक 26.06.07 को प्राप्त आवेदन के आलोक में कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया। उक्त निदेश के अनुपालन के उपरांत कार्यपालक अभियंता से दिनांक 12.08.07 को तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ जिस पर उनके द्वारा 14.08.07 के वित्तीय बीड खोलकर अग्रेतर कार्रवाई की गई। पूर्व में सम्पादित कार्यों की अंतिम मापी लेने एवं एकरारनामा को बन्द करने में विलंब के लिए कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार है। उनके (श्री दयाल) सार्थक प्रयास से ही पूर्व का एकरारनामा बन्द हुआ एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद से बच गया। इस प्रकार निविदा निष्पादन में जटिलता पैदा करने का अरोप निराधार है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–2110 दिनांक 17.09.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत श्री दयाल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

**श्री राजेश्वर दयाल, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख से द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर मं मुख्यतः निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया :–**

**1.** ग्रुप सं०–2 में पाँच निविदादाताओं में से तीन निविदादाताओं को उनके अनुरोध पर निविदा निष्पादन के पूर्व अग्रधन की राशि लौटाई गई उनमें से कोई भी वित्तीय बीड नहीं खुला अर्थात उनके निविदित दर की सूचना उपलब्ध नहीं है। वैसी स्थिति में किसी संवेदक विशेष को लाभ पहुँचाए जाने का आरोप काल्पनिक, आधारहीन एवं तथ्य से परे हैं। निविदा निष्पादन दो संवेदकों के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया।

निविदा के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत कार्यावंटन के पूर्व निविदा प्रक्रिया में शामिल करने एवं निविदा निर्णय के विलम्ब तक अग्रधन राशि रोके जाने की कोई शर्त नहीं है। दिनांक 08.06.07 को प्राप्त निविदादाताओं का तकनीकी बीड बैध पाया गया लेकिन निविदा निष्पादन के क्रम में श्री महादेव सिंह, संवेदक से 26.06.07 को प्राप्त पत्र से उस स्थल पर पूर्व के कार्य की अंतिम मापी नहीं होने का तथ्य प्रकाश में आया। अतः कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन माँगते हुए अंतिम मापी लेने का निदेश दिया गया एवं स्मारित भी किया गया ताकि पूर्व में कार्य के कारण विवाद न हो एवं मामला न्यायालय में नहीं आए। पूर्व के कार्य की मापी के कारण निविदा निष्पादन में संभावित विलम्ब के आलोक में तीन निविदादाताओं को उनके 24.07.07 एवं 26.07.07 के अग्रधन की राशि लौटाने के अनुरोध पर कार्यपालक अभियंता को आदेश दिया गया लेकिन उनके वित्तीय बीड का लिफाफा बन्द रहा जिसका उल्लेख मुख्य अभियंता के पत्रांक–3179, दिनांक 01.10.17 में किया गया है। पूर्व के कार्यों की अंतिम मापी लेकर कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–666, दिनांक 12.08.07 से प्राप्त निविदा की तुलनात्मक विवरणी शेष दो निविदादाताओं का वित्तीय बीड खोलकर दर वार्ता के आधार पर कार्य आवंटित किया गया। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा का निष्पादन किया गया एवं किसी विशेष को लाभ नहीं पहुँचाया गया।

**2.** प्रमाणित आरोप सं०–2 के प्रत्युत्तर में श्री दयाल द्वारा मुख्यतः विभागीय कार्यवाही के क्रम में दिए गए बचाव बयान को दुहराया गया है।

**3.** आरोप सं०–3 के प्रत्युत्तर में श्री दयाल द्वारा बताया गया है कि आरोप सं०–3 में ही उल्लेख है कि अधीक्षण अभियंता के कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा बन्द करने का निदेश दिया। उक्त निदेश के तहत एकरारनामा बन्द करने की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता के स्तर से सुनिश्चित किया जाना था। उनके स्तर से ससमय एकरारनामा बन्द नहीं किए जाने के कारण अधीक्षण अभियंता को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। पूर्व के कराए गए कार्यों के संवेदक से प्राप्त आवेदन दिनांक 26.06.07 को पूर्व के कार्यों की अंतिम मापी लेकर निविदा निष्पादन हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया एवं स्मारित भी किया गया जिसके क्रम में इनसे 12.08.17 को तुलनात्मक विवरणी प्राप्त होना ही अपने आप में कार्यपालक अभियंता को दिए गए निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन भी है। अतः कार्यपालक अभियंता से अलग से किसी प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं थी।

**4.** आरोप सं०–4 के प्रत्युत्तर में भी श्री दयाल द्वारा बचाव बयान में दिए गए तथ्यों को ही दुहराया गया है।

श्री राजेश्वर दयाल, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोप सं०–1 निविदा सूचना सं०–1/07–08 के ग्रुप–2 से संबंधित पाँच निविदादाताओं से निविदा निष्पादन के पूर्व तीन निविदादाताओं को अग्रधन वापस कर संवेदक विशेष को लाभ पहुँचाने से संबंधित है। विभागीय जाँच आयुक्त सह संचालन पदाधिकारी की विवेचना "आरोपित पदाधिकारी द्वारा ऐसे तीन निविदादाताओं के अग्रधन की राशि वापस की गई ताकि वे निविदा में आगे भाग न ले सके" की आरोपित पदाधिकारी द्वारा अनिच्छुक निविदादाताओं के अनुरोध पर अग्रधन वापसी की अपनी कार्रवाई के आलोक में आधारहीन कहा गया है। अभिलेख से विदित होता है कि दिनांक 08.06.07 को आलोच्य कार्य से संबंधित पाँच निविदादाताओं में से तीन निविदादाताओं का स्वयं अभ्यावेदन प्राप्त कर दिनांक 24.07.07 एवं 01.08.07 को अग्रधन वापस करने का आदेश आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिया गया। निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा प्राप्ति से 180 दिनों तक अग्रधन वापसी नहीं की जा सकती है जैसा कि मुख्य अभियंता, औरंगाबाद के पत्रांक–3179, दिनांक 01.10.07 में उल्लेख है।

9.5 प्रतिशत अधिक दर पर स्वीकृति के कारण 24.50 प्रतिशत अधिक दर पर स्वीकृत किए जाने के विभागीय जाँच आयुक्त की समीक्षा को आरोपित पदाधिकारी द्वारा काल्पनिक कहा गया है एवं उनका कहना है कि तीन अनिच्छुक निविदादाताओं के जिनका वित्तीय बीड उनको लौटाने के निदेश के साथ कार्यपालक अभियंता को वापस किया गया था, अंकित दर की जानकारी न तो उन्हें (श्री दयाल) और न कार्यपालक अभियंता को थी तो जाँच पदाधिकारी को कैसे हुई। अभिलेख से विदित होता है कि मुख्य अभियंता, औरंगाबाद के पत्रांक–3179, दिनांक 01.10.07 से अधीक्षण अभियंता (आरोपित पदाधिकारी) को प्रश्नगत संवेदकों के प्राइस बीड पर अपना हस्ताक्षर कर उसे सेफ कस्टडी में रखे जाने का निदेश दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि आलोच्य निविदादाताओं का वित्तीय बीड कार्यालय में ही उपलब्ध था जिसे जाँच पदाधिकारी के जाँच के दौरान खोलने पर समान रूप से अंकित दर अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम पाया गया। इससे स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत 9.5 प्रतिशत अधिक दर वास्तव में न्यूनतम अंकित दर से 24.50 प्रतिशत अधिक है।

अतः उपलब्ध अभिलेख एवं विभागीय जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में श्री दयाल तीन न्यूनतम दर दाताओं का निविदा निष्पादन के पूर्व अग्रधन की राशि वापस करने से संवेदक विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए दोषी पाया गया।

आरोप सं०–2 के संबंध में उपलब्ध अभिलेख से विदित हुआ कि 14.06.07 को प्राप्त तुलनात्मक विवरणी से संबंधित तीन निविदादाताओं की राशि को उनके अभ्यावेदन पर दिनांक 01.08.07 तक वापस करने का आदेश दिया गया एवं निविदा निष्पादन नहीं करने के कारण उनके बिना निष्पादन के ही 14.08.07 को निविदा निष्पादन कर शेष बचे दो निविदादाताओं में एक निविदादाता को अनुसूचित दर से 9.5 प्रतिशत अधिक दर पर कार्यावंटन किया गया जबकि उड़नदस्ता जाँच में अग्रधन वापस किए गए तीनों निविदादाताओं का अंकित दर समान रूप से अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम पाया गया। इससे यह बोध होता है कि श्री दयाल द्वारा न्यूनतम दर अंकित करने वाले तीनों निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने की परिस्थिति उत्पन्न की गई। अतः न्यूनतम दर दाता को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने की परिस्थिति उत्पन्न कर मनोनुकूल संवेदक से अधिक दर पर कार्यावंटन कर वित्तीय क्षति पहुँचाने के प्रयास के लिए आरोपित पदाधिकारी दोषी पाया गया।

आरोप सं०–3 के संबंध में उपलब्ध अभिलेख से विदित होता है कि अधीक्षण अभियंता (आरोपित पदाधिकारी) द्वारा कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा के तहत प्रस्तावित कार्य स्थल पर पूर्व के कार्य की अंतिम मापी लेकर एकरारनामा बन्द करने का निदेश दिया गया। इसी बीच तीन निविदादाताओं जिनका अंकित दर जाँच में न्यूनतम पाया गया, को उनके अभ्यावेदन पर दिनांक 24.04.07 एवं 01.08.07 को वापस करने का निदेश आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने पूर्व के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पत्रांक–379, दिनांक 09.08.07 द्वारा स्मारित भी किया। जिसके क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–666 दिनांक 12.08.10 द्वारा तुलनात्मक विवरणी पूर्व में ही समर्पित होने का उल्लेख किया गया परन्तु अंतिम मापी लेने के पूर्व आदेश के अनुपालन के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

तुलनात्मक विवरणी से भी विदित होता हुआ कि कार्यपालक अभियंता द्वारा शेष दो निविदादाताओं की तुलनात्मक विवरणी नहीं भेजी गई जबकि पूर्व प्रेषित पाँच निविदादाताओं की तुलनात्मक विवरणी पर ही आरोपित पदाधिकारी द्वारा दर

की स्वीकृति दी गई। इन तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि बिना पूर्व आदेश जिसके आलोक में निविदा निष्पादन उनके द्वारा रोक रखा गया था, को अनुपालित हुए दिनांक 17.08.07 को निविदा निष्पादित किया गया।

अतः उपर्युक्त तथ्यों/अभिलेख/बचाव बयान के परिप्रेक्ष्य में आरोपित पदाधिकारी आरोप सं०–3 के लिए दोषी पाए गए।

आरोप सं०–4 के प्रत्युत्तर की समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा निविदा निष्पादन में दो माह समय लगने के संचालन पदाधिकारी की विवेचना पर कहा गया है कि अधीक्षण अभियंता स्तर पर विभिन्न स्तरों से संचिका गुजरने के कारण विलंब हो जाता है परन्तु आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों का उल्लेख नहीं किया गया। अभिलेख से विदित हुआ कि 14.06.07 को आलोच्य कार्य की निविदा के तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरणी आरोपित पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होता है। दिनांक 14.06.07 से 26.06.07 तक इस पर किसी कार्रवाई के संदर्भ का उल्लेख नहीं किया गया जबकि इस अवधि में निष्पादन हो जाना चाहिए था। दिनांक 26.06.07 को श्री महादेव सिंह, संवेदक द्वारा आलोच्य कार्यस्थल पर उनके द्वारा पूर्व में कराए गए कार्य की अंतिम मापी नहीं होने के अभ्यावेदन पर संज्ञान लेते हुए कार्यपालक अभियंता को अंतिम मापी लेकर एकरारनामा बंद करने का निदेश दिया गया। ऊपर की कंडिकाओं में जैसा कि समीक्षा में पाया गया कि निदेश बिना अनुपालित हुए निविदा निस्तार कर अधिक दर पर कार्य आवंटित किया गया जिससे वित्तीय क्षति पहुँचाने का प्रयास का आरोप प्रमाणित पाया गया।

मामले की सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राजेश्वर दयाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत अभियंता प्रमुख के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–2218, दिनांक 06.10.2016 द्वारा "25 (पचीस) प्रतिशत पेंशन पर पाँच वर्षों तक रोक" का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्ड के आलोक में श्री दयाल द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न तथ्य दिया गया :–

**(1)** श्री दयाल द्वारा अपने बचाव बयान कंडिका 1.0 से 10.00 में पूर्व में इस तथ्य को उल्लेखित नहीं किए जाने को अंकित करते हुए गठित आरोप पत्र पर माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री (अनुशासनिक प्राधिकार) से बिना अनुमोदन प्राप्त किए, बिना दृष्टि में लाए मात्र उनसे विभागीय कार्यवाही संचालन तथा संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त कर संचालित विभागीय कार्यवाही अवैध होने के कारण अस्तित्वहीन होने एवं परिणामी दण्ड भी अवैध एवं निष्प्रभावी बताया गया है।

**(2)** श्री दयाल द्वारा अपने बचाव बयान की कंडिका 11.00 से 18.00 में न्यायादेश को अंकित करते हुए प्रथमतः विभागीय कार्यवाही का निर्णय लिए जाने एवं उसके बाद आरोप पत्र का गठन एवं अनुमोदन किए जाने को प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नहीं होने के कारण विधि की नजर में विभागीय कार्यवाही अवैध/अस्तित्वविहीन होने के कारण संचालित विभागीय कार्यवाही एवं अधिरोपित परिणामी दण्ड निरस्त करने योग्य कहा गया है।

**(3)** श्री दयाल द्वारा अपने बचाव बयान की कंडिका 19, 20 एवं 22 की उपकंडिकाओं में इसके पूर्व अकार्यकोटि में पदस्थापित रहने के कारण निविदा निस्तार का पहला मौका होने के कारण प्रक्रियात्मक त्रुटि होना बताया गया है। साक्ष्य के रूप में पदस्थापन विवरणी संलग्न किया गया है।

**(4)** श्री दयाल द्वारा अपने बचाव बयान की कंडिका 23 एवं 24 की विभिन्न उपकंडिकाओं में आरोप गठन से दण्डादेश निर्गत होने तक विभिन्न घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है।

**(5)** श्री दयाल द्वारा अपने बचाव बयान की कंडिका 25 की विभिन्न उपकण्डिकाओं में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के आधार से संबंधित तथ्यों के अन्तर्गत विषयांकित निविदा से संबंधित तुलनात्मक विवरणी प्राप्त होने के बाद के घटनाक्रम को अंकित करते हुए उनके स्थानान्तरण के पश्चात मुख्य अभियंता स्तर से गठित जाँच समिति द्वारा भी परिवादित तीनों निविदा का वित्तीय बीड नहीं खोले जाने एवं उनके प्रतिस्थानी अधीक्षण अभियंता द्वारा Safe custody में रखे जाने से उन्हें निविदित दर ज्ञात नहीं होने को प्रतिवेदित किया गया है जिससे कम दर उद्धृत करने वाले जान बूझकर निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए लांछित नहीं किए जाने को प्रतिवेदित किया गया है।

**(6)** श्री दयाल द्वारा अपने बचाव बयान की कंडिका 26 में विभागीय कार्यवाही संचालन में बरती गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित एवं न्याय निर्णयों में प्रतिपादन के अनुरूप अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिए जाने से अधिकार क्षेत्र का हनन एवं वित्तीय बीड खोले जाने का रहस्य का उद्घाटन नहीं होने को प्रतिवेदित किया गया है।

**(7)** श्री दयाल के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की कंडिका–27 में आरोपवार पक्ष रखे जाने एवं कंडिका –28 की विभिन्न उपकण्डिकाओं में आरोपवार तथ्य प्रतिवेदित किया गया है जो संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

**(क) आरोप संख्या–1 एवं 2 :–श्री दयाल द्वारा दोनों आरोप एक ही तथ्य पर आधारित मानते हुए एक ही साथ बयान प्रतिवेदित किया गया है :–**

**(i)** कार्यपालक अभियंता द्वारा आमंत्रित निविदा से संबंधित वर्ष 89–90 के एकरारित कार्य बन्द नहीं होने की जानकारी दिनांक 26.06.2007 को संवेदक के पत्र से सर्वप्रथम हुई जबकि वित्तीय बीड खोलने की तिथि 29.06.2007 थी जिस दिन अन्य ग्रुप का निविदा निस्तारित किया गया एवं ग्रुप–2 का वित्तीय बीड नहीं खोला गया।

**(ii)** उनके पत्र दिनांक 26.06.2007 एवं स्मार पत्र दिनांक 09.08.2007 से श्री आर0पी0 श्रीवास्तव, कार्यपालक अभियंता को पुराने एकरारित कार्य का मापी लेकर बन्द करने का निदेश दिया गया।

**(iii)** श्री श्रीवास्तव के पत्र दिनांक 12.08.2007 से निविदा संबंधी तुलनात्मक विवरणी, प्राक्कलन समर्पित होने को प्रतिवेदित किया गया जिससे पुराने एकरारनामा की मापी हो जाने का आभास होने पर दिनांक 14.08.2007 को वित्तीय बीड खोलकर वार्तालाप के बाद दिनांक 17.08.2017 को न्यूनतम दरदाता को कार्य आवंटित किया गया।

**(iv)** काफी एहतियात के बाद पुराने एकरारनामा की मापी लेने के बाद ही इस आवंटन आदेश के तहत कार्य का निदेश दिया गया।

**(v)** मुख्य अभियंता का पत्र दिनांक 01.10.2007 एवं अधीक्षण अभियंता–सह–अध्यक्ष मुख्य अभियंता स्तर से गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन दिनांक 13.09.07 से उनके द्वारा वित्तीय बीड नहीं खोला जाना स्पष्ट होता है। इस स्थिति में निविदित दर अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम होने की जानकारी नहीं थी।

अतः उनकी मंशा पर प्रश्न नहीं उठता है, भले प्रथम अवसर पर बिना वित्तीय बीड खोले राशि लौटाने के निर्णय में प्रक्रियात्मक त्रुटि रही हो।

**(vi)** अधीक्षण अभियंता के उक्त प्रतिवेदन में अग्रधन लौटाने के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव को भी प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए दोषी माना गया क्योंकि एकरारित कार्य का अंतिम मापी नहीं लिए जाने की जानकारी के बावजूद अग्रधन की राशि लौटाई गई परन्तु विभाग द्वारा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किए जाने से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

**(vii)** मुख्य अभियंता के पत्रांक–3179, दिनांक 01.10.2007 से उनके प्रतिस्थानी अधीक्षण अभियंता को उक्त तीन वित्तीय बीड अपने हस्ताक्षर से Safe Custody में रखने का निदेश दिया गया। उड़नदस्ता ने संचिका में रक्षित उक्त बीड से 15 प्रतिशत अनुसूचित दर से कम पाया परन्तु विभागीय कार्यवाही में उक्त वित्तीय बीड किसने, कब और किसके आदेश से खोला जाना स्थापित नहीं होता है जिससे वित्तीय बीड का Genuiness स्थापित नहीं हो सका। विभाग अधीक्षण अभियंता द्वारा जाँच में खोले जाने के कथन को उड़नदस्ता ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार नहीं किया गया और न संचालन पदाधिकारी ने गवाही लेकर इसे स्थापित किया जो एक गंभीर चूक है।

**(viii)** वर्ष 89–90 के एकरारनामा का बिना अंतिम मापी लिए श्री सहीदन उराँव, कार्यपालक अभियंता द्वारा 25.04.2007 को निविदा आमंत्रित कर दिनांक 14.06.2007 को तुलनात्मक विवरणी समर्पित कर 16.06.2007 को प्रभार सौंप दिए जो उनकी गंभीर चूक के कारण ही उलझन पैदा हुआ एवं विभाग द्वारा इसे प्रक्रियात्मक चूक मानकर उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

**(ix)** श्री उराँव के प्रतिस्थानी श्री आर0पी0 श्रीवास्तव ने भी 15.06.2007 से 12.08.2007 तक अंतिम मापी लेने के उनके आदेश का अनुपालन नहीं किया एवं बिना अंतिम मापी के उनके प्रक्रियात्मक त्रुटिपूर्ण आदेश के अनुपालन में अग्रधन की राशि वापस कर दी। उक्त दो त्रुटियों के लिए विभाग द्वारा उनपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

**(x)** उनके द्वारा उक्त कार्रवाई को Innocent Mistake अथवा Error of Judgement कहा जा सकता है चूँकि निविदा निस्तार का उनका प्रथम अवसर था। उनके द्वारा की गई कार्रवाई गलत मंशा से नहीं किए जाने से इसे Misconduct की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Inspector Premchand V/s Govt. of N.C.T. of Delhi & Others के मामले में कंडिका 12 में Misconduct को परिभाषित किए जाने का उल्लेख किया गया है।

**(xi)** श्री सहीदन उराँव, जो इस काण्ड के सृजनकर्त्ता थे के दोष को प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुए दोषमुक्त किए जाने एवं आर0पी0 श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने से उनके समानता का अधिकार (संविधान का अनुच्छेद–14) के तहत उन्हें भी समरूप लाभ मिलना चाहिए। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा R.P. Yadav V/s State of M.P. मामले में पारित न्याय निर्णय को उद्धृत किया गया है।

**(xii)** कोई क्षति नहीं होने से बिना ill Motive के Innocent Mistake के लिए नियम 43(बी) के तहत कोई दण्ड देना न्यायोचित नहीं होगा।

**(ख) आरोप संख्या 3** :– **(i)** इस आरोप में पुराने एकरारनामा का अंतिम मापी का अपने आदेश का बिना अनुपालन ही दिनांक 14.08.2007 को निविदा निस्तार कर दिए जाने का है।

**(ii)** दण्डादेश में कहा गया है कि "कार्यपालक अभियंता द्वारा शेष दो निविदादाताओं की तुलनात्मक विवरणी नहीं भेजी गई जबकि पूर्व प्रेषित पाँच निविदादाताओं की तुलनात्मक विवरणी पर ही आरोपित पदाधिकारी द्वारा दर की स्वीकृति दी गई है।" यह एक तथ्यात्मक त्रुटि है क्योंकि श्री केदारनाथ सिंह के प्रतिवेदन दिनांक 13.09.2007 में पाँच तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी एवं पाँचों वित्तीय बीड कार्यपालक अभियंता को 14.06.2007 को भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

**(iii)** दिनांक 14.08.2007 को दो निविदादाताओं का Price bid उनके कार्यालय में खोला गया जिसमें वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी पर कार्यपालक अभियंता एंव लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। अतः दो निविदादाताओं के बिना तुलनात्मक विवरणी की दर स्वीकृति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

**(iv)** दिनांक 14.06.2007 को पाँचों निविदादाताओं का तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरणी एवं वित्तीय बीड प्राप्त होने के उपरांत प्रथम बार दिनांक 26.06.2007 को पुराने एकरारनामा का अंतिम मापी नहीं होने को संवेदक के आवेदन से संज्ञान में आया एवं पत्रांक–312, दिनांक 26.06.2007 एवं पुनः पत्रांक–379, दिनांक 09.08.2007 से निदेशित किया गया।

**(v)** पत्रांक–384, दिनांक 17.8.2007 से कार्यावंटन आदेश में कार्यहित में बंधेज अंकित कर दिया था क्योंकि त्वरित सिंचाई योजना के तहत Central Assistance प्राप्त था।

**(vi)** श्री उराँव द्वारा निविदा आमंत्रित किए जाने एवं उनके आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में निविदा निस्तार के अलावा अन्य विकल्प नहीं था।

**(ग) आरोप संख्या 4 :– (i)** इसमें आरोप संख्या–1, 2, 3 को मिलाकर एक नया आरोप बनाया गया है जिसमें यह भी अंकित है कि दिनांक 14.06.2007 से 26.06.2007 तक निविदा निस्तार कर दिया जाना चाहिए था।

**(ii)** आगे उनका द्वारा कहा गया है कि प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तरों पर समय लगना स्वाभाविक है।

**(iii)** सभी संवेदकों को सूचित करने की प्रक्रिया अपनाते हुए निर्धारित तिथि 29.06.2007 को ग्रुप संख्या–1, 3 एवं 5 को निस्तारित किया गया परन्तु ग्रुप–2 का अंतिम मापी का अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में निस्तार नहीं किया गया।

**(iv)** दिनांक 12.08.2007 को कार्यपालक अभियंता द्वारा भ्रमात्मक प्रतिवेदन देकर निविदा का निस्तार का अनुरोध किया गया तो निविदा निस्तार 17.08.2007 को दर वार्ता कर उसी दिन कार्यावंटन आदेश निर्गत किया गया।

**(v)** उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि दिनांक 14.06.2007 से 26.06.2007 तक निविदा निस्तार नहीं किए जाने का आरोप तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किए बिना प्रमाणित माना गया है।

**(8)** सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त अभिलेख के अध्ययन के पश्चात पुनर्विलोकन ज्ञापन देने में विलंब को क्षान्त करने का अनुरोध किया गया है।

**(9)** अन्त में प्रतिवेदित किया गया है कि **(i)** अधीनस्थ दोनों कार्यपालक अभियंताओं को दोषी करार नहीं दिया जाना एवं उसी incident के लिए उन्हें दोषी करार दिए जाने से समानता के संवैधानिक अधिकार का हनन होगा।

**(ii)** पुरी विभागीय कार्यवाही को संधारणीय मानते हुए दण्डादेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है एवं संधारणीय माने जाने पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार बरकरार रहने को उल्लेखित किया गया है।

**(iii)** Merit पर भी उन्हें दोषी करार देकर disproportionate कठोर दण्ड का कोई वैधिक आधार नहीं है, विशेषकर जब दो कार्यपालक अभियंताओं को बरी कर दिया गया हो।

श्री दयाल द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में दिए गए तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि चारों आरोप का विषयवस्तु और सार लगभग एक ही है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा बटाने शीर्ष कार्य प्रमंडल, हरिहरगंज शिविर अम्बा के अन्तर्गत निविदा सूचना संख्या–1/2007–08 के ग्रुप संख्या–2 (बटाने दायाँ मुख्य नहर के चेन संख्या 627.0 पर फाल यह कैनाल साईफन कार्य) के लिए कुल प्राप्त पाँच निविदादाताओं में से ऐसे तीन निविदादाताओं जिनका निविदित दर अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम जाँच में पाया गया है, का अग्रधन की राशि निविदा निस्तार के पूर्व वापस कर दी गई । तब बचे दो निविदादाताओं का निविदा निस्तार एकरारनामा 32F2/89-90 के तहत कार्यान्वित कार्य का अंतिम मापी लेने के पूर्व आदेश का अनुपालन कराए बिना संवेदक को लाभ पहुँचाए जाने की नियत से दिनांक 17.08.2007 को करते हुए 9.5 प्रतिशत अधिक दर पर कार्यावंटन किया गया जिससे न्यूनतम निविदित दर से 24.5 प्रतिशत दर पर कार्यावंटन होने से वित्तीय क्षति पहुँचाने का प्रयास किया गया।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिए गए पुनर्विलोकन अभ्यावेदन से विदित होता है कि पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में आरोप संदर्भित उन्हीं तथ्यों को सविस्तार उद्धृत किया गया है जो इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के पूर्व, कार्यवाही संचालन के दौरान संचालन पदाधिकारी को दिया गया है। इनके बचाव बयान की समेकित समीक्षा के उपरांत विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी चारों आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी के उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षोपरांत इसे अस्वीकार योग्य मानते हुए एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

**"25 (पचीस) प्रतिशत पेंशन पर पाँच वर्षों तक रोक"।**

आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उड़नदस्ता द्वारा श्री सहीदन उराँव को प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए दोषी माना गया था परन्तु श्री उराँव को दोषमुक्त कर दिया गया तथा मुख्य अभियंता के प्रतिवेदन में श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव को भी अग्रधन राशि लौटाने के लिए दोषी माना गया था जिनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गई। इन्हीं दोनों के आधार पर समानता का अधिकार हेतु आरोपित पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है। जहाँ तक उड़नदस्ता द्वारा श्री उराँव, कार्यपालक अभियंता को दोषी पाए जाने का सम्बन्ध है, इस संदर्भ में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बिना एकरारनामा बंद किए निविदा आमंत्रित करने तथा विषयांकित अवशेष कार्य का तुलनात्मक विवरणी एवं प्राक्कलन पूर्व के एकरारनामा का बिना अंतिम मापी लिए अंचलीय कार्यालय में समर्पित करने के संबंध में श्री उराँव, कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण माँगा गया एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा में स्वीकार योग्य पाते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया। जहाँ तक श्री श्रीवास्तव का सन्दर्भ है, उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में इनके संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं रहने के कारण इनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा आरोप के संदर्भ में कोई नया तथ्य दिया गया है। अतएव सम्यक समीक्षोपरांत श्री राजेश्वर दयाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत अभियंता प्रमुख के पुनर्विचार अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इसे अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश्वर दयाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत अभियंता प्रमुख के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**चन्द्रमा प्रसाद, अवर सचिव।**

———————

19 मार्च 2018

**सं० 22/नि०सि०(पट0)–03–16/2016/758**––श्री माधो प्रसाद सिंह (आई0डी0–J-7741), तत्कालीन कनीय अभियंता, रूपांकण प्रमंडल संख्या–1, अनिसाबाद, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, नौतन (तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया) के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल संख्या–1, अनिसाबाद, पटना द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर समुचित कार्रवाई करने हेतु विभाग को समर्पित किया गया।

**आरोप :–**

**आरोप–1** :– उच्चाधिकारियों के साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी देना तथा अमर्यादित व्यवहार करना।

**आरोप–2** :– स्वेच्छा से बिना आवेदन दिए हुए कार्यालय से अनुपस्थित रहने के आदि।

उक्त आरोप अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है जिसके लिए श्री माधो प्रसाद सिंह से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के तहत आरोप पत्र एवं संलग्न साक्ष्य के साथ विभागीय पत्रांक–1998 दिनांक–07.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराते हुए आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। इस क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय पत्रांक–887 दिनांक 12.06.2017 द्वारा उपलब्ध कराते हुए मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–824 दिनांक 01.07.2017 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री माधो प्रसाद सिंह के विरूद्ध गठित उक्त आरोपों के संदर्भ में प्राप्त स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा प्राप्त मंतव्य पर समीक्षा से स्पष्ट होता है कि श्री माधो प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता को कार्य के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और सरकारी सेवक के अनुकूल आचरण करना चाहिए।

अतएव सम्यक समीक्षोपरांत विभाग के स्तर पर श्री माधो प्रसाद सिंह (आई0डी0–J-7741), तत्कालीन कनीय अभियंता, रूपांकण प्रमंडल संख्या–1, अनिसाबाद, पटना को निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

**1. एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।**
**2. चेतावनी।**

उक्त निर्णय के आलोक में श्री माधो प्रसाद सिंह (आई0डी0–J-7741), तत्कालीन कनीय अभियंता, रूपांकण प्रमंडल संख्या–1, अनिसाबाद, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

**1. एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।**
**2. चेतावनी।**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

———————

14 मार्च 2018

**सं0 22/नि0सि0(डि0)–14–14/2016–662**––श्री राजेश कुमार (आई0डी0–3599), कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के अन्तर्गत निर्माणाधीन मलई बराज योजना के निर्माण में अनियमितता बरतने के मामले में विभागीय स्तर से गठित संयुक्त जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2069, दिनांक 28.11.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित है। पुनः उक्त मामले में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं सम्यक विचारोपरांत श्री राजेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए पूरक आरोप पत्र गठित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश कुमार (आई0डी0–3599), सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

———————

13 मार्च 2018

**सं० 22/नि०सि०(मोति0)08–03/2013(अंश–1)(खंड–क)/649**––श्री दिलीप कुमार (आई0डी0–4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर को नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक परियोजना के अंतर्गत एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग करने संबंधी वित्तीय अनियमितता एवं जान–बुझ कर सरकारी राशि के गबन करने में सहयोग करने संबंधी निम्नांकित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–206 दिनांक 13.02.2014 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–295 दिनांक 12.03.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजक्ट के अंतर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है। तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग के जाँच में पाया गया कि स्थानीय सामग्री के प्रयोग के बावजूद भी सामग्री ढुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद दर के अनुरूप किया गया है, फलस्वरूप सिर्फ सामग्री ढुलाई मद में 24.65 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ है जो, एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है एवं जान–बुझ कर सरकारी राशि के गबन करने में सहयोग किया गया परिलक्षित होता है जिसके लिए वे प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No-16266/15 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 13.01.2016 के आलोक में विभाग द्वारा श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0–1513 दिनांक 26.07.2016 द्वारा दिनांक 20.05.2016 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी (अपर विभागीय जाँच आयुक्त) द्वारा श्री दिलीप कुमार के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक–1374 दिनांक 18.08.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गयी। उक्त आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

i. अपर विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन अंग्रेजी में है। सम्पूर्ण जाँच प्रतिवेदन को हिन्दी मे अनुवादित कर उसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।

ii. संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक निदेशक द्वारा एम0एन0 फॉर्म के सत्यापन के बाद ही सामग्री की ढुलाई का भुगतान किया गया था, जो पूर्णतः नियमानुकूल था।

iii. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त का जाँच प्रतिवेदन निगरानी विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन तथा जल संसाधन विभाग के उड़नदस्ता की संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया गया है, लेकिन निगरानी विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन श्री अशोक कुमार सिंहा, अधीक्षण अभियंता एवं श्री निखिलंदु निखिल, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन श्री आनंद मोहन मिश्र, कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल–1, पटना तथा श्री मदन मोहन द्विवेदी, सहायक अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा दिनांक–30.05.2013 को तैयार किया गया था, जिसे श्री उपेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना के माध्यम से प्रधान सचिव को अग्रसारित है, जिसके आधार पर संचालन पदाधिकारी ने आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया है लेकिन, उपरोक्त सभी जाँच कर्ताओं को विभागीय कार्यवाही में न तो गवाह के रूप में बुलाया गया है और न ही उनका बयान दर्ज किया गया है। साथ हीं उन्हें प्रतिपरीक्षण किये जाने का भी अवसर नहीं प्रदान किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

iv. अपर विभागीय जाँच आयुक्त का जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता श्री रामपुकार रंजन के प्रतिवेदन पर आधारित है। जबकि, विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान न तो तत्कालीन मुख्य अभियंता को गवाह के रूप में बुलाया गया और न ही उन्हें प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया गया, जो सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–12196 दिनांक 07.09.2016 के निदेशों के प्रतिकूल है।

v. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियमों की अनदेखी करते हुए संचालन पदाधिकारी ने उन्हें सुनवाई का पर्याप्त मौका नहीं दिया। इस प्रकार अपर विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पूर्ण रूप से दूषित हो जाता है।

**विभागीय समीक्षा** :–

तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन में मुख्य रूप से इस बात का उल्लेख है कि मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल के अधीन कराये गये पुनर्स्थापन कार्य में कम से कम 61.62 प्रतिशत स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया, जबकि, प्राक्कलन में शेखपुरा से स्टोन मेटल एवं कोईलवर से बालू लाए जाने का प्रावधान किया गया था। प्राक्कलन में प्रावधानित विशिष्टयों की अनदेखी करते हुए स्थानीय स्तर से सामग्री की अधिप्राप्ति की गयी, जिसके कारण कार्य की गुणवत्ता खराब

हुई। तत्कालीन मुख्य अभियंता, श्री रामपुकार रंजन द्वारा निम्नांकित पत्रों के माध्यम से इस तथ्य को उदघोषित किया गया कि कार्य मे गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है :–

| क्रमांक | निरीक्षण प्रतिवेदन ज्ञापांक/पत्रांक सं0 एवं दिनांक | निरीक्षण में पाई गयी अनियमितता। |
|---|---|---|
| 01 | 96/23.02.2012 | मुख्य पश्चिमी नहर आर0डी0 0.00 से आर0डी0 62.5 के बीच कराये जा रहे कार्य विशिष्टता एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया। |
| 02 | 479/31.03.2012 | मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल के अंतर्गत पीसी0सी0 लाईनिंग कार्य मे क्यूरिंग के अभाव में स्टेअर का पी0सी0सी0 भूर–भूरा हो गया है। सीढ़ी के बीच में सिंगल्स डालकर चारों तरफ से पी0सी0सी0 ढलाई का कार्य कर दिया गया है। पूर्व में दिये गये निदेश के बावजूद महलवारी मे स्थानीय स्टोन चिप्स/मेटल को नहीं हटाया गया है। अभी भी स्थानीय सामग्री स्टोन चिप्स/मेटल का ढेर पाया गया एवं उसे व्यवहार में लाया जा रहा है। |
| 03 | 557/27.04.2012 | मुख्य पश्चिमी नहर के आर0डी0 9.50 से आर0डी0 10.50 के बीच बायॉ भाग पर कराये जा रहे पी0सी0सी0 लाईनिंग का कार्य एकरारनामा के अनुरूप सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन लाईनिंग का थिकनेस चार इंच के बदले तीन इंच ही पाया गया। क्यूरिंग भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। पैनलिंग के कार्य मे भी स्थानीय चिप्स का उपयोग किया जा रहा था। आर0डी0 24.45 के बायॉ भाग में कराये जा रहे फिडर चैनल में भी स्थानीय सामग्री स्टोन चिप्स का उपयोग किया जा रहा था। |
| 04 | 1783/07.09.2012 | मुख्य पश्चिमी नहर आर0डी0 0.00 से 62.00 के बीच कराये जा रहे कार्यों में बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद भी कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कनीय अभियंता/सहायक अभियंता अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर संवेदक के साथ मिलकर कार्य कर रहे है, जो एक गम्भीर मामला है। अन्य भाग में कार्यों में स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। कार्य विशिष्टता एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है। इसलिए कार्य स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता, श्री ब्रजभूषण शर्मा एवं श्री विशेश्वर नारायण को निलंबित करने की अनुशंसा की जाती है। कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिससे कार्य की विशिष्टिता एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। |
| 05 | 72/20.10.2012 | मुख्य पश्चिमी नहर, वाल्मीकिनगर अंतर्गत तिरहुत मुख्य नहर के वि0दू0 25.00 पर निर्माणाधीन एक पथीय सेतु का निरीक्षण किया गया। स्थल पर एग्रीगेट डम्प किया हुआ था। एग्रीगेट लगभग 40 प्रतिशत निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं था। एग्रीगेट के साथ डस्ट मिला हुआ था तथा स्थानीय एग्रीगेट मिला हुआ था। |
| 06 | 2255/25.11.2012 | मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल के आर0डी0 5.85 के डी0/एस0 मे दायॉ बैंक मे लगभग 100 फीट मे पी0सी0सी0 लाईनिंग पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। फिल्टर मेटेरियल जो शेखपुरा से लाना था के बदले रिभर बेड का सिंगल्स/Spawls 100 प्रतिशत लगाया गया है, जो तकनीकी दृष्टिकोण से एकदम गलत है। इसे घोर अपराध की संज्ञा दी जा सकती है। आर0डी0 5.85 के 800 फीट डी0/एस0 में पी0सी0सी0 लाईनिंग क्षतिग्रस्त है। वहॉ भी फिल्टर मेटेरियल की जगह सिंगल्स/Spawls का उपयोग किया गया है। नहर के आर0डी0 12.85 एवं आर0डी0 14.00 पर क्षतिग्रस्त लाईनिंग में भी सिंगल्स/Spawls का उपयोग फिल्टर मेटेरियल में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कराये गये पूरा लाईनिंग कार्य का फिल्टर मेटेरियल में मेटल की जगह स्थानीय सामग्री/सिंगल्स स्पाल्स का उपयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा जब नहर में लाईनिंग का कार्य कराया जा रहा था उस समय कनीय अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक कोई भी पदाधिकारी कार्य स्थल पर तकनीकी नियंत्रण नहीं करते थें। कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि स्थानीय सामग्री से कराये गये कार्य को अविलंब डिसमेंटल कर मानक सामग्री का उपयोग कर कार्य की गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। |

| | | |
|---|---|---|
| 07 | 21/07.01.2013 | शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर अंतर्गत वाल्मीकिनगर बराज का दायॉ एफलक्स बॉध का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि दायॉ एफलक्स बॉध पर निर्मित पी0सी0सी0 रोड कई जगहों पर टूट–फूट गया है। पूर्व में स्थानीय सामग्रियों का उपयोग न कर कार्य कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु, विभागीय पदाधिकारियों द्वारा निदेश का अनुपालन नहीं किया गया, फलस्वरूप निर्मित रोड क्षतिग्रस्त हो गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि गुणवत्ताविहीन कार्य को डिसमेंटल किया जाय एवं मानक सामग्री का उपयोग कर गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य कराया जाय। |
| 08 | 546/21.04.2012 | दोन शाखा नहर सेवा पथ कार्य के निरीक्षण में पाया गया कि स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जो प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार कराया गया कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। |

मुख्य अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि कार्य मे स्थानीय एवं गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन, मुख्य अभियंता के निदेश के बावजूद भी श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को लीड का भुगतान प्राक्कलन में प्रावधानित मद दर के अनुसार किया गया। इतने बड़े पैमाने पर किये जा रहे अनियमितता की बात मुख्य अभियंता द्वारा कार्यपालक अभियंता के संज्ञान में लाए जाने के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा संवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इसके विपरीत नियम विरूद्ध तरीके से संवेदक को लीड का भुगतान किया गया, जिसके कारण सरकार को 24.65 करोड़ की क्षति उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। मूल आरोपों के संदर्भ में श्री कुमार के द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर में कुछ भी अंकित नहीं है। इनके द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर में इस बात का उल्लेख नहीं है कि स्थानीय सामग्री का उपयोग किये जाने के बावजूद भी संवेदक को प्राक्कलन में प्रावधानित मद दर के अनुसार लीड का भुगतान क्यों किया गया। मूल आरोपों से अलग श्री कुमार ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में अप्रासंगिक बातों का उल्लेख किया गया। अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन अत्यंत ही सरल एवं बोधगम्य भाषा में है। इसलिए श्री कुमार का यह कहना कि अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन का हिन्दी रूपांतरण उन्हें उपलब्ध कराया जाये स्वीकारयोग्य नहीं माना गया। जहॉ तक आरोप को सम्पुष्ट करने से संबंधी गवाहों के बयान एवं प्रतिपरीक्षण का संबंध है, संचालन पदाधिकारी द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विवेचनोपरांत आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान श्री कुमार द्वारा जिन कागजातों की मॉग की गयी, उसे उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान की विस्तृत समीक्षा संचालन पदाधिकारी–सह–अपर विभागीय जॉच आयुक्त के जॉच प्रतिवेदन में की गयी है। संचालन पदाधिकारी ने उन्हें सुनवाई हेतु पर्याप्त समय दिया एवं भलिभॉति सम्पुष्ट होने के उपरांत ही विभागीय कार्यवाही के अभिलेख को बंद करते हुए अपना अभिमत गठित किया है। इसलिए श्री कुमार का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकारयोग्य नहीं माना गया। इनके विरूद्ध प्रपत्र–'क' मे गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया।

2. मामले की सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री दिलीप कुमार (आई0डी0–4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–01, गोह, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के तहत ''**सेवा से बर्खास्त**'' करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

3. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर परामर्श की मॉग की गई जिस पर आयोग के पत्रांक–2654 दिनांक 01.02.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

4. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना प्राप्त सहमति के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री दिलीप कुमार (आई0डी0–4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–01, गोह, औरंगाबाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित की जाती है।

5. श्री दिलीप कुमार (आई0डी0–4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–01, गोह, औरंगाबाद को सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

6 मार्च 2018

**सं० 22/नि०सि०(पट0)03–01/2009/562**––श्री विजय कुमार सिन्हा (ID-2271), तत्कालीन सहायक अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा, पटना (प्रतिनियुक्त कुसहा तटबंध) के विरूद्ध घोर कदाचार, अनियमितता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–342 दिनांक 24.04.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण

एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को उनके दिनांक 30.09.2015 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) में सम्परिवर्तित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**चन्द्रमा प्रसाद, अवर सचिव।**

————————

23 फरवरी 2018

**सं० 22/नि०सि०(सिवान)–11–21/2011/514**––श्री राजेश्वर दयाल (आई0डी0–2467), तत्कालीन अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बाढ़ 2011 के पूर्व गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण प्रमंडल के कि0मी0 117.05 से 152.00 के बीच दो अदद् पायलट चैनल के निर्माण कार्य के कार्यमद के गठन, निविदा निष्पादन तथा कार्य में बरती गई कतिपय अनियमितता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–709 दिनांक 27.04.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी (विभागीय जाँच आयुक्त) द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के अन्तर्गत कालबाधित होने के कारण विभागीय कार्यवाही को संधारणीय नहीं होने का मंतव्य दिया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री दयाल को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश्वर दयाल (आई0डी0–2467), तत्कालीन अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार, सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

23 फरवरी 2018

**सं० 22/नि०सि०(सिवान)–11–21/2011/513**––श्री राम पुकार रंजन (आई0डी0–3272), तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के विरूद्ध विभागीय उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सारण तटबंध के 117.05 कि0मी0 से 124.25 कि0मी0 एवं 142.70 कि0मी0 से 152.00 कि0मी0 के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य में अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन न करने एवं मुख्यालय स्तर से दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं कराये जाने संबंधी कतिपय अनियमितता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1485 दिनांक–02.12.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी (विभागीय जाँच आयुक्त) द्वारा आरोप अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। आलोच्य मामले की जाँच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा भी की गयी। उक्त जाँच प्रतिवेदन, निगरानी विभाग, पटना के पत्रांक–3205 दिनांक 09.06.2014 से प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग के प्रतिवेदन के आलोक में श्री रंजन से समेकित कार्यमद की स्वीकृति प्रदान करने, निविदा शर्त/एकरारनामा शर्त के विरूद्ध कार्य कराने आदि कतिपय आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1360 दिनांक 16.09.2014 द्वारा स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा की माँग की गई।

उक्त के आलोक में श्री रंजन द्वारा समर्पित जवाब एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री रंजन से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में सरकार द्वारा श्री रंजन को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम पुकार रंजन (आई0डी0–3272), तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान को आरोप मुक्त किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

23 फरवरी 2018

**सं० 22/नि०सि०(सिवान)–11–01/2012/512**––श्री श्रीराम सिंह (आई0डी0–1836), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण एवं योजना प्रमंडल, गाडा, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध गंडक कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण की जल निस्सरण योजनाओं में भ्रष्टाचार संबंधी विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में गठित आरोप पत्र पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–543 दिनांक–31.03.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–68 दिनांक 08.07.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में समर्पित जाँच प्रतिवेदन में 2 आरोपों का प्रमाणित तथा 2 आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। प्रमाणित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–1614 दिनांक 29.07.2016 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। जिसके आलोक में श्री सिंह के पत्रांक–शून्य दिनांक 19.08.2016 द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत वित्तीय क्षति

नहीं होने एवं मामला बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत् कालबाधित होने के कारण श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्रीराम सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण एवं योजना प्रमंडल, गाडा, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

23 फरवरी 2018

**सं0 22/नि0सि0(डि0)–14–01/2018–511**––श्री इन्द्रदेव प्रसाद मण्डल (आई0डी0–जे–9027) सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, सासाराम के संबंध में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–यो०स्था 04/3–16/2017–28, दिनांक 03.01.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शराब के नशे की हालत में दिनांक 06.11.2017 को श्री प्रसाद को हिरासत में लिया गया तथा वे दिनांक 16.11.2017 तक हिरासत में रहे।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त मामले पर सम्यक् विचारोपरांत श्री इन्द्रदेव प्रसाद मण्डल (आई0डी0–जे–9027) सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, सासाराम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(2) (क) के तहत दिनांक 06.11.2017 से 16.11.2017 तक की अवधि के लिए निलंबित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री इन्द्रदेव प्रसाद मण्डल, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, सासाराम को दिनांक 06.11.2017 से 16.11.2017 तक की अवधि के लिए निलंबित किया जाता है।

उक्त निलंबन अवधि के लिए नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**चन्द्रमा प्रसाद, अवर सचिव।**

———————

9 फरवरी 2018

**सं० 22/नि०सि०(मोति0)–08–06/2010/299**––श्री राजेन्द्र ठाकुर (आई0डी0–J-5056), तत्कालीन कनीय अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं0–01, मोतिहारी (संप्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता) के विरूद्ध वर्ष 2008–09 में तिरहुत नहर प्रमंडल सं0–01, मोतिहारी के आगे सड़क निर्माण कार्य से संबंधित पी0सी0सी0 मद स्थलीय जाँच संबंधी उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक–509 दिनांक–24.02.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

1. पी0सी0सी0 सड़क कार्य की गुणवत्ता जाँच में सीमेंट बालू का अनुपात 1:2 के स्थान पर 1:4:1 पाया गया, जो विशिष्टि से काफी कम है, जिसके लिए वे दोषी है।

2. वर्ष 2009–10 में संपादित कार्यों की उड़नदस्ता दल के स्थलीय जाँच में रंगाई, पोताई एवं पेंटिंग कार्य घटिया स्तर का पाया गया। कलरवाश का कार्य पुराने कोट पर ही किया हुआ पाया गया, जिसके लिए वे दोषी है।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री ठाकुर के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। समीक्षोपरांत आरोप सं0–01 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए किन्तु आरोप सं0–02 यथा वर्ष 2009–10 में शिविर सम्पोषण कार्य में घटिया स्तर के रंगाई, पोताई एवं पेंटिंग का कार्य कराने तथा पुराने कोट पर ही कलरवाश का कार्य कराने के प्रमाणिकता/अप्रमाणिकता की स्थिति साक्ष्य के आभाव में स्पष्ट नहीं हो पाने की स्थिति मे उनसे उक्त प्रमंडल के प्रश्नगत कार्य अवधि में पदस्थापन एवं उनके द्वारा उक्त कार्य कराया गया है अथवा नहीं के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–956 दिनांक 19.05.2016 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई।

उक्त आलोक में श्री ठाकुर, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के बचाव–बयान के मुख्य अंश निम्नवत है :–

इनके द्वारा कहा गया कि उक्त प्रमंडल में दिनांक 29.12.2008 से 04.01.2010 तक रहें है। उक्त अवधि में न तो उनके द्वारा कार्य कराया गया है न ही भुगतना किया गया था। प्रभार ग्रहण करने एवं विरमन संबंधी सेवापुस्त की प्रति संलग्न किया गया है।

द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर के समीक्षा के क्रम में श्री ठाकुर द्वारा यह कहा जाना कि आरोप से संदर्भित कार्य में उनकी कोई सम्बद्धता नहीं रही है। इसलिए वे निर्दोष हैं परन्तु संचिका में वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण श्री ठाकुर की उक्त कथन की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–01, मोतिहारी से प्रश्नगत कार्य से संबंधित मापपुस्त छायाप्रति के साथ–साथ श्री ठाकुर के प्रश्नगत कार्य में संबद्धता के सन्दर्भ में मंतव्य की माँग की गयी। उक्त आलोक में कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–01, मोतिहारी द्वारा पत्रांक–1298 दिनांक 23.10.2017 से मापपुस्त की छायाप्रति एवं मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत कार्य में श्री ठाकुर की संबद्धता नहीं रही है। उक्त आलोक में श्री ठाकुर के विरूद्ध वर्ष 2009–10 में संपादित मोतिहारी स्थित भवन मरम्मति कार्य के तहत घटिया स्तर के रंगाई–पोताई एवं पेंटिंग कार्य कराने तथा पुराने कोट को बिना हटाये कलरवाश कराने के आरोप को अप्रमाणित माना गया।

समीक्षोपरांत श्री राजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कनीय अभियंता (संप्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता), तिरहुत नहर प्रमंडल–01, मोतिहारी की योजना से असम्बद्ध रहने के कारण आरोप मुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र ठाकुर (आई0डी0–J-5056), तत्कालीन कनीय अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–01, मोतिहारी संप्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता को आरोप मुक्त किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

9 फरवरी 2018

**सं० 22/नि०सि०(डि0)–14–14/2016/295**––श्री धीरेन्द्र कुमार (आई0डी0–जे0-9742), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के अन्तर्गत निर्माणाधीन मलई बराज योजना के निर्माण में अनियमितता बरतने के मामले में विभागीय स्तर से गठित संयुक्त जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2068 दिनांक 28.11.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित है। पुनः उक्त मामले में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरांत श्री धीरेन्द्र कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, नावानगर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए पूरक आरोप पत्र गठित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री धीरेन्द्र कुमार (आई0डी0–j-9742), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, नावानगर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया निर्धारित किया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश माहन, संयुक्त सचिव।**

———————

9 फरवरी 2018

**सं0 22/नि0सि0(सम0)02–04/2014**–278––श्री सच्चिदानंद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता (आई0डी0–जे0 4966), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या–2, झंझारपुर के पद पर पदस्थापित थे तो कमला–बलान दायाँ तटबंध के कि0मी0 70.80 एवं कि0मी0 74.00 के पास कुम्हरौल गाँव एवं बौड़ ग्राम के पास दिनांक 15.08.14 को हुए टूटान आदि आरोपों के लिए प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०–1107, दिनांक 16.08.14 द्वारा निलंबित करते हुए आपके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 में विहित रीति के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2089, दिनांक 24.12.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–621, दिनांक 22.07.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर किया गया एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया एवं साथ ही निलंबन अवधि डेढ़ साल व्यतीत हो जाने के कारण निलंबन मुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–755, दिनांक 10.05.16 द्वारा श्री सिन्हा को निलंबन मुक्त किया गया एवं विभागीय पत्रांक–730, दिनांक 05.05.16 द्वारा असहमति के निम्न बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी –

(1) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–2, झंझारपुर के कार्यक्षेत्राधीन दायाँ कमला बलान तटबंध के कि0मी0 74.80 एवं कि0मी0 70.00 के पास कुम्हरौल गाँव एवं बौड़ ग्राम के पास दिनांक 15.08.14 को हुए टूटान एवं कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही।

(2) विभागीय निदेशों के अनुरूप तटबंध की गश्ती नहीं करने का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, लेकिन तटबंध की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरतने, दायित्व के निर्वहन में घोर उदासीनता बरतने एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप उक्त के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिया गया है जो इस प्रकार है :–

**बिन्दु (1)** (i) कमला नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप दिनांक 15.08.14 को नदी का जलस्तर 52.85मी0 हो गया।

(ii) अपने कार्यक्षेत्र 44.00–75.00कि0मी0 के बीच सरकारी जीप BRG-5807 से सघन पेट्रोलिंग कर रहा था।

(iii) प्रतिनियुक्त होमगार्ड तटबंध की सुरक्षा हेतु लगाये गये थे।

(iv) कि0मी0 48.70 पर संवेदक संतोष कुमार यादव के माध्यम से जलश्राव रोकने का कार्य किया गया।

(v) कि0मी0 60.68, 64.00, 67.00, 73.20, 73.40, 73.80, 69.0, 66.0, 70.80, 74.0 पर पाईपिंग पर नियंत्रण एवं कुछ बिन्दुओं पर पुनः नियंत्रण का कार्य श्री योगेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, श्री अशोक कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता, श्री मनोज कुमार, कनीय अभियंता, श्री रामपुकार यादव, संवेदक एवं श्री संतोष कुमार यादव, संवेदक से लगातार सम्पर्क किया गया।

(vi) कि0मी0 70.80 पर 15.08.14 के अपराह्न में पाईपिंग की सूचना प्राप्त होने पर श्री रामपुकार यादव, संवेदक की मदद से पाईपिंग पर नियंत्रण पा लिया गया था कि एकाएक 5.40 बजे अपराह्न में श्री अशोक कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता द्वारा कि0मी0 70.80 पर बाँध टूटने की सूचना दी गई। तत्क्षण 5.45 बजे कार्यपालक अभियंता का सूचना दी गई।

(vii) टूटान को बाँधने का पहल किया गया। परन्तु अप्रत्याशित पानी के दबाव के कारण टूटान को रोकना संभव नहीं हो सका।

(viii) राशि 10.00बजे श्री सिन्हा, कनीय अभियंता द्वारा कि0मी0 74.00 पर बाँध टूटने की सूचना दी गई उस वक्त मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के साथ कि0मी0 64.0 पर था।

(ix) खैरियत प्रतिवेदन लेते हुए एवं कार्यपालक अभियंता से प्राप्त निदेश के अनुसार कार्य कराते रहा।

**बिन्दु (2)** (i) नदी का जलस्तर 52.00मी0 से उपर अथवा नीचे दोनों ही परिस्थिति में सघन पेट्रोलिंग की गईं है।

**(ii)** तटबंध की सुरक्षा हेतु बालू का भंडारण स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार किया गया।

(iii) दिनांक 15.08.14 को नीजी मोबाईल से 56(छप्पन) अद्द call तटबंध की सुरक्षा हेतु किया गया। संवेदक एवं कनीय अभियंता को बराबर निदेश देता रहा हूँ।

(iv) तटबंध के कि0मी0 48.70, 60.80, 64.00, 66.00 69.00, 70.80, 73.20, 73.40 एवं 74.00 पर हो रहे पाइपिंग बिन्दु पर पहुँचकर पाइपिंग को नियंत्रित कराया गया।

(v) कमला बलान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सुबह ही पार कर गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये निदेश एवं मेरे द्वारा की गई वार्त्ता का साक्ष्य मोबाईल के Call detail से प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) तटबंध के कि0मी0 70.80 पर टूटान की सूचना एकाएक कनीय अभियंता द्वारा 5.40 बजे अपराह्न दिया गया जिसकी सूचना कार्यपालक अभियंता को 5.45 बजे दी गई।

(vii) तटबंध के कि0मी0 74.00 पर टूटान की सूचना रात्रि 10.00 बजे कनीय अभियंता द्वारा दी गई। तत्पश्चात उक्त सूचना मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को अवगत करा दिया एवं उस समय उनके साथ कि0मी0 64.00 पर था।

(viii) द्वितीय कारण पृच्छा के साथ संलग्न संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में कहीं भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री मिथिलेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता श्री नवल किशोर सिंह, सहायक अभियंता, श्री दिनेश राय, सहायक अभियंता, श्री योगेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता एवं श्री रमेश झा, जीप चालक से लिखित सूचना प्राप्त की गई है। प्राप्त सूचना में लापरवाही, उदासीनता या आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप नहीं है।

उक्त के आलोक में श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी, जिसमें निम्न तथ्य पाया गया :–

कमला बलान दायाँ तटबंध के कि0मी0 70.80 एवं 74.00 पर दिनांक 15.08.14 को हुए टूटान मामले में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2089, दिनांक 24.12.14 से कुल चार आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा गठित सभी आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया। परन्तु विभागीय समीक्षोपरांत प्रथम आरोप एवं चौथा आरोप (अंश) प्रमाणित पाया गया। जिसके लिए विभागीय पत्रांक–730, दिनांक 05.05.16 से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। द्वितीय कारण पृच्छा एवं इसके क्रम में आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिए गए बचाव बयान से स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दोनों ही आरोपों के लिए सदृश बात कही गयी है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान दिये गये बयाव बयान सदृश ही द्वितीय बचाव बयान में तथ्य अंकित किया गया है। अर्थात कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री सिन्हा के विरूद्ध दायाँ कमला बलान तटबंध के कि0मी0 70.80 एवं कि0मी0 74.0 पर दिनांक 15.08.14 को हुए टूटान एवं कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने, दायित्व के निर्वहन में घोर उदासीनता बरतने एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के संबंध में दिया गया द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप श्री सच्चिदानंद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–2, झंझारपुर को प्रमाणित आरोप के लिए **"एक (01) वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड देने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया। उक्त दण्ड निर्णय पर माननीय मंत्री महोदय का एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में श्री सच्चिदानंदन सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–2, झंझारपुर को निम्न दंड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है :–

**"एक वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

9 फरवरी 2018

**सं0 22/नि0सि0(सम0)02–04/2014**–277––श्री मिथिलेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0डी0 सं०–3611), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या–2, झंझारपुर के पद पर पदस्थापित थे तब आपके विरूद्ध तटबंध की सुरक्षा में लापरवाही बरतने, दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के लिए प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–727, दिनांक 31.07.16 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–343, दिनांक 31.07.16 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर किया गया एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमती के निम्न बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया जो इस प्रकार है :–

आपके द्वारा कहा गया है कि दिनांक 15.08.14 को प्रभारी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता द्वारा 8.00 बजे सुबह में तटबंध सुरक्षित होने की सूचना दी गयी। दिनांक 15.08.14 को तटबंध गश्ती के क्रम में वे 1.00 बजे से 4.00 बजे तक तटबंध के कि0मी0 37.0 से 47.0 के बीच विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करते हुए सिपेज रोकने का प्रयास किया जा रहा था परंतु इसी बीच तटबंध की टूटने की सूचना प्राप्त हुई। आपके द्वारा बाढ़ अवधि में तटबंध की सुरक्षा हेतु प्रभार ग्रहण की तिथि दिनांक 07.07.14 के पश्चात एवं टूटान से पूर्व की गई कार्रवाई तथा अधीनस्थ पदाधिकारी से तटबंध की निगरानी कराने के संदर्भ में की गई कार्रवाई का न तो कोई उल्लेख किया गया है एवं न ही कोई साक्ष्य दिया गया है, जबकि अधीक्षण अभियंता द्वारा पत्रांक–586, दिनांक 14.08.14 से आपको जलस्तर बढ़ने की सूचना देते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संवेदनशील स्थलों पर विशेष चौकसी बरतने का निदेश दिया गया एवं तत्संबंधी निदेश अपने अधीनस्थ अभियंता को भी देने का आदेश दिया गया था।

(2) बाढ़ अवधि के पूर्व तटबंध की सुरक्षा हेतु मानक संचालन प्रक्रिया बाढ़ प्रबंधन के कंडिका 4.1, 4.2 एवं 4.4 में आवश्यक दिशा–निदेश दिये गए है। कंडिका 4.4 के अनुसार जब नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर रहे या तटबंध के टो (Toe) में नदी का पानी सट जाने पर रात–दिन तटबंधों की गश्ती करना है एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित श्रमिकों को तटबंध के गश्ती में प्रतिनियुक्त करना है एवं आवश्यकता के अनुरूप मजदूर रखना निदेश है। आपके बचाव बयान से स्थापित नहीं होता है कि उक्त कंडिका का अनुपालन करते हुए आपके द्वारा प्रशिक्षित श्रमिकों की प्रतिनियुक्ति की गई है एवं संवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार मजदूरों को रखा गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपके विरूद्ध संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए तटबंध की सुरक्षा में लापरवाही बरतने तथा दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतने के कारण तटबंध में हुए टूटान के लिए आप दोषी हैं।

उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिया गया है जो इस प्रकार है –

श्री सिंह ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में अंकित किया है कि उन्होंने दिनांक 07.07.2014 को प्रमंडल का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात अपने कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले दायाँ कमला बलान तटबंध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 96.56 तक एवं बायाँ कमला बलान तटबंध का कि0मी0 0.00 से 11.62 तक भ्रमण किया। भ्रमण करने के दौरान उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मियों को तटबंध सुरक्षित रखने एवं निगरानी करने का सतत निदेश दिया जाता रहा। अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगाा द्वारा दिनांक 15.08.14 को स्थल निरीक्षण के दौरान भी वे तटबंध पर ही निगरानी कर रहे थे। सभी पाईपिंग स्थलों पर संवेदक एवं कुशल मजदूर तटबंध को सुरक्षित करने में लगे थे, साथ ही कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता भी तटबंध पर निगरानी कर रहे थे। उन्होंने अपने कर्त्तव्य में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता नहीं बरती है।

श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा विभाग में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी, जिसमें निम्न तथ्य पाये गये :–

श्री मिथिलेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा असहमति के बिन्दु (1) के संदर्भ में कहा गया है कि दिनांक 07.07.14 को प्रभार ग्रहण करने के पश्चात समय–समय पर अपने अधीनस्थ कर्मियों को तटबंध को सुरक्षित रखने एवं निगरानी रखने हेतु निदेश गया है। विभाग में रक्षित अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु सामग्री संग्रहण/प्राप्ति हेतु सहायक अभियंता को निदेश दिया गया है तथा उच्चाधिकारियों से प्राप्त निदेश के आलोक में तटबंध की ससमय निगरानी चौकसी बरतते हुए तटबंध को सुरक्षित रखने का निदेश अधीनस्थ सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को दिनांक 14.08.14 टुटान होने से एक दिन पूर्व दिया गया है। उक्त के आलोक में अधीनस्थ पदाधिकारी को तटबंध को सुरक्षित रखने हेतु निदेश नहीं देने के लिए दोषी माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

असहमति के बिन्दु–2 जो तटबंध की सुरक्षा हेतु मानक संचालन प्रक्रिया बाढ़ प्रबंधन के कंडिकाओं के अनुपालन में तटबंध की सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित श्रमिकों की प्रतिनियुक्त करने एवं आवश्यकतानुसार मजदूर रखने से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया मात्र कहा गया है कि उक्त कंडिका का अनुपालन किया गया है ऐसी स्थिति में आपके उक्त बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध तटबंध की सुरक्षा में लापरवाही बरतने तथा विभाग द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण तटबंध में हुए टूटान के संबंध में दिया गया द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नही है। फलस्वरूप श्री मिथिलेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–02, झंझारपुर को प्रमाणित आरोप के लिए **"एक (01) वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड देने का निर्णय सरकार के

स्तर पर लिया गया। उक्त निर्णय दण्ड पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री मिथिलेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–02, झंझारपुर को निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है –

**"एक वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"।**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

8 फरवरी 2018

**सं0 22 / नि0सि0(सम0)–02–04 / 2012–273**––श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सं०–2, सोनवर्षा के पद पर पदस्थापित थे तब आपके विरूद्ध कतिपय आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 में विहित रीति के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1179, दिनांक 27.06.16 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–295, दिनांक 07.04.17 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप संख्या–1 एवं 2 यथा संवेदक द्वारा आपूरित सामग्री की प्रविष्टि स्थल पंजी में नहीं करने एवं लेईंग पंजी में अपूर्ण प्रविष्टि करने तथा अपूर्ण कार्य का Completion Plan तैयार नहीं करने के कारण वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं होने का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विजय कुमार, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सं०–2, सोनवर्षा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर को आरोपमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री विजय कुमार, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सं०–2, सोनवर्षा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर को संसूचित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

8 फरवरी 2018

**सं0 22 / नि0सि0(सम0)–02–04 / 2012–272**––श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (ID-2482), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–2, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत के पद पर पदस्थापित थे तब आपके विरूद्ध कतिपय आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) में विहित रीति के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1180, दिनांक 27.06.16 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–295, दिनांक 07.04.17 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप आंशिक संख्या–2 एवं 4 को अप्रमाणित पाया गया एवं आरोप संख्या–1 एवं 3 को आंशिक प्रमाणित पाया। उक्त आंशिक प्रमाणित आरोप के लिए श्री श्रीवास्तव, से0नि0 कार्यपालक अभियंता से विभागीय पत्रांक–1075, दिनांक 05.07.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। उक्त के आलोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने पत्रांक–07, दिनांक 16.08.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिया गया। श्री श्रीवास्तव द्वारा दिए गए द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि मामला कालबाधित है। साथ ही यह भी पाया गया कि मामले में किसी प्रकार को वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–2, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत को आरोपमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–2 सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

8 फरवरी 2018

**सं0 22 / नि0सि0(सम0)–02–04 / 2012–271**––मो0 नुरूद्दीन, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (ID-1653), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या–02, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत के पद पर पदस्थापित थे तब आपके विरूद्ध कतिपय आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1181, दिनांक 27.06.16 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–295, दिनांक 07.04.17 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई

एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए मो0 नुरूद्दीन, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता से विभागीय पत्रांक–1076, दिनांक 05.07.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। उक्त के आलोक में मो0 नुरूद्दीन द्वारा अपने पत्रांक–08, दिनांक 28.07.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिया गया। मो0 नुरूद्दीन द्वारा दिए गए द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि मामला कालबाधित है। साथ ही यह भी पाया गया कि मामले में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। इस प्रकार मो0 नुरूद्दीन, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मो0 नुरूद्दीन, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–02, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत को आरोपमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय मो0 नुरूद्दीन, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–02 सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

8 फरवरी 2018

**सं० 22/नि०सि०(पट0)–03–01/2009/270**––श्री विजय कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता, सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा, पटना सम्प्रति सेवा से बर्खास्त जब प्रतिनियुक्त स्थान (कुसहा तटबंध) से दिनांक 20.02.2009 को कार्यपालक अभियंता श्री कामेश्वर नाथ सिंह के साथ बोलेरो गाड़ी से पटना आ रहे थें तब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित जाँच दल द्वारा नन्दलाल छपरा, बाईपास रोड, पटना के पास तलाशी के दौरान 3,12,632/– (तीन लाख बारह हजार छः सौ बत्तीस रूपये) पाया गया। निगरानी दस्ता द्वारा उन्हें तत्काल हिरासत में लेकर निगरानी थाना कांड संख्या–15/09 दिनांक 20.02.2009 दर्ज किया गया।

श्री विजय कुमार सिन्हा को उक्त राशि के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजे जाने के प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0–115 दिनांक 20.02.2009 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–342, दिनांक 24.04.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–1147 दिनांक 09.09.2011 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने हेतु श्री सिन्हा को निदेशित किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब नियत समय तक प्राप्त नहीं कराया गया।

प्रतिनियुक्त स्थान से 3,12,632/– रूपए लेकर आना सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध है। अतएव श्री सिन्हा को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–756 दिनांक 01.07.2013 द्वारा ''सेवा से बर्खास्तगी'' का दण्ड अधिरोपित किया गया।

पुनः श्री सिन्हा द्वारा उक्त दण्ड के पुनर्विलोकन हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसे समीक्षोपरांत विभागीय ज्ञापांक–1297 दिनांक 22.10.2013 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त दोनों विभागीय आदेशों के विरूद्ध श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता (बर्खास्त) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-10607/2017 वाद दायर किया गया। जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :–

"In the view of the Procedure having been Conducted contrary to the provisions of the Rules as noticed above the order of the Disciplinary Authority dated 01-07-2013 as also the order dated 22-10-2013 passed on the petitioner's review are hereby quashed. The matter is remanded to the stage of the Disciplinary Authority to proceed afresh in the matter, in accordance with the procedure prescribed under the CCA Rules noticed above"

उक्त माननीय न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–756 दिनांक 01.07.2013 एवं अधिसूचना ज्ञापांक–1297 दिनांक 22.10.2017 को निरस्त किया जाता है।

माननीय न्यायादेश के आलोक में श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अलग से निर्णय लिया जा रहा है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

————————

8 फरवरी 2018

**सं० 22/नि०सि०(मोति0)–08–05/2012/204**––श्री दिलीप कुमार (आई0डी0–4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के विरूद्ध पूर्वी गंडक नहर प्रणाली अंतर्गत मुख्य नहर के वि0दू0 0.00 से 6.70 तक तल सफाई, सेवापथ की मरम्मती, पी0सी0सी0 लाईनिंग के कार्य मे सीमेन्ट कंक्रिट का कार्य न्यून विशिष्टि का कराने आदि प्रतिवेदित निम्नांकित आरोपों के लिए उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–15 दिनांक 22.04.2015 के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक–471 दिनांक 17.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

''पूर्वी गंडक नहर प्रणाली अंतर्गत तिरहुत मुख्य, नहर के वि0दू0 0.00 से 6.70 तक तल सफाई, सेवा पथ की मरम्मति, पी0सी0सी0 लाईनिंग वि0दू0 0.00 पर अवस्थित शीर्ष नियामक की मरम्मति, कार्य की जाँच उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गई। उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल सं0–2, खगौल, पटना से प्राप्त सीमेंट कंक्रीट के जाँचफल निम्नवत पाया गया :–

| सैम्पल सं0 | लोकेशन | प्रावधानित अनुपात प्राक्कलन के अनुसार (आयतन में) | जाँचफल अनुसार सीमेंट एवं बालू का अनुपात | | प्रावधानित मात्रा से जाँचफल में सीमेंट की मात्रा में प्रतिशत कमी (आयतन) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | तौल | आयतन | |
| CH/01 | बायाँ बाँध वर्म PCC कार्य RD 0.3 पर | 1:2:4 | 1:5.1 | 1:4.9 | 29.29% |
| CH/02 | दायाँ बाँध सड़क PCC कार्य RD 0.3 पर | 1:1.68:3.36 | 1:4.0 | 1:3.8 | 25.98% |
| CH/03 | Dowel Sleep at RD 0.30 | 1:2:4 | 1:4.7 | 1:4.4 | 25.53% |
| CH/04 | बायाँ बाँध वर्म PCC कार्य RD 0.3 पर | 1:2:4 | 1:4.7 | 1:4.4 | 25.53% |
| CH/05 | दायाँ बाँध सड़क के RO 0.40 पर | 1:1.68:3.36 | 1:53 | 1:5.0 | 35.47% |
| CH/06 | Sleeper portion at RD 2.75 | 1:2:4 | 1:4.2 | 1:4.0 | 22.22% |
| CH/07 | दायाँ बाँध सड़क के RD 2.75 पर | 1:1.68:3.36 | 1:2.9 | 1:2.70 | 14.44% |

उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जाँचफल के समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा उपरोक्त कार्य में सीमेंट कंक्रिट का कार्य न्यून विशिष्टि का कराया गया है, जिसके लिए वे दोषी है।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन मे निष्कर्षतः अंकित किया गया कि उड़नदस्ता अंचल द्वारा संग्रहित नमूने में सीमेंट एवं बालू की मात्रा में जो विचलन पाया गया है। वह अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है। इसलिए आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी का यह मंतव्य बगैर विभागीय पक्ष की समीक्षा किये हुए अंकित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यस्थल से संग्रहित कुल 07 नमूने में से 05 नमूनें में सीमेंट एवं बालू की औसत मात्रा अनुमान्य सीमा से काफी अधिक पायी गयी है, किन्तु इस पर विचार किये बगैर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य किया गया, जो मान्य नहीं है।

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से निम्नांकित तथ्यों के आधार पर असहमत होते हुए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–2402 दिनांक 09.11.2016 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गयी :–

(1) स्थानीय शोध प्रमंडल, वाल्मीकिनगर से प्राप्त गुणवत्ता जाँचफल में प्राक्कलन में प्रावधानित PCC का अनुपात 1:1.5:3 तथा 1:2:4 बताया गया है एवं किसी जाँचफल प्रतिवेदन में सीमेंट एवं बालू में कैल्सियम कन्टेन्ट की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के साथ शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रमंडल सं0–02, खगौल के जाँचफल में सीमेंट का कैल्सियम कन्टेन्ट 34.03 मानकर प्रयोगशाला में जाँचोपरांत जाँचफल दिया गया है तथा उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के अनुसार PCC में प्राक्कलन में प्रावधानित अनुपात 1:2:4 एवं 1:1.68:3.36 बताया गया है, जबकि स्थानीय गुण नियंत्रण जाँचफल में PCC का प्रावधानित अनुपात 1:2:4 एवं 1:1.5:3 अंकित है, जो विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति में स्थानीय गुण नियंत्रण जाँच प्रतिवेदन को भरोसेमंद माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(2) उड़नदस्ता अंचल के पत्रांक–18 दिनांक 30.05.2013 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 3.9.0 (स्थानीय जाँच) के अवलोकन से स्पष्ट है कि जाँचफल द्वारा मुख्य पश्चिमी नहर के वि0दू0 4.40 के पास अवस्थित SLR Bridge के पास से कैनाल लाइनिंग कार्य से दो अदद् नमूना तथा एक अदद् नमूना PCC Road से संग्रह किया गया है। उक्त नमूनों के जाँचफल के अनुसार PCC में सीमेन्ट एवं बालू का अनुपात उक्त जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 3.11.0 मे सारणीबद्ध किया गया

है। उक्त सारणी से स्पष्ट है कि PCC में सीमेन्ट एवं बालू का अनुपात 1:2 के जगह पर 1:3.5 एवं 1:2.77 तथा 1:1.5 के स्थान पर 1:1.729 पाया गया है। सारणी के अन्त में अंकित है कि तीन अदद् नमूनों में से दो अदद् नमूनों का जाँचफल विशिष्टि के समतुल्य पायी गयी है तथा एक अदद् नमूनों के जाँचफल में सीमेन्ट की मात्रा में कमी पायी गई है।

उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में जिसके आधार पर विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है, के कंडिका 6.0.6 (स्थल जाँच) के उप कंडिका (II) से स्पष्ट है कि आलोच्य कार्य में विभागीय निदेश के आलोक में शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रमंडल सं0–02, खगौल द्वारा नहर लाइनिंग कार्य एवं PCC सड़क कार्य के भिन्न भिन्न बिन्दुओं यथा वि0दू0 0.30 बायाँ वर्म, 0.30 दायाँ बाँध सड़क, 0.30 डावेल स्लीपर, 0.30 दायाँ वर्म, 0.40 दायाँ बाँध सड़क, वि0दू0 2.75 स्लीपर भाग, 2.75 तथा दायाँ सड़क भाग से PCC का कुल सात नमूनों में से 05 अदद् नमूनों में प्रावधानित विशिष्टि से पाई गयी भिन्नता अनुमान्य सीमा 25 प्रतिशत से अधिक भिन्नता पाई गयी है तथा उक्त के आधार पर उड़नदस्ता जाँच में न्यून विशिष्टि के PCC का उपयोग होना बताया गया है।

चूँकि उड़नदस्ता अंचल के पत्रांक–18 दिनांक 30.05.2013 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में कुल तीन अदद् संग्रहित नमूना का स्पष्ट लोकेशन का उल्लेख नहीं है, जबकि उड़नदस्ता अंचल के पत्रांक–15 दिनांक–22.04.2015 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में नमूना संग्रह का स्पष्ट लोकेशन का उल्लेख करते हुए कुल सात अदद् नमूनों का संग्रह किया गया है तथा जाँचोपरांत कार्य में न्यून विशिष्टि के PCC का उपयोग होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में उड़नदस्ता अंचल के पत्रांक–18 दिनांक–30.05.2013 के आधार पर आलोच्य कार्य में विशिष्टि के अनुरूप PCC के उपयोग होने के संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है तथा कार्य में न्यून विशिष्टि के PCC का कार्य कराने के आरोप को प्रमाणित माना जा सकता है।

उक्त आलोक में श्री कुमार द्वारा प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर का सारांश निम्नवत है :–

श्री कुमार द्वारा अपने बचाव–बयान के कंडिका–2.1 से 2.4 में मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर के पत्रांक–2276 दिनांक–10.02.2011, कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के विभिन्न पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त गुणवत्ता जाँचफल के आलोक में भुगतान की कार्रवाई की गयी है। कंडिका 3.1 से 3.3 मे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–323 दिनांक 31.01.2014 उड़नदस्ता के पत्रांक–18 दिनांक 30.05.2013 तथा पत्रांक–15 दिनांक 22.04.2015 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि गठित प्रपत्र 'क' नियमानुकूल नहीं है एवं गठित आरोप का कोई आधार नहीं बनता है तथा कंडिका 4 एवं 5 मे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0–4512 दिनांक 12.03.1979 का उल्लेख करते हुए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होने की व्याख्या किया गया है एवं संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के बाद असहमति के बिन्दु बनाकर द्वितीय कारणपृच्छा माँगा जाना न्यायोचित नहीं कहा गया है। कंडिका 6 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय का एक न्याय निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए कहा गया है कि द्वितीय कारणपृच्छा माँगा जाना विधि सम्मत एवं न्याय संगत नहीं मानते हुए असहमति के बिन्दु पर जवाब निम्नवत रूप से दिया गया है :–

**असहमति के बिन्दु–1 का उत्तर**

(1) न तो स्थानीय गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन में एवं न ही प्राक्कलन में Cement के कैल्शियम कन्टेंट का उल्लेख है विशेष स्थानीय गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ही कार्य को विशिष्टि के अनुरूप मानकर भुगतान किया गया है।

शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–2, खगौल, पटना का जाँचफल मात्र एक कनीय अभियंता के द्वारा स्थल पर संग्रह नमुना पर आधारित है। कनीय अभियंता द्वारा नमूनें समूह की सूचना न तो उन्हे और न ही उनके प्रमंडल के संबंधित अभियंता को ही दी गयी, बल्कि पीछे लिया गया। जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.04.2013 की तिथि में कार्यपालक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण, पटना के कार्यालय के शोध सहायक के द्वारा तैयार कर दिनांक 10.04.2013 को हस्ताक्षर किया गया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन को कार्यपालक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–02, खगौल के पत्रांक–51 दिनांक 24.04.2013 द्वारा कार्यपालक अभियंता पूर्वी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर को उनके पत्रांक–शून्य दिनांक 08.04.2013 के प्रसंग मे भेजा गया है।

दिनांक 08.04.2013 को संग्रहित नमुना मात्र एक कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। उस नमूनों का संग्रह किसी उड़नदस्ता द्वारा नहीं लिया गया है एवं मात्र अभिलेखों के आधार पर ही समीक्षा कर जाँच प्रतिवेदन दिया गया है जबकि कार्य के दौरान स्वतंत्र इकाई आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा गुणवत्ता जाँचफल विभिन्न पत्रों के माध्यम से दिया गया है, के आधार पर भुगतान किया गया है। उनके गुणवत्ता जाँचफल को मात्र अनुमान एवं संदेह के आधार पर भरोसेमंद माना जाना तर्क संगत नहीं है। क्योंकि सक्षम प्राधिकार आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के कार्यपालक अभियंता स्वयं कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर नमूना संग्रह कर जाँच कराकर गुणवत्ता जाँचफल दिया गया है। इसलिए दिनांक 08.04.2013 को एक कनीय अभियंता द्वारा बिना किसी पदाधिकारी के उपस्थिति में बिना सूचना के और बिना किसी स्थापित विधि का उल्लेख किये हुए ही नमूना संग्रह किया गया और उसकी जाँचफल को प्राथमिकता दी गई है जो दिनांक 09.04.2013 के बाद उड़नदस्ता के पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2013 का अपने जाँच प्रतिवेदन में स्थल जाकर नमूना संग्रह कर गुणवत्ता के आधार पर कार्य को सही माना गया है।

**असहमति के बिन्दु–2 का उत्तर**

(1) उड़नदस्ता अंचल के पत्रांक–18 दिनांक 30.05.2013 के जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 3.9.0 तथा कंडिका 3.11.0 में मुख्य पश्चिमी नहर से संबंधित नमूना संग्रहित करने तथा उसका गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के संबंध में जाँच प्रतिवेदन के संगत अंश उद्धत करते हुए कहा गया है कि उक्त जाँच प्रतिवेदन में कार्य की गुणवत्ता जाँचफल के आधार पर सही बताया गया है

जबकि उनके अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–15 दिनांक 22.04.2015 द्वारा अग्रसारित जाँच प्रतिवेदन मे जाँच प्रतिवेदन को व्याख्यात्मक बताते हुए उससे सहमति व्यक्त की गयी है जो स्वयं में विरोधाभाषी है।

उड़नदस्ता अंचल के पत्रांक–18 दिनांक 30.05.2013 के जाँच प्रतिवेदन मे गुणवत्ता सही पाया गया है जबकि उड़नदस्ता अंचल के पत्रांक–15 दिनांक 22.04.2015 का जाँच प्रतिवेदन दो वर्ष के विलम्ब से मात्र अभिलेखों के समीक्षा के आधार पर समर्पित है जिसमें मात्र एक कनीय अभियंता द्वारा संग्रहित नमुनों की जाँच प्रतिवेदन को ज्यादा अहमियत दिया गया, जिसका कोई तर्क संगत आधार नहीं है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा गुणवत्ता की जाँच समय–समय का स्थानीय इकाई द्वारा की गयी गुणवत्ता जाँच मे विशिष्टि अनुमान्य सीमा के समतुल्य है, अपितु उड़नदस्ता के पत्रांक–18 दिनांक 30.05.2013 का जाँच प्रतिवेदन में दो नमुनों में 17.5 प्रतिशत की भिन्नता आई है। उड़नदस्ता अंचल, के पत्रांक–15 दिनांक 22.04.2015 के कंडिका 7.00(III) के अनुसार 25 प्रतिशत की भिन्नता अनुश्रेय सीमा के अन्दर माने जाने का उल्लेख दिया हुआ है।

अतः उपरोक्त कंडिका में अंकित तर्को एवं तथ्यों तथा संलग्न कागजातों पर विचार करते हुए संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से अलग असहमति के बिन्दु बनाकर आरोप को प्रमाणित माने जाने का कोई न्याय संगत एवं विधि सम्मत औचित्य नहीं है।

श्री कुमार द्वारा असहमति के बिन्दु–01 के सन्दर्भ में कहा गया है कि स्थानीय शोध प्रमंडल, वालमीकिनगर से प्राप्त गुणवत्ता जाँचफल विभाग द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में कैल्शियम कन्टेन्ट का कोई उल्लेख नहीं है। अतः कैल्शियम कन्टेन्ट की बात प्रासंगिक नहीं है को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है क्योकि किसी भी सिमेंट कंक्रीट में सिमेन्ट एवं बालु का अनुपात की गणना प्रयोगशाला में सिमेन्ट एवं बालु कैल्शियम कन्टेन्ट के आधार पर गणना किया जाता है।

आरोपी द्वारा यह भी कहा गया है कि स्थानीय गुण नियंत्रण जाँचदल यथा स्वयं कार्यपालक अभियंता एवं उनके सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा स्थल से विधिवत नमुना संग्रह कर जाँचफल दिया गया है जबकि शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–2, खगौल द्वारा दिये गये जाँचफल मात्र एक कनीय अभियंता द्वारा स्थल से नमुना संग्रह किया गया है वह भी बिना स्थानीय प्रमंडल के सूचना दिये ही एवं उक्त नमुनों का प्रयोगशाला में जाँचोपरांत जाँचफल निर्गत किया गया है। अतएव उक्त जाँचफल को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जाँच संबंधी अभिलेख से स्पष्ट है कि विभागीय पत्रांक–195 दिनांक 01.02.2013 के अनुपालन में आलोच्य कार्यो में बरती गई अनियमितता की जाँच हेतु क्वालिटी कंट्रोल, जाँचदल, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–2, खगौल द्वारा लाये गये जाँच सामग्री (नमुना) की जाँच हेतु जाँचदल के कनीय अभियंता द्वारा मात्र प्रयोगशाला जाँच हेतु कोडिंग करते हुए प्रेषित किया गया है। न कि मात्र एक कनीय अभियंता द्वारा नमुना स्थल से संग्रह किया गया है।

**असहमति के बिन्दु–2** के संदर्भ में आरोपी द्वारा कहा गया है कि उड़नदस्ता अंचल के पत्रांक–18 दिनांक 30.05.2013 के जाँच प्रतिवेदन में लिये गये नमुना का स्पष्ट लोकेशन का उल्लेख किया हुआ है, जो उड़नदस्ता के कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा नमुना संग्रह किया गया है, जबकि उड़नदस्ता अंचल के पत्रांक–15 दिनांक 22.04.2015 से जाँच प्रतिवेदन दो वर्ष के विलंब से मात्र अभिलेखों के समीक्षा के आधार पर समर्पित है, जिसमें सात अदद् नमुना का संग्रह मात्र एक कनीय अभियंता द्वारा बिना सूचना और गवाह के लिया गया है। उड़नदस्ता के पत्रांक–18 दिनांक 30.05.2013 के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि तीनों अदद् नमुना का लोकेशन तिरहुत मुख्य नहर के वि0दू0–0.00 से 6.70 अंकित है न कि किसी खास बिन्दु का उल्लेख है, परन्तु उड़नदस्ता के पत्रांक–15 दिनांक 22.04.2015 जो शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–2 खगौल द्वारा वर्ष 2013 में ही संग्रहित सात अदद् नमुना (स्पष्ट लोकेशन से लिये गये नमुना) के जाँचफल के आधार पर माना गया है कि कार्य में न्युन विशिष्टि का P.C.C का उपयोग किया गया है। अतएव आरोपी के उपरोक्त कथन को स्वीकार योग्य नहीं माना गया।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त आरोपी द्वारा ऐसा कोई नया साक्ष्य एवं तथ्य नहीं दिया गया, जिससे परिलक्षित हो सके कि आलोच्य कार्य में P.C.C का कार्य गुणवत्ता/विशिष्टि के अनुरूप कराया गया है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के द्वितीय कारणपृच्छा को अस्वीकार योग्य पाते हुए मामले की सम्यक समीक्षोपरांत उनके विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया :–

**''कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर पाँच वर्षों के लिए अवनति। भावी वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।''**

उक्त निर्णित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2407 दिनांक 28.12.2017 के माध्यम से सहमति प्राप्त है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री दिलीप कुमार (आई0डी0–4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर संप्रति कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–01, गोह, औरंगाबाद के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है :–

**''कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर पाँच वर्षों के लिए अवनति। भावी वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।''**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

1 फरवरी 2018

**सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–12/2016–190**––श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियंता को इनके द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पदस्थापन काल में सरकारी आदेश का उल्लंघन कर चतुर्थवर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति देने, माननीय उच्च न्यायालय के रोक के बावजूद परिणामी वरीयता का लाभ देकर प्रोन्नति देने एवं अवैध ढ़ंग से चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति का आदेश निर्गत करने आदि आरोपों के लिए सरकार के स्तर पर लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०–1447, दिनांक 19.07.2016 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2358, दिनांक 28.10.16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक–89, दिनांक 21.04.17 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाए गए आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होकर विभागीय पत्रांक–889, दिनांक 12.06.17 द्वारा श्री लक्ष्मण राम, निलंबित अधीक्षण अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियंता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा निम्न तथ्यों को प्रस्तुत किया गया :–

(i) इनके द्वारा ग्यारह (11) चतुर्थवर्गीय कर्मियों की प्रोन्नति का निर्णय स्थापना समिति के अनुशंसा पर किया गया था। इन्हें तथ्य की जानकारी अधीनस्थ कर्मियों द्वारा नहीं दी गई। वे मुख्य अभियंता के प्रभार में थे, इसलिए समिति के अन्य सदस्य भी दोषी हैं।

(ii) कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1385, दिनांक 13.04.2015 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के समायोजन/नियुक्ति चतुर्थवर्गीय पद पर किए जाने में हुई अनियमितता के संबंध में इनके द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा इसे उपस्थापित किए जाने की बात कही गई है।

(iii) उनके पत्रांक–214, दिनांक 11.08.2015 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को प्रेषित पत्र में कि 'दैनिक वेतनभोगी के स्वयं का तथा विभागीय पदाधिकारियों/मुख्यमंत्री सचिवालय आदि के भारी दबाव के कारण दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमित की गई' के संबंध में कोई तथ्य/साक्ष्य नहीं दिया गया है।

श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियंता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत निम्न तथ्य पाए गए –

(i) आरोपित पदाधिकारी द्वारा राज्य सरकार के रोक के बावजूद चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को निम्नवर्गीय लिपिक में प्रोन्नति दी गई। आरोपित पदाधिकारी का यह कहना कि उन्हें तथ्य की जानकारी नहीं थी, स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii) दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के समायोजन/नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०–639, दिनांक 16.03.2016 के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर समायोजन/नियुक्ति किया जाना चाहिए था। आरोपित पदाधिकारी ने अनुशंसा सूची से बाहर के कर्मियों की नियुक्ति के लिए अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा उपस्थापन की बात कही है। इस कथन के आधार पर आरोपित पदाधिकारी अपने मूल दायित्व से नहीं बच सकते।

(iii) आरोपित पदाधिकारी का यह कथन कि विभागीय पदाधिकारियों/मुख्यमंत्री सचिवालय आदि के भारी दवाब के कारण नियुक्ति की गई, के संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त पाए गए तथ्यों के आलोक में श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियंता का द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है एवं इनके विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। फलस्वरूप उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री लक्ष्मण राम, निलंबित अधीक्षण अभियंता को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है :–

**" स्थायी तौर पर कार्यपालक अभियंता के पद पर पदावनत तथा कार्यपालक अभियंता के वेतनमान के मध्य प्रक्रम पर रखा जाना।"**

उक्त निर्णीत दण्ड पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (निलंबित) को निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है।

**" स्थायी तौर पर कार्यपालक अभियंता के पद पर पदावनत तथा कार्यपालक अभियंता के वेतनमान के मध्य प्रक्रम पर रखा जाना।"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

19 जनवरी 2018

**सं0 22/नि0सि0(दर0)16–03/2017–174**––मो0 कलीमुल्लाह, तत0 कार्यपालक अभियंता,(आई0डी0–3488), स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल–2, झंझारपुर (मधुबनी) के विरूद्ध कार्यालय से अनधिकृत अनुपस्थित रहने, विकास कार्यों में उदासीनता बरतने, अपने उच्चाधिकारी को भ्रमित कर, अपने गलत कार्य को छुपाने तथा क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के योजनाओं के कार्यान्वयन में मनमानी एवं अराजक स्थिति पैदा करने संबंधी प्रथम द्रष्टया आरोप पाये जाने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत योजना एवं विकास विभाग के अधिसूचना संख्या–यो0स्था0–04/02–13/2015/4628/यो0वि0, दिनांक 09.09.2015 द्वारा निलंबित किया गया तथा योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–यो0स्था0–04/02–13/2015/4627/यो0वि0, दिनांक 09.09.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

**2**. विभागीय कार्यवाही संचालन के कालक्रम में मो0 कलीमुल्लाह दिनांक 29.02.2016 को सेवानिवृत हो गये। सरकार के स्तर पर मामले के समीक्षोपरांत मो0 कलीमुल्लाह को सेवानिवृति की तिथि 29.02.2016 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

**3**. उक्त निर्णय के आलोक में मो0 कलीमुल्लाह, तत0 कार्यपालक अभियंता,(आई0डी0–3488), स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल–2, झंझारपुर (मधुबनी) सम्प्रति सेवानिवृत को उनके सेवानिवृति की तिथि 29.02.2016 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

**4**. उक्त निलंबनमुक्ति के प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

**18 जनवरी 2018**

**सं० 22/नि०सि०(सिवान)–11–19/2012/170**––श्री राजेन्द्र सिंह (आई0डी0–J-4928), तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–01, मधुबनी, शिविर–पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–01, मधुबनी, शिविर–पडरौना के अन्तर्गत वर्ष 2012 में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो में बरती गई अनियमितता के निम्नांकित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1306 दिनांक 09.06.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

1. बाढ़ अवधि 2012 मे पी0पी0 तटबंध के 26.75 कि0मी0 स्पर पर परक्युपाईन का गलत NR रिपोर्ट किये जाने से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाया जाना।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में कहीं भी श्री सिंह द्वारा पी0पी0 तटबंध के कि0मी0 26.75 पर अवस्थित स्पर पर कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की विवरणी यथा परक्युपाईन लेईंग का विवरणी NR के माध्यम से प्रेषित करना परिलक्षित नहीं होने के आधार पर उक्त आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र सिंह (आई0डी0–J-4928), तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–01, मधुबनी, शिविर–पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत को आरोपमुक्त किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

**18 जनवरी 2018**

**सं० 22/नि०सि०(मोति0)–08–06/2010/163**––मो0 कमरे आलम, तत्कालीन सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं0–01, मोतिहारी के विरूद्ध वर्ष 2008–09 में तिरहुत नहर प्रमंडल सं0–01, मोतिहारी के आगे सड़क निर्माण कार्य से संबंधित पी0सी0सी0 Road के स्थलीय जाँच संबंधी विभागीय उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक–510 दिनांक 24.02.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

1. पी0सी0सी0 सड़क कार्य की गुणवत्ता जाँच में सीमेंट बालू का अनुपात 1:2 के स्थान पर 1:4:1 पाया गया, जो विशिष्टि से काफी कम है, जिसके लिए वे दोषी है।

2. वर्ष 2009–10 में संपादित कार्यों की उड़नदस्ता दल के स्थानीय जाँच में रंगाई, पोताई एवं पेंटिंग कार्य घटिया स्तर का पाया गया। कलरवास का कार्य पुराने कोट पर ही किया हुआ पाया गया, जिसके लिए वे दोषी है।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा मो0 आलम के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। समीक्षोपरांत आरोप सं0–01 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत किन्तु आरोप सं0–02 यथा वर्ष 2009–10 में शिविर सम्पोषण कार्य में घटिया स्तर के रंगाई पोताई एवं पेंटिंग का कार्य कराने तथा पुराने कोट पर ही

कलरवाश का कार्य कराने के प्रमाणिकता/अप्रमाणिकता की स्थिति साक्ष्य के आभाव में स्पष्ट नहीं हो पाने की स्थिति मे उनसे उक्त प्रमंडल के प्रश्नगत कार्य अवधि में पदस्थापन एवं उनके द्वारा उक्त कार्य कराया गया है अथवा नहीं के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–955 दिनांक 19.05.2016 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई।

उक्त आलोक में मो0 आलम द्वारा प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के बचाव–बयान के मुख्य अंश निम्नवत है :–

उनकी कार्य अवधि उक्त प्रमंडल में दिनांक 06.04.2009 तक थी एवं वर्णित आरोप वर्ष 2009–10 का है जिसकी पुष्टि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के पृ0–18 से होती है। चूँकि वे उक्त वित्तीय वर्ष में मात्र 6 (छः) दिन में ही प्रभार में रहे है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में वे संलग्न नहीं थे। न ही उनके द्वारा कार्य कराया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उनके द्वारा प्रभार प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न किया गया।

समीक्षा में यह पाया गया कि मो0 आलम द्वारा कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में छः दिन ही उक्त प्रमंडल में कार्यरत रहे है एवं न तो उनके द्वारा कार्य कराया गया है न ही भुगतान किया गया है। प्रभार प्रतिवेदन के अनुसार मो0 आलम दिनांक 06.04.2009 को तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, जीवधारा का अतिरिक्त प्रभार मो0 तौहिद आलम को सौंपा गया है परन्तु उक्त प्रभार प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं है कि मो0 कमरे आलम दिनांक 06.04.2009 के पश्चात किस अवर प्रमंडल में कार्यरत रहें हैं। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में रक्षित जाँचित कार्य यथा मोतिहारी स्थित शिविर सम्पोषक कार्य का प्राक्कलन अवर प्रमंडल, जीवधारा द्वारा दिनांक 06.10.2009 को तैयार किया गया है जिसकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक–17.11.2009 को दी गयी है। उक्त के आलोक में माना गया कि जाँचित कार्य यथा मोतिहारी स्थित कार्यालय एवं शिविर सम्पोषक कार्य अवर प्रमंडल, जीवधारा के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा कराया गया होगा जिसके प्रभारी दिनांक 06.04.2009 के पश्चात मो0 तौहिद आलम, सहायक अभियंता रहे हैं।

समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए योजना से असम्बद्ध रहने कारण मो0 कमरे आलम, तत्कालीन सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–01, मोतिहारी को आरोप मुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में मो0 कमरे आलम, तत्कालीन सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–01, मोतिहारी संप्रति सहायक अभियंता योजना, अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल (मध्य), जल संसाधन विभाग, पटना को आरोप मुक्त किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

---

**16 जनवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(पट0)03–02/2017–145**––श्री संतोष प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता (आई0डी0–5199), बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र इस प्रमंडल से अन्यत्र स्थानान्तरण करने के संबंधित अभ्यावेदन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ के पत्रांक–18गो0, दिनांक 02.03.2017 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया। जिस पर माननीय विभागीय मंत्री के आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–639, दिनांक 05.05.17 द्वारा कार्यपालक अभियंता से श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्य गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु मांग की गई। कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ के पत्रांक–893, दिनांक 29.05.2017 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करने, कार्य में अभिरूची नहीं लेने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छापूर्वक मुख्यालय से अनुपस्थित रहने तथा मनमाने रूप से कार्य करने एवं अनुपस्थित कर्मियों का भी उपस्थिति देने का आरोप गठित कर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्य विभाग को समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक–1116, दिनांक 11.07.17 द्वारा उक्त आरोप पत्र प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए श्री संतोष प्रसाद सिंह से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण Office of the Sub Divisional Office, Flood Control and Drainage Sub Division, Biharsarif के पत्रांक–209, दिनांक 19.07.2017 द्वारा समर्पित किया गया।

पुनः श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं कार्यपालक अभियंता से प्राप्त उक्त आरोप पत्र प्रपत्र–'क' पर विभागीय पत्रांक–1666, दिनांक 20.09.17 द्वारा मंतव्य की मांग की गई। जिसके आलोक में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–2833, दिनांक 08.11.17 द्वारा मंतव्य विभाग को समर्पित किया गया।

श्री संतोष प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के द्वारा समर्पित मंतव्य की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के बीच आपसी तालमेल नहीं है तो कार्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। अतएव श्री संतोष प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता को "चेतावनी" संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री संतोष प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ को "चेतावनी" संसूचित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

**15 जनवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(मुज0)06–11/2016–132**––श्री सुबोध प्रसाद शर्मा (आई0डी0–जे0–4749) तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल सं०–01, वाल्मीकिनगर को उनके उक्त अवर प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान गंडक बराज के गेट सं०–33 के क्षतिग्रस्त होने कार्य स्थल का समय–समय पर निरीक्षण नहीं किये जाने आदी के मामले में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं०–1663, दिनांक 03.08.16 द्वारा निलंबित किया गया एवं तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं०–1701, दिनांक 05.08.16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री शर्मा के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–1942, दिनांक 07.11.17 द्वारा श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। इसी बीच विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही दिनांक 30.11.2017 को श्री शर्मा के सेवानिवृत हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 30.11.2017 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुबोध प्रसाद शर्मा, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत को दिनांक 30.11.2017 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

**10 जनवरी 2018**

**सं० 22/नि०सि०(दर०)–16–07/2017/68**––श्री विजय शंकर राय (आई0डी0–3816), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर, प्रमंडल, राजनगर के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02, पटना के गै0स0प्रे0 सं0–702 दिनांक 03.07.2017 द्वारा कतिपय आरोप प्रतिवेदित किया गया। मामले के समीक्षोपरांत श्री राय से स्पष्टीकरण करने का निर्णय लिया गया। फलतः विभागीय पत्रांक–1522 दिनांक 01.09.2017 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र–'क' के साथ श्री राय से स्पष्टीकरण किया गया।

**आरोप :–**

**(2)** अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02, जल संसाधन विभाग, पटना के गै0स0प्रे0 सं0–702 दिनांक–03.07.2017 द्वारा प्राप्त पीत पत्र के अनुसार सिंचाई भवन स्थित सभागार में प्रधान सचिव, महोदय की अध्यक्षता में सिंचाई परिक्षेत्र से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में आपकी अनधिकृत अनुपस्थिति आपकी अनुशासनहीनता सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। आपका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 3(III) के प्रतिकूल है।

उक्त अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय निदेश की अवहेलना के लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं।

**(3)** श्री राय ने अपने पत्रांक–563 दिनांक 04.10.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया। जिसमें मुख्यतः निम्न बातों का उल्लेख किया गया :–

दिनांक 17.04.2017 को विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु राजनगर मुख्यालय से भाड़े की गाड़ी से चला परन्तु गाड़ी खराब हो जाने के कारण एवं दूसरी गाड़ी उपलब्ध नहीं होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके, जिसकी सूचना अधीक्षण अभियंता पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी को दी गयी।

**विभागीय समीक्षा :–**

श्री राय के विरूद्ध प्रपत्र–'क' का गठन अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी के द्वारा दी गयी एवं जिस पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा अग्रसारित किया गया। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि गाड़ी खराब होने एवं विभागीय बैठक में अनुपस्थित रहने के संबंध में अधीक्षण अभियंता को सूचना दिये जाने की बात मनगढ़ंत एवं भ्रामक है। श्री राय का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त के आलोक मामले के सम्यक समीक्षोपरांत श्री राय को ''चेतावनी जिसकी प्रविष्टि श्री राय की सेवा पुस्ती में की जायगी'' संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

सरकार का उक्त निर्णय श्री विजय शंकर राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0डी0–3816), पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, राजनगर को संसूचित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

————————

**9 जनवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(मुज0)06–07/2012–54**––श्री राम विनोद सिंह (आई0डी0–3798), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, लालगंज सेवानिवृत को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान दिनांक

12.06.12 को अभियंता प्रमुख (उत्तर) द्वारा गंडक नदी के बाँये तट पर 7.50कि0मी0 से 9.50कि0मी0 के बीच अवस्थित पहाड़पुर मनोरथ स्थल पर निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेश में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–810, दिनांक 20.07.2012 द्वारा श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०–288, दिनांक 28.01.2015 द्वारा श्री राम, मुख्य अभियंता के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) मे विहित रीति से प्रपत्र–'क' में गठित निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

**(1)** दिनांक 11.05.12 को प्रधान सचिव को मुजफ्फरपुर स्थित विभागीय निरीक्षण भवन में क्षेत्रीय पदाधिकारी से वार्ता के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर प्रस्तावित तीन अद्द स्पर निर्माण कार्य में से दो अदद स्पर निर्माण का कार्य पुरा करा लिया गया है। जबकि दिनांक 12.06.12 को अभियंता प्रमुख (उ0) के स्थल निरीक्षण में उक्त दोनों स्पर का निर्माण कार्य अधूरा पाया गया। अतएव गलत सूचना देने के लिए आप दोषी है।

**(2)** दिनांक 12.06.12 को अभियंता प्रमुख (उत्तर) द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में कई निदेश दिया था। पुनः दिनांक 24.06.2012 को उनके स्थल निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेशों में से निम्नलिखित निदेशों के अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया।

**(क)** दिनांक 12.06.12 को अभियंता प्रमुख के निरीक्षण के क्रम में स्पर सं०–3 का कार्य नहीं होने के कारण वैकल्पिक रूप से 300मी0 की लंबाई में बोल्डर रिभेटमेंट कार्य कराने हेतु एप्रोन के लिए 50–60मी0 की लंबाई में मिट्टी खुदाई कर दी गयी थी।

रिभेटमेंट कार्य हेतु 50–60मी0 की गयी खुदाई को अविलंब भर देने एवं ट्रैन्च के बीच में 03 स्थलों पर एन0सी0 से प्लग करने का स्थल पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दिया गया था। ताकि, पानी बढ़ने पर चैनल एक्टिवेट नहीं हो। इसके अतिरिक्त एक अद्द क्रेटेड बेडवार जो अब OUT FLANK हो गया था को NSL तक रिभर साईड एवं कंट्रासाईड के NSL को मिलाते हुए जोड़ने का आदेश दिया गया था। ताकि, फॉल क्रियेट नहीं हो सके। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

**(ख)** तकनीकी सलाहकार समिति के अनुशंसा के आलोक में पायलट चैनल का निर्माण नहीं किये जाने के कारण स्पर सं०–1 अपस्ट्रीम ऑफसूट चैनल को यथा संभव मैनुअल लेबर से एकटीवेट करने को कहा गया था। जिसका अनुपालन नहीं किया गया।

**(ग)** स्पर सं०–1 अपस्ट्रीम में तटबंध के तरफ नदी रिफटिंग की प्रवृति को देखते हुए प्रतिवेदन तीन Reference point यथा स्कूल भवन ग्रामीण सड़क एवं पुराने रिंगबांध के निकट तटबंध एवं रीभर एज की दूरी मुख्यालय में प्रतिवेदित कराने का निदेश दिया गया था। ताकि, कटाव की दर का आकलन किया जा सके। उक्त निर्देश का भी अनुपालन नहीं किया जा सका।

**(3)** एजेण्डा सं०–113/376 के तहत तिरहुत तटबंध के 7.50कि0मी0 से 9.50कि0मी0 के बीच कटाव निरोधक कार्यों के तहत SRC की अनुशंसा के आलोक में उक्त स्थल पर विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत एवं अद्यतन सेटेलाईट मैप के आधार पर पायलट चैनल के निर्माण की योजना तैयार कर समर्पित करनी थी। परन्तु आपके द्वारा उक्त अनुशंसा के आलोक में वांछित प्रस्ताव भी समर्पित नहीं किया गया।

**(4)** उक्त स्थल पर भू–अर्जन की समस्या के कारण स्पर सं०–3 का निर्माण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थल पर 300मी0 में बोल्डर रिभटमेंट का प्रस्ताव (लागत राशि 3 करोड़) मुख्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 25.05.2012 को भेजा गया। प्रस्ताव में तटबंध से नदी की दूरी 120मी0 बतलाई गई। जबकि दिनांक 12.06.12 को अभियंता प्रमुख (उ0) के द्वारा स्थल निरीक्षण में तटबंध से नदी (River Edge) के बीच की दूरी 291मी0 पाई गई। उड़नदस्ता द्वारा भी स्थलीय जाँच में तटबंध से रिभर ऐज की दूरी 317मी0 पाई गई। उक्त बोल्डर रिभटमेंट कार्य को अभियंता प्रमुख (उ0) द्वारा तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं बताया गया है। अतएव गलत स्थलीय स्थिति को दर्शाते हुए अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर 300मी0 की लंबाई में बोल्डर रिभेटमेंट का अनुपयुक्त प्रस्ताव सम्प्रेषित करना गलत मंशा परिलक्षित करता है।

संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन मे श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया है। फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप सं० 2(ख) 2(ग) एवं 4 को अप्रमाणित पाया गया। साथ ही संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए आरोप सं०–1, 2(क) एवं 2(ग) को प्रमाणित पाते हुए असहमति के निम्न बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक–2269 दिनांक 19.10.2016 से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

**आरोप सं० 1**–दिनांक 11.06.2012 को मुजफ्फरपुर स्थित निरीक्षण भवन में वार्ता के क्रम में आपके द्वारा तत्कालीन प्रधान सचिव महोदय को बताया गया कि प्रश्नगत स्थल पर कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य के तहत तीन अद्द स्पर में से दो अद्द स्पर का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। जबकि दिनांक 12.06.2012 को तत्कालीन अभियंता प्रमुख (उ0) के स्थल निरीक्षण में पाया गया कि स्पर सं०–1 को टैगिंग बाँध Proper profile एवं उपर के लेयर में कार्य नहीं कराया गया है तथा स्पर स०–2 में प्रथम वर्ष में क्रेटिंग का कार्य प्रगति में एवं द्वितीय स्लोप पर कार्य आरंभ नहीं किया गया है। टैगिंग बाँध भी डिजाईन सेक्शन में पूर्ण नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रधान सचिव को गलत सूचना दी गयी।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा उनके कथन की दिनांक 11.06.12 को प्रधान सचिव को निरीक्षण भवन में समीक्षा के दौरान कहा गया था कि स्पर सं०–1 का कार्य टैगिंग बाँध को छोड़कर लगभग समाप्त था एवं स्पर सं०–2 का प्रथम वर्म तक सभी कार्य समाप्त करा लिया गया है। मात्र प्रथम वर्म के उपर का द्वितीय स्लोप एवं टैगिंग बाँध का कार्य प्रगति में था को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि कटाव निरोधक हेतु स्पर निर्माण में टैगिंग बाँध एवं प्रथम वर्म के उपर के अवशेष कार्य को साधारण प्रकृति का मामूली कार्य मानते हुए आपके द्वारा Substantially complete होने की सूचना दी गयी थी। जिससे संभवतः प्रधान सचिव के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई होगी एवं गलत सूचना देने के लिए दोषी करार दिया गया।

संचालन पदाधिकारी का यह कहना कि प्रधान सचिव के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण गलत सूचना देने के लिए दोषी करार दिया गया है, से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। जहाँ तक दो स्पर के कार्य पूर्ण होने की सूचना देने का प्रश्न है तो प्रधान सचिव के पत्रांक 84/ps दिनांक 18.06.12 में स्पष्ट अंकित है कि आपके द्वारा तीन स्पर में से दो स्पर का कार्य पूर्ण होने की सूचना दी गयी है। आपके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे परिलक्षित हो सके कि आपके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्पर के मुख्य भाग के निर्माण का Substantially complete होने की सूचना प्रधान सचिव को दी गयी थी। जबकि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में भी स्पर सं०–1 में टैगिंग बाँध का कार्य प्रगति में पाया गया है तथा स्पर सं०–2 में भी प्रथम वर्म पर क्रेटिंग का कार्य होते हुए पाया गया है। उसके उपर द्वितीय स्लोप तथा टैंगिग बाँध का कार्य शेष था। अभियंता प्रमुख (उ0) के दिनांक 12.06.12 को दिये गये स्थल निरीक्षण में भी दोनों स्पर के कार्य को पूर्ण नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 11.06.12 तक स्पर सं०–1 एवं स्पर सं०–2 का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। अतः आरोप सं०–1 प्रमाणित होता है।

**आरोप सं० 2(क)** –संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न तथ्यों के आलोक में आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

**(i)** दिनांक 12.06.12 को स्थल पर दिये गये निदेश की सम्पुष्टि अपने निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा दिनांक 17.06.12 तक नहीं दिया जाना।

**(ii)** दिनांक 12.06.12 को स्थल पर दिये गये मौखिक आदेश में अनेकों परिवर्तन के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठांकित किया जाना।

**(iii)** आरोपी का कहना है कि संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ तो किया गया परन्तु आदेश की सम्पुष्टि नहीं होने के कारण भुगतान में अनिश्चितता उत्पन्न होने की आशंका के कारण कार्य बन्द कर दिया गया।

**(iv)** अभियंता प्रमुख (उ0) द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन को ससमय क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पृष्ठांकित नहीं करने एवं साथ ही उसमें फेरबदल की सूचना मिलने तथा एकरारित मदों से भिन्न मदों को कराने का मौखिक निदेश का अनुपालन द्रुतगति से कराना संभव नहीं हो सका। जिसके कारण समय से कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।

अभियंता प्रमुख (उ0) का दिनांक 12.06.12 को निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 13.06.12 को निर्गत है एवं उक्त प्रतिवेदन पत्रांक–1497 दिनांक 18.06.12 से पृष्ठांकित किया गया है। प्रश्न है कि दिनांक 12.06.12 को स्थल पर दिये गये निदेश की सम्पुष्टि में विलंब हो रहा था तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी। जबकि बाढ़ सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में आपका दायित्व बनता था कि अभियंता प्रमुख द्वारा स्थल पर दिये गये निदेश की सम्पुष्टि में विलंब होने की स्थिति में अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों के बचाव बयान से परिलक्षित होता है कि दिनांक 12.06.12 के पश्चात दिनांक 18.06.12 तक स्थल पर दिये गये निदेश के अनुपालन करने के दिशा में न तो कोई रूचि ही ली गई और न ही ठोस कार्रवाई ही की गयी। अगर आपके द्वारा प्रयास किया जाता तो संभव था कि अभियंता प्रमुख (उ0) का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 13.06.12 को प्राप्त हो सकता था क्योंकि निरीक्षण प्रतिवेदन 13.06.12 को निर्गत हो चुका था।

OUT FLANK BOULDER BEDBAR को NSL तक जोड़ने हेतु दिये गये निदेश के अनुपालन नहीं होने के संबंध में कहा गया है कि दिनांक 12.06.12 को स्थल पर दिये गये निदेश की सम्पुष्टि दिनांक 17.06.12 तक नहीं होने तथा विभागीय पत्रांक–1497, दिनांक 18.06.12 द्वारा निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन में दिनांक 12.06.12 को स्थल पर बेडवार का एक्स्टेंशन जियो बैग से करने का निदेश को परिवर्तित कर क्रेटेड बोल्डर से करने का निदेश प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 19.06.12 से कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन दिनांक 23.06.12 को असामाजिक तत्वों द्वारा कार्य को बन्द करा दिया गया। जिसकी प्राथमिकी संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा स्थानीय थाना में दर्ज करायी गयी तथा क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा भी थाना प्रभारी को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया। पुनः 24.06.12 से शेष कार्य NC से कराकर दिनांक 27.06.12 तक पूरा कराते हुए इसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया है, के आधार पर संचालन पदाधिकारी ने आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया है, को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि दिनांक 12.06.12 का स्थल निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 13.06.12 को विभाग से निर्गत है एवं प्रतिलिपि में उल्लेखित है कि इसकी सूचना दूरभाष से भी आपको दी गयी। आपका यह कहना है कि स्थल निरीक्षण के दौरान दिये गये निदेश को निरीक्षण प्रतिवेदन में परिवर्तित कर दिया गया, को साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। अगर अभियंता प्रमुख द्वारा स्थल पर दिये गये निदेश में किसी प्रकार की दुविधा थी तो इसी समय उसका समाधान किया जाना चाहिए था अथवा अभियंता प्रमुख से पत्राचार कर मामले को निष्पादित करते हुए बाढ़ सुरक्षा जैसे कार्य को ससमय निष्पादित करना चाहिए था। परन्तु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अत। आरोप से 2(क) प्रमाणित होता है।

**आरोप सं० 2(ग)**– स्पर सं०–1 के U/s में तटबंध के तरफ नदी सिफ्टिंग की प्रवृति को देखते हुए प्रतिदिन तीन Reference point यथा स्कूल भवन, ग्रामीण सड़क एवं पुराने रिंग बाँध के निकट तटबंध एवं रिभर एज की दूरी मुख्यालय को कटाव की दर का आकलन करने हेतु प्रतिवेदित करने के दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमंडलीय स्तर पर संधारित आँकड़े में दिनांक 27.06.2012 तक नदी की सिफटींग प्रवृति में मामूली परिवर्तन होने तथा दिनांक 27.06.12 के बाढ़ नदी की सिफटींग प्रवृति के अधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप इसकी सूचना प्रमंडलीय कार्यालय से मुख्य अभियंता सहित मुख्यालय को दिनांक 27.06.12 से दिये जाने के आलोक में आरोप सं०–2(ग) को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है।

श्री सिंह, तत0 कार्यपालक अभियंता के बचाव बयान के साथ संलग्न अभिलेख से स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.06.12 को स्थल निरीक्षण के क्रम में अभियंता प्रमुख द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में तीन Reference Point पर नदी के रिभर एज की दूरी प्रतिदिन मापीकर संधारित किया गया है। जिसकी पुष्टि श्री सिंह के बचाव–बयान से भी होती है। अतएव माना जा सकता है कि प्रमंडलीय कार्यालय में उक्त आँकड़ों का संधारण किया गया है। ऐसी स्थिति में श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता का दायित्व था कि दिये गये निदेश का अनुपालन के लिए उच्चाधिकारियों एवं विभाग को उक्त आँकड़ों उपलब्ध कराते एवं अभियंता प्रमुख के दिनांक 24.06.2012 के द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान दिखलाते परन्तु श्री सिंह के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जिसके लिए श्री सिंह दोषी पाये गये है। अतः आरोप सं०–2(ग) प्रमाणित होता है।

उक्त के आलोक में श्री राम विनोद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–01, दिनांक 16.01.17 जिसमें निम्न बातें कही गयी है :–

**आरोप सं०–1 (i)** दिनांक 11.06.2012 को प्रधान सचिव को प्रथम एवं द्वितीय स्पर निर्माण कार्य का मुख्य भाग का निर्माण Substantially complete होने की सूचना दी गई थी।

(ii) दिनांक 15.06.2012 को उड़नदस्ता के स्थल परिभ्रमण के उपरांत प्रेषित प्रतिवेदन से स्पष्ट उल्लेख है कि

(क) 7.50KM पर स्थित स्पर–1 के नोज, सैंक एवं टॉप पर ब्रीक सोलिंग करा लिया गया है। मात्र टैंगिंग बांध पर मिट्टी कार्य कराया जा रहा था।

(ख) 7.87KM पर स्पर–2 के प्रथम वर्म तक स्लोप तक मिट्टी कार्य नोज एवं सैंक के एप्रोन का प्रमुख कार्य किया जा चुका था। वर्म पर क्रेटिंग कार्य एवं IInd slope में मिट्टी कार्य प्रगति में था।

(ग) दिनांक 11.06.2012 को प्रमंडलीय स्तर से दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य अभियंता ने अपने पत्रांक–1621, दिनांक 13.06.2012 से प्रगति प्रतिवेदन विभाग को दी गयी। उक्त प्रतिवेदन में स्पर–1 एवं स्पर–2 की प्रगति क्रमश 96.82% एवं 77.48% प्रतिवेदित है।

वस्तुतः प्रधान सचिव का पत्रांक–84/PS दिनांक 18.06.2012 अभियंता प्रमुख के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आधारित है। जिसमें अधिकांश भाग काल्पनिक है। इसी आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

**आरोप सं० 2(क)** :– दिनांक 12.06.2012 को अभियंता प्रमुख (उ0) द्वारा स्थल निरीक्षण में कुछ कार्य करने का मौखिक निदेश दिया गया, परन्तु इस आशय का आदेश स्थल पंजी एवं निरीक्षण पंजी पर अंकित नहीं किया गया। फलतः संवेदक द्वारा लिखित आदेश की माँग की गयी। परन्तु अभियंता प्रमुख (उ0) के उक्त मौखिक निदेश जो उनके पत्रांक–753, दिनांक 16.02.2012 में निहित आदेश के आलोक में नहीं था। फलतः मेरे स्तर से कार्यपालक अभियंता के स्तर से संवेदक को लिखित निदेश देना संभव नहीं हो सका।

दिनांक 15.06.2012 को स्थल पर अभियंता प्रमुख (उ0) द्वारा दिये गये मौखिक आदेश में श्री संजय कुमार तिवारी द्वारा कुछ संशोधन की सूचना दी गयी एंव मुख्य अभियंता से आदेश प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की सूचना दी गई। इसी क्रम में दूरभाष पर मुख्य अभियंता से वार्ता करने पर उनके द्वारा निदेश प्राप्त हुआ कि निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यान्वयन किया जायेगा। दिनांक 18.06.2012 को मुख्य अभियंता के मौखिक निदेश पर नाईलन क्रेट से ट्रेच प्लग करने एवं बोल्डर से आउट फ्लौंक बेडवार को जोड़ने का निदेश प्राप्त हुआ। तत्पश्चात दिनांक बेडवार को जोड़ने का निदेश प्राप्त हुआ। तत्पश्चात दिनांक 19.06.2012 से कार्य प्रारंभ किया गया। परन्तु दिनांक 23.06.2012 को असमाजिक तत्वो द्वारा अवरोध पैदा किया गया। जिसकी सूचना जिलाधिकारी को दी गयी।

**आरोप सं० 2(ग)** :– दिनांक 12.06.2012 से ही नीचे रेफरेंस बिन्दु पर रिभर ऐज की दूरी को प्रमंडलीय कार्यालय में प्रतिदिन संधारित किया गया है। उक्त से ज्ञात है कि दिनांक 24.06.2012 तक रिभर एज में मामूली परिवर्तन हुआ है एवं दिनांक 25.06.2012 से रिभर एज की गतिशिलता दर्शनीय तौर पर देखा गया। जिसे खैरियत प्रतिवेदन के साथ मुख्यालय को NR के माध्यम से सूचित किया गया। दिनांक 24.06.2012 को अभियंता प्रमुख को स्थल निरीक्षण में दिखलाया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनांक 12.06.2012 को निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 13.06.2012 को निर्गत है। जिसे दिनांक 18.06.2012 को मुख्य अभियंता को पृष्ठांकित कर निर्गत किया गया है। संभव है कि किसी खास कारण से जानबूझकर निलंबित किया गया। इसका आभास उनके द्वितीय निरीक्षण के बाढ़ निर्गत पीत पत्र के अंतिम कंडिका से होती है। इसी बीच श्री संजय कुमार तिवारी द्वारा स्थल पर दिये गये निदेश में व्यापक फेर–बदल होने की सूचना प्रभारी सहायक अभियंता को मिलने पर कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता से विचार विमर्श करने पर लिखित प्रतिवेदन मिलने तक इंतजार करने

की सलाह दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री तिवारी, सहायक अभियंता से मौखिक आदेश में फेर–बदल होने की स्वीकारोक्ति के पश्चात सहमत होते हुए आरोप 2(क) एवं 2(ग) को अप्रमाणित पाया था।

श्री राम विनोद सिंह, तत0 कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

**आरोप सं० 1** – जो स्पर निर्माण कार्य अधुरा रहने के बावजूद दिनांक 11.05.2012 के बैठक में तत्कालीन प्रधान सचिव महोदय को कार्य पूर्ण होने की गलत सूचना देने से संबंधित है।

यह आरोप तत्कालीन प्रधान सचिव के पत्रांक–84/PS दिनांक 18.06.2012 में उद्धित तथ्यों यथा दिनांक 11.05.2012 को मुजफ्फरपुर स्थित निरीक्षण भवन में वार्ता के क्रम में आरोपी द्वारा बताया गया कि तीन अद्द स्पर में से दो अद्द स्पर निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया गया जबकि दिनांक 12.06.2012 को अभियंता प्रमुख (उ0) के स्थल निरीक्षण में स्पर–1 एवं स्पर–2 का कार्य अधुरा पाया गया।

आरोपी का कथन है कि दिनांक 11.05.2012 को तत्कालीन प्रधान सचिव महोदय को स्पर–1 का कार्य टैगिंग बाँध को छोड़कर लगभग समाप्त होने एवं स्पर–2 का प्रथम वर्म के उपर 2nd shape एवं टैगिंग बाँध का कार्य प्रगति पर था की सूचना दी गयी थी को संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए कहा गया है कि अवशेष कार्य साधारण प्रकृति का मानते हुए आरोपी द्वारा Substantially complete होने की सूचना दी गयी थी। जिसमें संभवतः भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई होगी एवं गलत सूचना देने के लिए दोषी करार दिया गया तथा आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

चूँकि प्रधान सचिव के पत्रांक–84 /PS दिनांक 18.06.2012 में उद्धित है कि आरोपी द्वारा दिनांक 11.05.2012 को दोनों स्पर–1 तथा स्पर–2 का निर्माण कार्य की पूर्ण जानकारी दी गयी थी एवं इसके अतिरिक्त कोई साक्ष्य संचिका में नहीं है जिससे स्थापित हो सके की आरोपी द्वारा दोनों स्पर–1 एवं स्पर–2 का निर्माण का निर्माण कार्य दिनांक 11.05.2012 तक पूर्ण कराने की सूचना दी गयी है। मुख्य अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–1621, दिनांक 13.06.2012 से विभाग को समर्पित प्रगति प्रतिवेदन में दोनों स्पर के निर्माण कार्य की प्रगति क्रमशः 96.82 प्रतिशत एवं 77.48 प्रतिशत बताया गया है न कि पूर्ण होना। परन्तु तत्कालीन प्रधान सचिव के पत्रांक–84 /PS दिनांक 18.06.2012 में उद्धित तथ्यों को नकारा जाना भी उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि सामन्यतः किसी की प्रगति की प्रथम सूचना कार्यपालक अभियंता के द्वारा की उच्चाधिकारियों को दिया जाता है। क्योंकि कार्यपालक अभियंता कार्यो के कार्यान्वयन पदाधिकारी होते है। अतएव आरोप सं०–1 श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित होता है।

**आरोप सं० 2(क)** :– संचालन पदाधिकारी ने निम्न तथ्यों के आलोक में आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है।

(क) दिनांक 12.06.2012 को स्थल पर दिये गये निदेशों की समपुष्टि अपने निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा दिनांक 17.06.2012 तक नहीं किया जाना।

(ख) दिनांक 12.06.2012 को स्थल पर दिये गये मौखिक निदेशों में परिवर्तन के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठांकित किया जाना।

(ग) आरोपी का कहना है कि संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था। परन्तु आदेश की सम्पुष्टि नहीं होने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया ।

इस संबंध में आरोपी श्री सिंह द्वारा कहा गया है कि श्री संजय कुमार तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना जो दिनांक 12.06.12 को स्थल निरीक्षण में अभियंता प्रमुख के साथ थे द्वारा दिनांक 15.06.12 को दिनांक 12.06.2012 को अभियंता प्रमुख द्वारा दिये गये मौखिक निदेश में संशोधन की सूचना दी गयी। साथ ही मुख्य अभियंता से आदेश प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने संबंधि सूचना प्राप्त हुआ। इस क्रम में मुख्य अभियंता द्वारा निदेशित किया गया कि मौखिक आदेश को उनके निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यान्वयन किया जायेगा। जिसकी पुष्टि मुख्य अभियंता के बचाव बयान एवं स्थल पंजी से होती है। ऐसी स्थिति में श्री सिंह के विरूद्ध आरोप सं०–2(क) जो अभियंता प्रमुख (उ0) के द्वारा दिनांक 12.06.2012 को दिये गये निदेश का अनुपालन यही करने से संबंधित है प्रमाणित नहीं होता है।

**आरोप सं० 2(ग)** :–जो दिनांक 12.06.2012 को रिभर एज से तटबंध की दूरी मुख्यालय को प्रतिदिन उपलब्ध कराने के लिये दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने से संबंधित है।

दिनांक 12.06.2012 को स्थल निरीक्षण के क्रम में अभियंता प्रमुख (उ0) द्वारा प्रतिदिन तीन रेफरेंस प्वाईंट पर तटबंध से रीभर एज की दूरी प्रतिदिन मुख्यालय को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया था ताकि कटाव की गति का आकलन किया जा सके। अभियंता प्रमुख (उ0) के दिनांक 24.06.12 को निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित है कि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि तीनों Reference point पर रिभर एज की दूरी माप कर प्रमंडल स्तर पर पंजी में संधारित किया गया है। परन्तु कार्यपालक अभियंता श्री सिंह द्वारा उक्त आँकड़े को दिनांक 27.06.2012 तक न तो उच्चाधिकारी एवं न ही विभाग को उपलब्ध कराया गया।

आरोपी श्री सिंह ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे परिलक्षित हो सके कि उनके द्वारा दिनांक 12.06.12 को दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुए वांछित आकड़े विभाग अथवा वरीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। अतएव श्री सिंह कार्यपालक अभियंता को आदेश की अवहेलना करते हुए अधियाचित आँकड़े उपलब्ध नहीं कराने का आरोप प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रामविनोद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज वैशाली सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

**"पेंशन से पाँच प्रतिशत (5%) की कटौती एक वर्ष के लिए"**

उक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति प्राप्त है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम विनोद सिंह, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, मुहल्ला–क्लब रोड़, शिवशंकर पथ, मिठनपुरा, पो0–रमना, मुजफ्फरपुर को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

**"पेंशन से पाँच प्रतिशत (5%) की कटौती एक वर्ष के लिए"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

**9 जनवरी 2018**

**सं० 22/नि०सि०(मोति०)–08–03/2013(अंश–2)/53**––श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह (आई0डी0–2433), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल सं0–2, खगौल संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध नेपाल हितकारी योजना–2009 गंडक परियोजना के मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गयी अनियमितता के तथ्यों को अनदेखी करने, मूल तथ्य को छिपाकर कार्य में स्थानीय सामग्री उपयोग होने का जाँचफल में रेखांकित नहीं करने संबंधी निम्न आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–946 दिनांक 18.05.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गयी अनयमितता की जाँच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, पटना द्वारा किया गया। जाँच में पाया गया कि एकरारनामा के विरूद्ध कार्य में स्थानीय सामग्री यथा स्टोन मेटेल का उपयोग होने के बावजूद भी सामग्री ढुलाई मद में वास्तविक लीड के बजाय एकरारित दर से अनियमित भुगतान किया गया, फलस्वरूप सरकार को एक बड़ी राशि की क्षति हुई।

उनके द्वारा कार्यो के कार्यान्वयन के दौरान स्थल से प्रयुक्त सामग्रियों का नमूना संग्रह करते हुए गुणवत्ता की जाँच की गयी एवं विभिन्न तिथियों में जाँचफल कार्य में संलग्न प्रमंडल को प्रेषित किया गया, जिसमें स्थानीय सामग्री के प्रयोग के अनियमित कृत को रेखांकित नहीं किया गया, जबकि कार्य में स्थानीय सामग्री का प्रयोग स्पष्ट रूप से परिलक्षित था। मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर (मोतिहारी) द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से कार्य में स्थानीय सामग्री के उपयोग होने की उद्घोषणा बार–बार किया जाता रहा। यहाँ तक कि मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर द्वारा पत्रांक–481 दिनांक 31.03.2012 से विशेष रूप से गुणवत्ता जाँच हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण एवं शोध, अनिसाबाद, पटना से अनुरोध भी किया गया। जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 4.0.0 (स्थल निरीक्षण) में उद्धित है कि स्थल निरीक्षण से स्पष्ट परिलक्षित था कि शेखपुरा से भिन्न स्थानीय पत्थर का इस्तेमाल कार्य में किया गया। अतएव माना जा सकता है कि वे भलिभाँति अवगत थे कि कार्य में स्थानीय सामग्री का उपयोग हो रहा है।

इन सब तथ्यों को अनदेखी करते हुए उनके द्वारा मूल तथ्यों को छिपाकर कार्य में स्थानीय सामग्री के उपयोग होने का जाँचफल में रेखांकित नहीं करना दर्शाता है कि उक्त अनियमित कृत में उनकी सहभागिता रही है, जिसके लिए वे दोषी है।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरांत निम्नांकित तथ्यों के आधार पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–2464 दिनांक 24.11.2016 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई :–

आरोपी का यह कहना है कि पूर्व से निर्धारित प्रपत्र में स्थानीय यथा चिकने सतह के पत्थर की जाँच करने का उल्लेख नहीं है, परन्तु पूर्व निर्धारित प्रपत्र किस स्तर के पदाधिकारी से निर्गत है, से संबंधित कोई साक्ष्य नही दिया गया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की कंडिका में अंकित है कि IRC Section 404.21 में Crushed Gravel के प्रयोग करने पर कम से कम 90 प्रतिशत भाग 4.75mm से बड़ा होना चाहिए तथा इसमें कम से कम दो Fracture Face होना चाहिए तथा IRC Section 1004 में Round Surface के Stone के प्रयोग की मनाही की गयी है। Stone में Round Surface हेतु प्रपत्र में समावेश नहीं किया जाना परिलक्षित करता है कि पूर्व से निर्धारित प्रपत्र त्रुटिपूर्ण है। अतएव आरोपी का कथन कि गुणवत्ता प्रपत्र में Round Surface की जाँच के संबंध में उल्लेख नहीं होने के कारण उसकी जाँच नहीं की गई, को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। वर्णित सन्दर्भ में श्री सिंह के विरूद्ध आलोच्य कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री के उपयोग कर न्यून विशिष्टि के कार्य होने के बावजूद गुणवत्ता जाँचफल में उक्त अनियमित कृत को रेखांकित नहीं करने के कारण अनियमित भुगतान होने के आरोप को प्रमाणित माना जा सकता है।

उक्त आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव बयान के मुख्य अंश निम्नवत है :–

(i) उनके द्वारा प्रेषित जाँचफल की टिप्पणी भाग में लिखा होता है कि ''जाँचफल का मिलान अपने स्तर से कार्य की तकनीकि विशिष्टि/एकरारनामा से कर लिया जाय।'' जाँचफल प्रतिवेदन पूरे संरचना की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह उस बिन्दु का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ से नमूना संग्रह किया गया है।

(ii) आरोप मुख्यतः इस बिन्दु पर है कि सामग्री स्थानीय श्रोत से आपूर्ति की गयी, लेकिन एकरारनामा में प्रावधानित शेखपुरा खदान से सामग्री मद की ढुलाई दिखलाकर अत्याधिक लीड से भुगतान किया गया। इस आरोप से संबंधित बिन्दु पर गुण नियंत्रण संगठन द्वारा न तो जाँच की जा सकती है और न ही इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यह दायित्व कार्य में संलग्न प्रभारी अभियंता की होती है।

(iii) संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच का दायरा आरोप पत्र तक रखते हुए सही निष्कर्ष गठित किया गया है कि सामग्री ढुलाई की दूरी का सत्यापन गुण नियंत्रण संगठन के दायरे से परे है। अतएव अनियमितता के लिए आरोपित पदाधिकारी को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है।

(iv) उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जाँचफल में शेखपुरा के पत्थर का उपयोग न होकर स्थानीय सामग्री के उपयोग होने का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण अतिरिक्त लीड से भुगतान करने का मौका प्रभारी अभियंताओं को मिल गया एवं इस अनियमित कृत में उनकी सहभागिता का आरोप उन पर नहीं लगाया जा सकता है। यह भ्रामक एवं निर्मूल है जो निम्नलिखित तथ्यों से परिलक्षित होता है। उनके द्वारा जून 2012 में किये गये गुणवत्ता जाँच के पूर्व ही यह निश्चित हो चुका था कि स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

(v) मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर के पत्रांक–276 दिनांक 21.03.2012 द्वारा संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया था कि गुणवत्ता विहिन कार्यों का भुगतान तत्काल लंबित रखा जाय, तथा पत्रांक–420 दिनांक 31.03.2012 से पुनः भुगतान पर रोक लगाते हुए अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है एवं पत्रांक–499 दिनांक 09.04.2012 द्वारा अभियंता प्रमुख को सम्बोधित पत्र में अंकित है कि कार्य में स्थानीय सामग्री का उपयोग होने के बावजूद भुगतान एकरारनामा में प्रावधानित लीड के अनुरूप अनियमित ढंग से किया जा रहा है, जिसके लिये अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभिंयता दोषी है।

मुख्य अभियंता के पत्रों से स्पष्ट है कि स्थानीय सामग्री के उपयोग होने के पश्चात मार्च 2012 से ही सामग्री ढुलाई मद में अनियमित भुगतान हो रहा था। गुणवत्ता जाँचफल पर निर्भर नहीं था। तब दोषी ठहराया जाना कि अनियमित भुगतान में हमलोगों की सहभागिता थी। न्याय संगत नहीं है। अगर मुख्य अभियंता के द्वारा ही प्रारम्भ से ही भुगतान का रोक का आग्रह कोषागार से किया जाता तो अनियमित भुगतान रोका जा सकता था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया एवं गुण नियंत्रण के पदाधिकारियों की सहभागिता चिन्हित की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न तो Source of Material को चिन्हित करना गुण नियंत्रण के Scope of Work में था एवं न ही इस तरह का कोई दिशा निदेश था। ऐसी स्थिति में गुण नियंत्रण के पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में रेखांकित नहीं किये जाने के कारण अतिरिक्त लीड से अनियमित भुगतान का मामला कैसे बनता है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि जिस आरोप के लिये उन्हें आरोपित किया गया है उस आरोप से उन्हें जोड़े जाने एवं प्रमाणित मामले का कोई औचित्य एवं वैधिक आधार नही है। उक्त आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

**पूरक बचाव बयान** :– विभागीय पत्रांक–756 दिनांक 28.05.2012 के अनुपालन में योजना एवं मोनेटरिंग एवं केन्द्रीय जाँच प्रयोगशाला के संयुक्त गठित जाँच दल द्वारा स्थल पर जाकर गुणवत्ता जाँच हेतु नमुना दिनांक 15.06.2012 को एकत्रित कर किया गया तथा सामुहिक रूप से जाँचोपरांत जाँचफल विभाग को समर्पित किया गया।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 15.06.2012 को रोड निर्माण मे प्रत्युक्त स्टोन मेटल इत्यादि का नमुना RD 13.50, 15.0, 32.30 एवं 40.10 पर लिया गया था। RD 42.00 से RD 62.00 तक कार्य की प्रगति उस समय नगण्य थी। अतः इस रीच में प्रयोग किये जाने वाले सामग्री की जाँच हेतु नमूना एकत्र करना संभव नहीं हो पाया था। जाँच प्रतिवदेन से स्पष्ट है कि जाँचदल द्वारा दिनांक 13.08.2012 को RD 42.00 से RD 62.00 के बीच सड़क निर्माण में प्रत्युक्त सामग्रियों का नमुना संग्रह किया गया था। उक्त से स्पष्ट है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच दल द्वारा किये गये जाँच से संबंधित स्थल (वि0दू0) से भिन्न (वि0दू0) स्थल से उनके द्वारा नमुना संग्रह किया गया है। अतः तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा किये गये जाँच एवं उसके फलाफल के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया है कि WMC के वि0दू0–42.00 से 62.00 तक सड़क निर्माण कार्य में स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया गया है। इस निष्कर्ष पर हमलोगों के संयुक्त जाँच दल द्वारा भिन्न स्थल से एकत्र सामग्री के जाँचफल की तुलना कर दोषी नहीं माना जा सकता है। क्योंकि भिन्न–भिन्न स्थल पर प्रत्युक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं प्राप्ति श्रोत भिन्न हो सकती है जिसपर विचार किया जाना आवश्यक है।

**विभागीय समीक्षा** :– श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप का मुख्य अंश है कि नेपाल हितकारी योजना, 2009 के तहत मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध कार्य में स्थानीय सामग्री के उपयोग होने के बावजूद उनके द्वारा गुणवत्ता जाँचफल में उक्त अनियमित कृत को रेखांकित नहीं किया जाना। फलतः सामग्री ढुलाई मद में वास्तविक लीड के बजाय प्रावधानित लीड से भुगतान होने की अनियमितता होना।

आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने आरोप प्रमाणित नहीं होने के दिये गये मंतव्य से असहमत होते हुए निम्न बिन्दुओं के आलोक में द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गयी :–

(i) उनके द्वारा कहा जाना कि पूर्व से निर्धारित प्रपत्र मे स्थानीय यथा चिकने सतह के पत्थर की जाँच करने का उल्लेख नहीं है, परन्तु पूर्व निर्धारित प्रपत्र किस स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत है, से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है अतएव उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा कंडिका में अंकित है कि IRC Section 404-21 में Crushed Gravel के प्रयोग करने पर कम से कम 90 प्रतिशत भाग 4.75mm से बड़ा होना चाहिए तथा इसमें कम से कम दो Fracture Face होना चाहिये। परन्तु IRC-1004 में Round Surface के स्टोन के प्रयोग की मनाही की गयी है। उक्त से स्पष्ट है कि जाँचफल हेतु निर्गत प्रपत्र में Stone के Round Surface के कॉलम का समावेश होना चाहिये था। अतएव पूर्व से निर्धारित प्रपत्र को त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है। अतः गुणवत्ता प्रपत्र में Round Surface की जाँच का उल्लेख नहीं होने के कारण इसकी जाँच नहीं की गयी को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

(iii) प्राक्कलन में शेखपुरा या स्थानीय मैटेरियल के प्रावधान के बारे में किसी विशेष विशिष्टि का उल्लेख नहीं था, को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्राक्कलन में सामग्री ढुलाई मद तथा एकरारनामा के साथ संलग्न B.O.Q में स्टोन चिप्स एवं मेटल की ढुलाई शेखपुरा से किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर द्वारा विभिन्न पत्रों उक्त अनियमित कृत का उद्घोषणा लगातार जाता रहा है, जबकि विभागीय पत्रांक–754 दिनांक 28.05.2012 द्वारा विशेष ढंग से गुणवत्ता की जाँच हेतु उनको निदेश दिया गया था।

(iv) उनके द्वारा कहा जाना कि कार्य में स्थानीय सामग्री अथवा शेखपुरा के पत्थर का उपयोग के बारे में टिप्पणी किया जाना इनके कार्य क्षेत्र से परे है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि गुणवत्ता जाँचफल के आधार पर ही कार्य प्रमंडल द्वारा भुगतान किया जाता है। जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 4.0.0 से स्पष्ट है कि कार्य में शेखपुरा से भिन्न श्रोत से पत्थर प्राप्त कर उपयोग किया गया है एवं मुख्य अभियंता वाल्मीकिनगर मात्र नेत्रानुमान के आधार पर उक्त अनियमित कृत को बार–बार उद्घोषणा की गयी है।

आरोपी अपने द्वितीय कारण पृच्छा में वही तथ्य एवं साक्ष्य दिया गया जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया गया, असहमति के बिन्दु के आलोक में इनके द्वारा न तो कोई नया तथ्य ही दिया गया एवं न ही कोई साक्ष्य ही उपलब्ध कराया गया, जिससे परिलक्षित हो सके कि इनके द्वारा निर्गत गुणवत्ता जाँचफल वास्तविक तथ्यों के आधार पर दिया गया है। अनियमित भुगतान के संदर्भ में कहा गया है कि भुगतान से पूर्व लीड का सत्यापन करने का दायित्व कार्य में संलग्न अभियंता कि है न की गुण नियंत्रण कार्य में संलग्न पदाधिकारी की। आरोपी के इस कथन को स्वीकार योग्य माना जा सकता है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अनुपूरक बचाव बयान में कहा गया कि विभागीय निदेश के अनुपालन में दिनांक 15.06.2012 को रोड निर्माण कार्य में प्रत्युक्त सामग्री का नमूना वि0दू0–13.50, 15.0, 32.30 एवं 40.10 से संग्रह किया गया तथा प्रयोगशाला में जाँचोपरांत जाँचफल विभाग एवं संबंधित प्रमंडल को दिया गया। वि0दू0 42.00 से 62.00 के बीच कार्य की प्रगति नगण्य रहने के कारण इस रीच से नमुना संग्रह संभव नहीं हो सका, जबकि तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा दिनांक–13.08.2002 को स्थलीय जाँच में उक्त रोड निर्माण कार्य के वि0दू0 42.00 से 62.00 के बीच से नमुना संग्रह किया गया एवं निष्कर्ष दिया गया है। अतएव भिन्न–भिन्न स्थल पर प्रत्युक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं प्राप्ति श्रोत भिन्न हो सकती है। अतः तकनीकी परीक्षक कोषांग के निष्कर्ष के आधार पर दोषी माना जाना न्यायोचित नहीं है।

गुणवत्ता जाँचफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि गुणवत्ता जाँच हेतु वि0दू0 13.50, 15.0, 32.30 एवं 40.10 (Patching Plant) से नमूना संग्रह कर जाँचफल दिनांक 28.06.2012 को आरोपी द्वारा निर्गत किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के कंडिका–4.0.0 (स्थल निरीक्षण कंडिका) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा वि0दू0 42.00 से 62.00 के बीच स्थल निरीक्षण करते हुए इसी रीच से नमुना संग्रह किया गया है तथा कंडिका–5.1.0 में प्रयोगशाला जाँचफल के आधार पर कहा गया है कि वि0दू0 42.00 से 62.00 के बीच लिये गये नमुनों में भी गोल पत्थर का औसत प्रतिशत 62.30 है। इन तथ्यों के आलोक में आरोपी का कथन कि उनके द्वारा संग्रहित नमुना एवं जाँच दल द्वारा संग्रहित नमुना का कार्य स्थल पर प्रत्युक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं प्राप्ति श्रोत अलग–अलग हो सकती है, को कुछ हद तक स्वीकार योग्य माना जा सकता है।

परन्तु आरोपी द्वारा दिनांक 03.05.2012 को भी दो गुणवत्ता जाँचफल निर्गत किया गया है, जिसमें Location वि0दू0–0.00 से 62.50 अंकित है। इस जाँचफल के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन के कंडिका–5.2.0(ख) में कहा गया है कि विभागीय गुणवत्ता जाँचदल द्वारा स्वंय नमुना संग्रह नहीं किया जाना माना जा सकता है एवं दोनों जाँचफल में नमुना संग्रहण के कार्य स्थल के विशेष बिन्दु स्पष्टतः अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों जाँचफल का नमुना वि0दू0–42.00 से 62.00 के बीच से ही संग्रह किया गया है अथवा नहीं, स्थापित किया जाना संभव नहीं है, लेकिन दिनांक 03.05.2012 के पूर्व मुख्य अभियंता द्वारा अनेकों पत्र के माध्यम से आलोच्य कार्य मे स्थानीय सामग्री का उपयोग होने की घोषणा किया जा चुका है।

आरोपी का यह कहना कि उनके द्वारा दिनांक 15.06.2012 को नमुना संग्रहण अवधि में वि0दू0–42.00 से 62.00 के बीच कार्य की प्रगति नगण्य थी फलतः उक्त रीच में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का नमुना संग्रह करना संभव नहीं पाया था, को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि मुख्य अभियंता के दिनांक 11.12.2011 के निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित है कि मुख्य पश्चिमी नहर के वि0दू0 0.00 से 62.50 तक सेवापथ का कार्य निर्माणाधीन पाया गया एवं निरीक्षण के समय पूरी लम्बाई में RBM एवं GSB के साथ एक लेयर WBM का कार्य पूर्ण पाया गया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में दिनांक 26.06.2012 को निर्गत जाँचफल के आधार पर इनके विरूद्ध कार्य में स्थानीय सामग्री के प्रयोग होने के बावजूद गुणवत्ता जाँचफल में उक्त अनियमित कृत को रेखांकित नहीं करने के आरोप संदिग्ध है क्योंकि आरोपी द्वारा संग्रहित नमूना एवं जाँचफल द्वारा संग्रहित नमूना का कार्यस्थल बिन्दू अलग–अलग होने के कारण

संग्रहित नमूना की गुणवत्ता भिन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, परन्तु पूर्व में आरोपी द्वारा दिये गये तथ्यों एवं साक्ष्य तथा दिनांक 03.05.2012 को इनके द्वारा निर्गत जाँचफल के आलोक में आरोप बनता स्पष्ट है।

उपर्युक्त विभागीय समीक्षा में वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सिंह को कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध कार्य मे स्थानीय सामग्री के उपयोग होने के बावजूद भी गुणवत्ता जाँचफल में उक्त अनियमित कृत को रेखांकित नही करने के लिए दोषी माना गया।

मामले की सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह (आई0डी0–2433), तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–02, खगौल संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है :–

**''पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती सदा के लिए।''**

उक्त निर्णय दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–2114 दिनांक 24.11.2017 के माध्यम से सहमति प्रदान की गयी है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह (आई0डी0–2433), तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–02, खगौल संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए, उन्हें संसूचित किया जाता है :–

**''पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती सदा के लिए।''**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

**5 जनवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(पू0)01–03/2014–47**––मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन तत्का0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, चम्पानगर के पदस्थापन अवधि के दौरान पूर्वी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन कार्य योजना के तहत कुर्सेला वितरणी 61.90 पर निर्माणाधीन कैनाल साईफन हेतु सम्बद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने समुचित ढ़ग से सरकारी राशि 17,17,04,202 (सतरह करोड़ सतरह लाख चार हजार दो सौ दो रूपये) के विरूद्ध 8,06,71,790 (आठ करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार सात सौ नब्बे रूपये) के अनुचित भुगतान के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपो के लिए श्री उपेन्द्र, तत0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, चम्पानगर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1512, दिनांक 16.10.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री रामपुकार रंजन, अभियंता प्रमुख (मध्य) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन की छायाप्रति देते हुए श्री उपेन्द्र से विभागीय पत्रांक–2321, दिनांक 24.10.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, तदालोक में श्री उपेन्द्र द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। श्री उपेन्द्र से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर निम्नरूपेण की गयी :–

**श्री उपेन्द्र, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, चम्पानगर**

**आरोप** :– "पूवी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन (ERM) कार्य योजना के तहत कुर्सेला वितरणी 61.90 पर निर्माणाधीन कैनाल सायफन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने, समुचित ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किये जाने, डिवाटरिंग जैसे कार्य को अनियंत्रित ढ़ग से कराये जाने तथा सुनियोजित ढ़ग से सरकारी राशि 17,17,04,202/– रूपये के विरूद्ध 8,06,71,790/– रूपये का अनुचित भुगतान के लिए प्रथम दृष्टया आप दोषी हैं।"

**संचालन पदाधिकारी का मंतव्य** :–समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री उपेन्द्र (ID-3757)तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, चम्पानगर के विरूद्ध गठित विभागीय आरोप प्रमाणित होता है।

**आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में बचाव बयान** :– कंडिका –3 में प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पृच्छा के क्रम में मेरे पत्रांक–100 दिनांक 25.11.16 से कतिपय कागजात की माँग की गयी। वांछित कागजात उपलब्ध नहीं होने के बावजूद विलंब को टालने के लिए उत्तर समर्पित कर रहा हूँ।

**2.** कंडिका–4 से 7 तक आरोप, उनको उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं संचालन पदाधिकारी को एक मात्र आरोप को पाँच प्रमुख अंशों में विभक्त कर साक्ष्यों के आधार पर आरोप लेश मात्र भी प्रमाणित नहीं होने को स्पष्ट किये जाने को उल्लेखित किया गया है।

**3.** कंडिका–8 में प्रतिवेदित किया गया है कि बचाव बयान के साक्ष्यों/तथ्यों की सही संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा विश्लेषण एवं विवेचन नहीं किया गया एवं बिल्कुल सतही तौर पर किया गया जिससे संचालन पदाधिकारी की समीक्षा में सही वस्तुस्थिति परिलक्षित नहीं हो पायी। विभागीय समीक्षा में भी इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया।

**4.** कंडिका–9 में प्रतिवेदित किया गया है कि उपर्युक्त पृष्ठभूमि में संचालन पदाधिकारी द्वारा जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं का संज्ञान जो बचाव बयान में निवेदित है, को द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर में उल्लेखित किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है।

**5.** कंडिका–10 में प्रतिवेदित किया गया है कि :–

(i) समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर मेरे द्वारा कार्य नहीं कराया गया– SBD एकरारनामा के अनुसार संवेदक को कार्यक्रम तैयार कर कार्यपालक अभियंता को देना है जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इसकी अपेक्षा सहायक अभियंता से किया जाना नियमसंगत नहीं है। डिवाटरिंग मद का प्रावधान एकरारनामा में नहीं होने के बावजूद 82 HP के 18 से 24 पम्पों के चालू करने के बाद सायफन निर्माण में अपेक्षित गतिशिलता नहीं होने के कारण अवर प्रमंडल के पत्रांक–85, दिनांक 01.05.13 से मेरे एवं संवेदक के संयुक्त हस्ताक्षर से कार्यक्रम कार्यपालक अभियंता को समर्पित किया गया जो परि0–'क' के रूप में संलग्न है। ऐसी परिस्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा अवर प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं किये जाने को उल्लेखित किये जाने का कोई आधार औचित्य नहीं है।

Working pit दो–दो बार Collapse किया जिसके कारण डिवाटरिंग को उसी स्थिति में लाने में समय लगा जिसके कारण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कराने में विलंब हुआ। डिवाटरिंग कार्य काफी जटिल हो गया क्योंकि इस मद का प्रावधान नहीं था जिसका निर्णय मुख्य अभियंता स्तर पर लिया जाना था। उनके तकनीकी पर्यवेक्षण में ही कार्य कराया गया। तीनों पालियों में डिवाटरिंग का कार्य नहीं कराये जाने को व्यक्त किया जाना निराधार है क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है।

**6.** कंडिका–11 में प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यक्रम को सही ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं करने एवं डिवाटरिंग जैसे कार्य को अनियंत्रित ढ़ग से कराये जाने का संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित माना लिये जाने के संदर्भ में कहना है कि नदी तल से करीब 21'–0" नीचे कंक्रीट ढलाई का प्रावधान था। ऐसी स्थिति में डिवाटरिंग को पूरी तत्परता से किये जाने के बाद ही सायफन निर्माण का जटिल कार्य पूरा किया गया।

**7.** कंडिका–12 में प्रतिवेदित किया गया है कि जाँच प्रतिवेदन के कंडिका–2 में डिवाटरिंग मद के कार्य की मापीपुस्त में दर्ज मापी की जाँच कर मेरे द्वारा कार्यपालक अभियंता द्वारा उपस्थापित किया गया जिसे कार्यपालक अभियंता द्वारा पारित किया गया जिसके लिए अनुचित भुगतान बनने के संचालन पदाधिकारी की अवधारण पूर्णतः आधारहीन है क्योंकि इस मद का प्रारंभ मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ के पत्रांक–2659, दिनांक 09.12.11 एवं भुगतान उनके पत्रांक–184, दिनांक 23.01.13 के आलोक में हुआ। यह कार्य लॉगबुक के आधार पर मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ के निदेश एवं भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुआ। बचाव बयान में लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 243, 244, एवं 245 नोट–2 को प्रसंगित किया गया है जिसके आधार पर रू0 806,71,790/– का भुगतान अनुचित करार देना युक्तिसंगत एवं समीचीन नहीं है। वस्तुतः मुख्य अभियंता एवं संबंधित अभियंता प्रमुख द्वारा पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति को ससमय सरकार के समक्ष नही उठाये जाने से सायफन निर्माण की समस्या और जटिल हो गई क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से बहुत अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। इस तरह मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किये जाने के लिए सहायक अभियंता को अनुचित भुगतान के लिए दोषी मानने का निष्कर्ष निकाला जाना नियम संगत एवं न्याय संगत नहीं है।

**8.** कंडिका–13 एवं 14 में अवशेष कार्य कराकर नहर को नदी से पार कराये जाने के सरकार के निर्णय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया गया है। मेरे इस तथ्य को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त किया जाय।

**समीक्षा** :–आरोपित पदाधिकारी श्री उपेन्द्र, सहायक अभियंता, कमला सायफन निर्माण कार्य एवं इसके अतिरिक्त डिवाटरिंग कार्य (19.02.12 से 01.0713 तक) में संलग्न रहे एवं डिवाटरिंग मद का भुगतान से संबंधित विपत्र इनके द्वारा तैयार किया गया परिलक्षित होता है।

श्री उपेन्द्र द्वारा उनके बचाव बयान के साक्ष्यों/तथ्यों को सही संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा विश्लेषण/विवेचन नहीं किये जाने की पृष्ठभूमि में उन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर में उललेखित किये जाने को प्रतिवेदित किया गया है (कंडिका 8 एवं 9)। उक्त से द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में कोई नया तथ्य नहीं दिया जाना परिलक्षित होता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाया गया है।

श्री उपेन्द्र का कहना है कि SBD एकरारनामा के अनुसार संवेदक को कार्यक्रम तैयार कर कार्यपालक अभियंता को देना है एवं इसकी अपेक्षा उनसे किया जाना नियम संगत नहीं है। यह सही है कि एकरारनामा/निविदा के समय ही कार्यक्रम संवेदक द्वारा दिया जाना है। परन्तु श्री उपेन्द्र आलोच्य कार्य के प्रभारी सहायक अभियंता है एवं उनका भी दायित्व होता है कि स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराने एवं कार्यक्रम नहीं रहने की स्थिति में प्रत्येक बैरल पर डिवाटरिंग में लगने वाले समय को आकलित करते हुए एक कार्यक्रम की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त की जाती, जो किया गया प्रतीत नहीं होता है। श्री उपेन्द्र द्वारा अपने पत्रांक 85 दिनांक 02.05.13 से संयुक्त हस्ताक्षर के साथ कार्यक्रम कार्यपालक अभियंता को भेजा गया है। स्पष्ट है कि यह कार्य के अंतिम चरण में किया गया क्योंकि 19.02.12 से 01.07.13 तक डिवाटरिंग कार्य हुआ है। विभागीय/मुख्यालय पर गठित जाँच समितियों द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वयन नहीं किये जाने को प्रकाश में लाया गया। उक्त से समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वयन नहीं किये जाने को प्रकाश में लाया गया। उक्त से समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वयन नहीं किया जाना परिलक्षित होता है जैसा कि संचालन पदाधिकारी ने समीक्षा में अंकित किया है।

पर्यवेक्षण में कमी एवं अनियंत्रित ढ़ग से डिवाटरिंग कराये जाने के प्रमाणित आरोप के संदर्भ में श्री उपेन्द्र का कहना है कि नदी तल से 21'–0" नीचे नींव तल में कार्य कराये जाने की स्थिति में डिवाटरिंग को पूरी तत्परता से किये जाने के बाद ही निर्माण का जटिल कार्य पूर्ण हुआ। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों, स्थल आदेश पंजी एवं जाँच समितियों के प्रतिवेदन से विदित होता है कि मशीन की कमी श्रमबल एवं निर्माण सामग्रियों का अभाव, डिवाटरिंग होते हुए भी कार्य नहीं होना, कार्यस्थल सूखा रहने की स्थिति में भी मिट्टी कार्य नहीं होना, तीनों पालियों में कार्य नहीं विदित होता है जिससे पर्यवेक्षण में कमी एवं अनियंत्रित डिवाटरिंग कार्य कराया जाना परिलक्षित होता है। सहायक अभियंता के रूप में श्री उपेन्द्र की उक्त दायित्व बनता है। डिवाटरिंग मद में अनियमित भुगतान के संबंध में श्री उपेन्द्र का कहना है कि मुख्य अभियंता, पूर्णियां एवं अधीक्षण अभियंता के आदेशानुसार लॉगबुक संधारित करते हुए उसके आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जाने का कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। उनके द्वारा तैयार विपत्र से कुल 45404 घंटो का कार्यपालक अभियंता द्वारा अमान्य किया गया। स्पष्ट है कि उक्त अनुपयोगी घंटो को लॉगबुक में श्री उपेन्द्र द्वारा अमान्य नहीं किया गया। जबकि स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों/स्थल निरीक्षण पंजी से ऐसा किये जाने का निदेश उच्चाधिकारियों द्वारा दिया जाना परिलक्षित होता है। डिवाटरिंग मद जो अतिरिक्त कार्यमद है, की सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति के उपरांत ही भुगतान किया जाना नियमित भुगतान की श्रेणी में माना जाता है। अनुपयोगी घंटो को लॉगबुक में अमान्य नहीं किये जाने की स्थिति में ही संवेदक द्वारा उसके आधार पर रू0 17,17,04,202/– का दावा माननीय न्यायालय में किये जाने की स्थिति बनी। इस प्रकार सुनियोजित ढ़ग से अनियमित भुगतान का आरोप प्रमाणित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, साक्ष्य एवं जाँच प्रतिवेदनों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री उपेन्द्र, सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, चम्पानगर के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है। अतएव उनका द्वितीय स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत श्री उपेन्द्र, तत0 सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, चम्पानगर को उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है –

**"चार वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।"**

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री उपेन्द्र, तत0 सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, चम्पानगर को निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है–

**"चार वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

———————

**5 जनवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(पू0)01–03/2014–46**––मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन तत्का0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के पदस्थापन अवधि के दौरान पूर्वी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन कार्य योजना के तहत कुर्सेला वितरणी 61.90 पर निर्माणाधीन कैनाल साईफन हेतु सम्बद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने समुचित ढ़ग से सरकारी राशि 17,17,04,202 (सतरह करोड़ सतरह लाख चार हजार दो सौ दो रूपये) के विरूद्ध 8,06,71,790 (आठ करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार सात सौ नब्बे रूपये) के अनुचित भुगतान के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपो के लिए श्री राजवल्लभ यादव, तत0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1511, दिनांक 16.10.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री रामपुकार रंजन, अभियंता प्रमुख (मध्य) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन की छायाप्रति देते हुए श्री राजवल्लभ यादव से विभागीय पत्रांक–2316, दिनांक 24.10.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, तदालोक में श्री राजवल्लभ यादव द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। श्री यादव से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर निम्नरूपेण की गयी :–

**श्री राजवल्लभ यादव, तत0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा सम्प्रति सेवानिवृत**

**आरोप** :– "पूवी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन (ERM) कार्य योजना के तहत कुर्सेला वितरणी 61.90 पर निर्माणाधीन कैनाल सायफन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने, समुचित ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किये जाने, डिवाटरिंग जैसे कार्य को अनियंत्रित ढ़ग से कराये जाने तथा सुनियोजित ढ़ग से सरकारी राशि का 17,17,04,202/– रूपये के विरूद्ध 8,06,71,790/– रूपये का अनुचित भुगतान के लिए प्रथम दृष्टया आप दोषी हैं।"

**संचालन पदाधिकारी का मंतव्य** :–समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री राजवल्लभ यादव ( ID-2211) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के विरूद्ध गठित विभागीय आरोप प्रमाणित होता है।

**आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में बचाव बयान का सार** :–कुर्सेला वितरणी के वि0दू0 61.90 पर निर्माणाधीन सायफन निर्माण में समयबद्ध कार्य कराया गया था। Programme of works बनाया गया था एवं इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई थी। पर्याप्त संख्या में डिवाटरिंग मशीन एवं Stand by में अतिरिक्त मशीन नहीं

रखे जाने के कारण कार्य में विलंब हुआ। मशीन की संख्या बढाने हेतु मेरे एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा अनेकों बार लिखित एवं मौखिक संवेदक को कहा गया जिसकी पुष्टि स्थल आदेश पंजी से की जा सकती है।

पर्यवेक्षण के संबंध में कहना है कि प्रमंडल बथनाहा के अतिरिक्त प्रमंडल, नरपतगंज एवं कटिहार का अतिरिक्त प्रभार एव कार्यक्षेत्र पूर्णियाँ एवं कटिहार जिला था। फिर भी इस स्थल पर विशेष ध्यान देकर पर्याप्त पर्यवेक्षण किया गया। नदी तल से 7 मीटर नीचे से पानी निकाल कर कार्य कराना अपने आप में जटिल एवं कठिन कार्य के लिए अनुभवी एवं साधन सम्पन्न संवेदक की आवश्यकता थी जो नहीं थे जिसके कारण कार्य में बाधा हुई।

विपत्र का भुगतान के पूर्व अपने पत्रांक 129 दिनांक 28.01.13 से एकरारनामा का सेक्सन–6 कंडिका–7 को उल्लेखित करते हुए Extra items के भुगतान के लिए सक्षम नहीं होने एवं सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अधीक्षण अभियंता, पूर्णियां से अनुरोध किया एवं इसकी सूचना मोनिटरिंग अंचल–2, पटना को दी । उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता के पत्रांक–184, दिनांक 23.01.13 एवं अधीक्षण अभियंता, पूर्णियां के पत्रांक 143, दिनांक 02.02.13 से रू0 2,07,66,096/– भुगतान की स्वीकृति दी गई एवं साथ ही कहा गया कि भुगतान के आदेश के बावजूद गैर तकनीकी रूप में मामले को उलझाया जा रहा है। विपत्र के भुगतान हेतु विभाग से मौखिक रूप से डराया–धमकाया एवं दबाव बनाया बया। अवर प्रमंडल पदाधिकारी चम्पानगर द्वारा रू0 4,86,13,672/– के प्रस्तुत विपत्र को अमान्य करते हुए स्वीकृत राशि रू0 2,07,66,096/– का ही भुगतान किया गया।

अंत में आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

**समीक्षा** :– प्रस्तुत आरोप के निम्न भाग है –

(i) समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराया जाना।

(ii) समुचित ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किया जाना।

(iii) डिवाटरिंग कार्य अनियंत्रित ढ़ग से कराया जाना तथा सुनियोजित ढ़ग से सरकारी राशि रू0 17,17,04,202/– के विरूद्ध रू0 8,06,71,790/– का अनुचित भुगतान किया जाना।

आरोपित पदाधिकारी श्री राजवल्लभ यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर जिसका संक्षिप्त ब्योरा उपर अंकित है, एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित श्री यादव का बयान में लगभग सदृश तथ्य अंकित किये जाने का बोध होता है एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके बयान के समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये जाने का निष्कर्षित किया गया है।

श्री यादव का समयबद्ध कार्य कराने, कार्यक्रम तैयार किये जाने एवं उच्चाधिकारियों को जानकारी होने को उल्लेखित किया गया है। इनके द्वारा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है जिससे इनके कथन की प्रमाणिकता भी अभिलेखीय पुष्टि नहीं हो पाती है।

श्री यादव द्वारा पर्याप्त संख्या में डिवाटरिंग मशीन Stand by में अतिरिक्त मशीन नहीं रहने के कारण डिवाटरिंग में विलम्ब होने को प्रतिवेदित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों स्थल निरीक्षण पंजी, तथा विभागीय/मुख्य अभियंता स्तर से गठित जाँच समितियों के प्रतिवेदनों से श्रमबल/निर्माण सामग्री की कमी, डिवाटरिंग के बावजूद Concreting नहीं होना, स्थल सूखा रहने के बावजूद मिट्टी कटाई नहीं होना, तीनों पालियों में कार्य नहीं होने का बोध होता है जिससे समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं किया जाना पर्यवेक्षण का अभाव एवं अनियंत्रित डिवाटरिंग कार्य कराया जाना परिलक्षित होता है।

भुगतान के संदर्भ में श्री यादव का कहना है कि पत्रांक–129 दिनांक 28.01.13 से अतिरिक्त मद (डिवाटरिंग मद) की सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव के आलोक में मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ के पत्रांक 184, दिनांक एवं अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ के पत्रांक–143, दिनांक 02.02.13 द्वारा रू0 2,07,66,096/– का स्वीकृति दिये जाने के उपरांत रू0 1,86,21,640/– का भुगतान किया गया है। श्री यादव 28.02.13 तक सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा में कार्यरत रहे एवं दिनांक 19.02.12 से पदस्थापन अवधि (बाद में भी हुआ है) तक डिवाटरिंग हेतु मशीन चलाये गये है। श्री यादव द्वारा 19.02.12 से 23.07.12 तक के डिवाटरिंग मद के 48192.47 घंटो के लिए रू0 4,86,13,672/– का अंकित विपत्र को मुख्य अभियंता स्तर से स्वीकृत राशि तक भुगतान किया गया है। भुगतान के मामले में श्री यादव कार्यपालक अभियंता पूर्ण जिम्मेवार होते है। श्री यादव द्वारा पर्याप्त डिवाटरिंग मशीन एवं Stand byमें अतिरिक्त मशीन की कमी रहने को स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद स्वीकृत राशि का भुगतान किया गया है। डिवाटरिंग मद में संभावित कुल व्यय को आकलित करते हुए प्रस्ताव दिया जाना चाहिये, चूँकि यह अतिरिक्त मद है परन्तु आंशिक अवधि 19.02.12 से 23.07.12 तक का ही प्रस्ताव दिये जाने का बोध होता है। अनुपयोगी घंटो को भी लॉगबुक में अमान्य किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया जिसके कारण 19.02.12 से 01.07.13 तक के डिवाटरिंग के लिए संवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में रू0 17,17,04,202/– का दावा किया गया है। उपरोक्त से अनियमित भुगतान में संलिप्तता परिलक्षित होता है।

उपर्युक्त तथ्यों, साक्ष्य एवं जाँच प्रतिवेदनों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राजवल्लभ यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत श्री राजवल्लभ यादव, तत्का0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा सम्प्रति से0नि0 को उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है –

**"पेंशन से 10 प्रतिशत की स्थायी कटौती।"**

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजवल्लभ यादव, तत्का0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा सम्प्रति से0नि0 को निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है –

**"पेंशन से 10 प्रतिशत की स्थायी कटौती।"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

———————

**5 जनवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(पू0)01–03/2014–39**––मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन अधीक्षण अभियंता नहर अंचल पूर्णियाँ के पदस्थापन अवधि के दौरान पूर्वी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन कार्य योजना के तहत कुर्सेला वितरणी 61.90 पर निर्माणाधीन कैनाल साईफन हेतु सम्बद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने समुचित ढ़ग से सरकारी राशि 17,17,04,202 (सतरह करोड़ सतरह लाख चार हजार दो सौ दो रूपये) के विरूद्ध 8,06,71,790 (आठ करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार सात सौ नब्बे रूपये) के अनुचित भुगतान के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपो के लिए श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता नहर अंचल, पूर्णियाँ के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1514, दिनांक 16.10.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री रामपुकार रंजन, अभियंता प्रमुख (मध्य) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन की छायाप्रति देते हुए श्री लक्ष्मण राम से विभागीय पत्रांक–2315, दिनांक 24.10.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, तदालोक में श्री लक्ष्मण राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर निम्नरूपेण की गयी :–

**समीक्षा** :– प्रस्तुत आरोप के निम्न भाग है –

(i) समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराया जाना।

(ii) समुचित ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किया जाना।

(iii) अनियंत्रित ढ़ग से डिवाटरिंग कार्य कराया जाना तथा सुनियोजित ढ़ग से सरकारी राशि रू0 17,17,04,202/– के विरूद्ध रू0 8,06,71,790/– का अनुचित भुगतान किया जाना।

आरोपी पदाधिकारी श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता का द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित उनका बचाव बयान में लगभग सदृश तथ्य अंकित किये जाने का बोध होता है एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके बचाव बयान के समीक्षोपरांत आरोप प्रमाणित पाये जाने को निष्कर्षित किया गया है।

मुख्य अभियंता, पूर्णियां के पत्रांक 1469 दिनांक 09.06.10 एवं पत्रांक 929 दिनांक 02.04.11 से एकरारित संरचनाओं का समेकित रूप से कार्यक्रम तैयार किये जाने के आरोपी पदाधिकारी के अंकित बयान की पुष्टि होती है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि एकरारित सभी संरचनाओं (2314 अद्द) का अलग–अलग समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना संभव नहीं है। साथ ही आलोच्य संरचना के संदर्भ में कहना है कि Well point system से जटिल डिवाटरिंग की स्थिति में समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना संभव नहीं था। इस प्रकार बिना समयबद्ध कार्यक्रम के आलोच्य संरचना का निर्माण कराया जाना परिलक्षित होता है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि नदी तल से करीब 21'–0" नीचे नींव तल होने एवं फरियानी नदी में संरचना निर्माण कराये जाने में जटिल डिवाटरिंग की स्थिति में जटिल संरचना का निर्माण कराया जाना है। उक्त परिस्थिति में प्रत्येक बैरल निर्माण में लगने वाले डिवाटरिंग में समय को आकलित करते हुए एक समयवद्ध कार्यक्रम जिसका अनुपालन संवेदक की भी बाध्यता होती, तैयार कर निर्माण कराये जाने से डिवाटरिंग मद एवं समय की बचत होती। परन्तु ऐसा प्रयास किया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

पर्यवेक्षण में कमी के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी द्वारा संलग्न किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं स्थल निरीक्षण पंजी के अवलोकन से विभिन्न तिथियों में आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने के कथन की पुष्टि होती है। उक्त प्रतिवेदनों एवं पंजी में अपर्याप्त मात्रा में डिवाटरिंग पम्प चालू रहने, श्रमबल एवं सामग्री में कमी के कारण कार्य नहीं होने डिवाटरिंग मद के भुगतान हेतु सरकार की जवाबदेही नहीं होने आदि जैसे तथ्यों को अंकित करते हुए निदेशित किया गया है। परन्तु आरोपित पदाधिकारी कार्य प्रभारी कार्यपालक अभियंता के नियंत्री पदाधिकारी होते हुए भी उसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने कमी को आकलित कर सुझाव दिये जाने जैसे कोई कार्रवाई किये जाने का बोध नहीं होता है जिसमें समुचित ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किया जाना परिलक्षित होता है।

अनियंत्रित तरीके से डिवाटरिंग कार्य कराये जाने के संबंध में अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं स्थल निरीक्षण पंजी को संदर्भित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि पर्याप्त संख्या में डिवाटरिंग पम्प, श्रमबल एवं सामग्री को लगाकर दिन–रात कार्य करने एवं स्थल उपलब्ध रहने की स्थिति में तीनों शिफ्ट में कार्य नहीं करने पर बिना कार्य अवधि का भुगतान नहीं करने की चेतावनी दी जाती रही। उपरोक्त की पुष्टि उनके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं स्थल निरीक्षण पंजी से होती है। परन्तु उनके स्थल निरीक्षण के दौरान डिवाटरिंग हेतु पम्प की आवश्यकता का आकलन तीनों पालियों में डिवाटरिंग एवं निर्वाध रूप निर्माण होते रहना, अलाभकारी अपर्याप्त मात्रा में पम्प चलाये जाने अथवा श्रमबल एवं सामग्री के कमी के कारण

कार्यस्थल उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद कार्य नहीं होने की स्थिति में लॉगबुक में उन घंटो को अमान्य किये जाने जैसी कोई कारवाई नहीं किये जाने का बोध होता है जिससे अनियंत्रित तरीके से डिवाटरिंग होते रहा एवं इस मद में अधिक व्यय तथा संवेदक द्वारा अनुचित दावा किये जाने की स्थिति बनी। जबकि आरोपित पदाधिकारी प्रभारी कार्यपालक अभियंता के नियंत्री पदाधिकारी रहे। इस प्रकार अनियंत्रित ढ़ग से डिवाटरिंग कार्य कराया जाना परिलक्षित होता है।

डिवाटरिंग मद में सुनियोजित ढ़ग से अनुचित भुगतान का आरोप है। इस संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं स्थल निरीक्षण पंजी से अपर्याप्त मात्रा में डिवाटरिंग पम्प चालू रहने एवं डिवाटरिंग होते रहने की स्थिति में उपरोक्त उल्लेखित कारणों से निर्वाध रूप से कार्य नहीं होने अथवा नहीं होने, जिसके लिए संवेदक मुख्य रूप से जवाबदेह है, की स्थिति में अपने निरीक्षण के दौरान अलाभकारी डिवाटरिंग के घंटो को अमान्य नहीं किये जाने का बोध होता है जिससे सुनियोजित तरीके से डिवाटरिंग कार्य कराया जाना परिलक्षित होता है। फलतः डिवाटरिंग मद से अधिक भुगतान होने एवं संवेदक के अनुचित दावा की स्थिति बनी।

जहाँ तक डिवाटरिंग मद में अनुचित भुगतान का अरोप है। इस संदर्भ में स्पष्ट है कि प्राक्कलन में डिवाटरिंग मद का प्रावधान नहीं रहने की स्थिति में यह अतिरिक्त कार्यमद की श्रेणी में माना जा सकता है। इस संदर्भ में एकरारनामा का सेक्सन–6 का कंडिका–7 में स्पष्ट उल्लेख है कि "Extra item of work:- package wise approval of increased amount against extra item of work (Item wise and overall cost both) will be given by Executive Engineer, Superintending Engineer and Chief Engineer upto a limit of 10%, 15% and 20% respectively against total amount of that package, if it is more than 20% the departmental approval will be required.

Note - (i) Each and Every Package Comprises so many components like various structure and sections of canal etc. For this purpose, amount of extra item of work for each component will be treated as seprate.

(ii) The Overall cost will include the amount approved against the increased quantity of item of work if any" प्रस्तुत मामले में आलोच्य संरचना पूर्वी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन कार्य (पैकेज) का अंश (Seperate component) है एवं Note-(i) से स्पष्ट है कि Extra item (डिवाटरिंग मद) के मात्रा/राशि की स्वीकृति के सक्षम प्राधिकार का निर्धारण उसके राशि के आधार पर किया जायेगा न कि पैकेज के मात्रा/राशि के आधार पर। प्रस्तुत मामले के आलोच्य संरचना की प्राक्कलित राशि रू0 409.00 लाख एवं डिवाटरिंग मद में भुगतान 5,88,64,860/– किया गया है जिसके स्वीकृति का सक्षम प्राधिकार विभाग है जिसकी स्वीकृति बिना किया गया जो अनुचित श्रेणी में परिलक्षित होता है। साथ ही अनियंत्रित ढ़ग से डिवाटरिंग कराते हुए इस मद में किया गया भुगतान भी अनुचित श्रेणी मे होना का बोध होता है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 143, दिनांक 02.02.13 से मुख्य अभियंता के पत्रांक 184 दिनांक 23.01.13 के आलोक में रू0 2,07,88,096/– भुगतान हेतु निदेशित किया गया एवं इस प्रकार किये गये कुल भुगतान रू0 5,88,64,860/– को रोकने की कोई कार्रवाई किया जाना परिलक्षित नहीं होता है जिससे गठित आरोप प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त तथ्यों, बचाव–बयान एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई नहर पूर्णियाँ के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत श्री लक्ष्मण राम, तत्का0 अधीक्षण अभियंता नहर अंचल, पूर्णियां को उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है –

**"कालमान वेतन में तीन प्रक्रम अवनति।"**

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री लक्ष्मण राम, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, पूर्णियाँ को निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है –

**"कालमान वेतन में तीन प्रक्रम अवनति।"**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

————————

**5 जनवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(पू0)01–03/2014–38**––मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के पदस्थापन अवधि के दौरान पूर्वी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन कार्य योजना के तहत कुर्सेला वितरणी 61.90 पर निर्माणाधीन कैनाल साईफन हेतु सम्बद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने समुचित ढ़ग से सरकारी राशि 17,17,04,202 (सतरह करोड़ सतरह लाख चार हजार दो सौ दो रूपये) के विरूद्ध 8,06,71,790 (आठ करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार सात सौ नब्बे रूपये) के अनुचित भुगतान के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपो के लिए श्री सुरेश चौधरी, तत0 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1510, दिनांक 16.10.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री रामपुकार रंजन, अभियंता प्रमुख (मध्य) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन की छायाप्रति देते हुए श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक–2320, दिनांक 24.10.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, तदालोक में श्री सुरेश चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर निम्नरूपेण की गयी :–

**श्री सुरेश चौधरी, तत0 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ**

**आरोप** :– "पूवी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन (ERM) कार्य योजना के तहत कुर्सेला वितरणी 61.90 पर निर्माणाधीन कैनाल सायफन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने, समुचित ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किये जाने, डिवाटरिंग जैसे कार्य को अनियंत्रित ढ़ग से कराये जाने तथा सुनियोजित ढ़ग से सरकारी राशि का 17,17,04,202/– रूपये के विरूद्ध 8,06,71,790/– रूपये का अनुचित भुगतान के लिए प्रथम दृष्टया आप दोषी हैं।"

**संचालन पदाधिकारी का मंतव्य** :–समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री सुरेश चौधरी ( ID-3487) तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के विरूद्ध गठित विभागीय आरोप प्रमाणित होता है।

**आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में बचाव बयान का सार** :–

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा मेरे स्पष्टीकरण प्रतिवेदन की यथोचित एवं न्यायसंगत समीक्षा नहीं की जा सकी है।

(ii) संचालन पदाधिकारी द्वारा कहा जाना कि आलोच्य संरचना कार्य के लिये अलग से कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था विभागीय प्रचलित कार्यपद्धति के अनुरूप नहीं है।

(iii) इतने विशाल कार्य पैकेज जिसमें अन्य कार्य के साथ 2314 अद्द संरचनाओं का निर्माण/पुनर्स्थापन कार्य समावेशित हो, के प्रत्येक संरचना का अलग–अलग कार्यक्रम तैयार करना न तो प्रचलित परम्परा के अनुरूप था और न व्यवहारिक। जैसा कि स्पष्टीकरण प्रतिवेदन की कंडिका–4 में वर्णित है। पूरे कार्य पैकेज का अवयववार मासिक कार्यक्रम तैयार कराकर विधिवत अनुमोदनोपरांत ही कार्यान्वयन कराया गया था।

(iv) जहाँ तक नींव से जल निकासी कार्य के कार्यक्रम को तैयार करने का प्रश्न है यह संभव नहीं था, क्योंकि जब कार्य की मात्रा अनिश्चित हो तो निश्चित कार्यक्रम कैसे बनाया जा सकता था।

(v) पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण प्रतिवेदन की कंडिका–8 से 13 के पुनर्विलोकन से स्पष्ट है कि कार्य में संलग्नित अभियंता एवं संवेदक ने स्वार्थ से अभिप्रेरित होकर इस धिनौने षड़यंत्र को अंजाम दिया जिसके लिए परोक्षतः मुझे भी दोषी माना जा रहा है जो न्यायोचित नहीं होने के साथ नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

(vi) पुनः स्पष्टीकरण प्रतिवेदन की कंडिका 7 एवं 11 तथा अन्यान्य कंडिकाओं में वर्णित है कि अपने विवेकानुसार अनुचित भुगतान को रोकने का हर संभव प्रयास किया। संचालन पदाधिकारी की टिप्पणी में किस ठोस प्रयास की बात कही गयी मेरे समझ से परे है।

संचालन पदाधिकारी की समीक्षा टिप्पणी में मुझ पर कोई सीधा आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः मेरे शुद्ध अंतःकरण एवं स्वच्छ सेवा इतिहास के मद्देनजर मामले की तार्किक एवं न्याय संगत समीक्षा कर मुझे आरोप मुक्त किया जाय।

**समीक्षा** :– प्रस्तुत आरोप के निम्न भाग परिलक्षित होता है –

(i) समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराया जाना।

(ii) समुचित ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किया जाना।

(iii) अनियंत्रित ढ़ग से डिवाटरिंग कार्य कराया जाना तथा सुनियोजित ढ़ग से सरकारी राशि रू0 17,17,04,202/– के विरूद्ध रू0 8,06,71,790/– का अनुचित भुगतान किया जाना।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया है कि पूरे पैकेज का अवयववार कार्यक्रम तैयार कराकर ही कार्यान्वयन कराया गया था। साथ ही कहना है कि इतन विशाल कार्य पैकेज जिसमें 2314 संरचना समावेशित हो के प्रत्येक संरचना का अलग–अलग कार्यक्रम तैयार करना न प्रचलित परम्परा के अनुरूप और न व्यवहारिक। साथ ही कहना है कि आलोच्य संरचना के जल निकासी का कार्यक्रम, कार्यमात्रा की अनिश्चिता की स्थिति में बनाया जाना संभव नहीं था। आरोपी पदाधिकारी के उक्त स्वीकारोकित बयान से विदित होता है कि आलोच्य संरचना का अलग से बिना समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किये कार्यान्वयन किया गया एवं जाँच समितियों के जाँच प्रतिवेदनों में भी समयबद्ध कार्यक्रम बिना ही कार्य प्रारंभ किये जाने का उल्लेख मिलता है।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि कार्य में संलग्नित अभियंताओं एवं संवेदक द्वारा कृत धिनौने षड़यंत्र के लिए परोक्षतः उन्हें दोषी माना जाना नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि पूर्व प्रतिवेदन के कंडिका 7 एवं 11 से स्पष्ट है कि अपने विवेकानुसार अनुचति भाग को रोकने का हर संभव प्रयास किया। संचालन

पदाधिकारी की टिप्पणी किस ठोस प्रयास की बात कही गयी समझ से परे है। ओरापित पदाधिकारी द्वारा पूर्व प्रतिवेदन के कंडिका–7 में साईफन संरचना स्थल का सतत निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाना तथा स्थलीय स्थिति के अनुरूप प्रभारी अभियंताओं को निदेश दिया जाना को उल्लेखित करते हुए साक्ष्य के रूप में स्थल निरीक्षण पंजी एवं स्थल निरीक्षण पंजी की छायाप्रति संलग्न की गई है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा अनुचित भुगतान को रोकने का उनके स्तर से की गई प्रयास को उल्लेखित नहीं किया गया है। दिनांक 08.12.11 के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न किया गया है जबकि डिवाटरिंग कार्य 19.02.12 से प्रारंभ है। अन्य स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अन्य पदाधिकारियों से संबंधित है। इसी प्रकार कई तिथियों में स्थल निरीक्षण पंजी में डिवाटरिंग पम्प की कमी, मानव बल एवं सामग्री की कमी, उसे बढाने का निदेश वास्तविक कराये गये डिवाटरिंग कार्य का ही भुगतान किये जाने जैसे तथ्यों का उल्लेखित किया जाना परिलक्षित होता है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके स्तर से अनुचित भुगतान रोकने का कोई प्रयास किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समीक्षा में अंकित किया गया है कि उक्त तो निदेश दिये गये परन्तु न तो वस्तुतः पम्प की आवश्यकता (संख्या) आकलित की गयी और न तीनों पालियों में डिवाटरिंग कार्य कराया गया।

आरोपित पदाधिकारी भुगतान के लिए सीधे जवाबदेही नहीं है। परन्तु एकरारनामा शर्त्तों का सेक्सन–6 के कंडिका–7 का Note (i) " Each and every package comprise so many components like various structure and sections of canal etc. For this purpose amount of extra item of work for each component will treated as seprate." का उल्लंघन करते हुए रू0 2.0 करोड भुगतान की स्वीकृति दी गई एवं कुल रू0 5,88,64,860/– अनुचित भुगतान को रोकने की कोई कारवाई किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार अनुचित भुगतान रोकेने के लिए आरोपित पदाधिकारी द्वारा सफल प्रयास किया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, बचाव–बयान के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत श्री सुरेश चौधरी , तत0 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ को उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है –

**"दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा संगत वर्ष के लिए निन्दन"।**

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेश चौधरी, तत्का0 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ को निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है –

**"दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा संगत वर्ष के लिए निन्दन"।**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

————————

**5 जनवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(सम0)02–08/2015–40**––श्री नन्द कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–02, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत के पद पर पदस्थापित थे तो आपके विरूद्ध कार्य में अभिरूचि नहीं लेने, जिला पदाधिकारी के स्तर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में सूचना देने के बावजूद भाग नहीं लेने, अध्यक्ष, कटाव निरोधक कार्य के स्थलीय जाँच में स्थल पर उपस्थित नहीं रहने तथा विभागीय एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के लिए प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1832, दिनांक 23.08.16 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान श्री नन्द कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31. 01.17 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं०–24 सहपठित ज्ञापांक–376, दिनांक 08.03.17 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–31(सी0) दिनांक 18.10.16 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर किया गया एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्न बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया जो इस प्रकार है :–

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–02, खगड़िया के हस्ताक्षरयुक्त दिनांक 28.05.15 तक का प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रमण्डलाधीन बाढ़ 2015 के पूर्व कुल 18 अद्द कार्य दिनांक 28.05.15 तक समाप्त हो चुका था। परन्तु मुख्य अभियंता के पत्रांक–2056, दिनांक 31.08.15 (जिसके द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभाग को समर्पित किया गया है) के साथ दिनांक 02.03.15 तक का प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकतर कार्यों की प्रगति धीमी रही है तथा एक एजेण्डा सं०–125/349 का कार्य प्रांरभ भी नहीं हुआ था। साथ ही दिनांक 14.03.15 को विभागीय स्तर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में समीक्षोपरांत कार्य में रूची नहीं लेने के संबंध में आपसे स्पष्टीकरण किये जाने तथा स्थानांतरण का प्रस्ताव हेतु मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया था। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि कार्य के प्रारंभिक अवस्था से ही आपके द्वारा कार्य में कोई रूची नहीं ली जा रही थी, भले ही प्रमण्डलाधीन के सभी कार्य बाढ़ 2015 के पूर्व दिनांक 28.05.2015 तक पूर्ण करा लिया गया हो।

(2) आरोप पत्र के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी के पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आप बाढ़ संबंधी तैयारी की समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित रहे हैं जिसके लिए जिला पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा आपका वेतन बार–बार अवरूद्ध किया गया है। आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–1143(गो0) दिनांक 18.05.15 द्वारा चेतावनी संसूचित करते हुए आपका वेतन विमुक्त किया गया है। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने कार्य–कलाप में कोई सुधार नहीं किये जाने के कारण अगले माह जून 2015 की समीक्षात्मक बैठक में पुनः अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी के पत्रांक–557(गो0), दिनांक 23.06.15 द्वारा आपके वेतन भुगतान अगले आदेश तक रोक दिया गया। संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग के पत्र से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी के पत्रांक–341, दिनांक 18.07.14 द्वारा आपके कार्य–कलाप के संदर्भ में संसूचन के आलोक में कार्यों में रूची नहीं लेने, बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित आवश्यक निदेशों का अनुपालन नहीं करने तथा जिला पदाधिकारी द्वारा दूरभाष पर सूचना देने के बावजूद अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं दिनांक 08.07.14 को जिला स्तर पर आयोजित समन्वय समिति एवं तकनीकी समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए आपसे विभागीय पत्रांक–3703, दिनांक 01.08.14 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग किया गया।

(3) आपके द्वारा कहा गया है कि दिनांक 14.03.15 को अध्यक्ष कटाव निरोधक कार्य द्वारा स्थल पर उपस्थित रहने का कोई निदेश नहीं दिया गया है एवं विभागीय पत्रांक–430, दिनांक 10.02.15 के कंडिका–'च' में अध्यक्ष को किसी प्रकार का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी को नहीं दिया जाना है, को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि विभागीय पत्रांक–430, दिनांक 10.02.15 के कंडिका–5 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को सभी आवश्यक कागजात यथा साईट आदेश पंजी मापपुस्त, लेइंग रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों को अद्यतन कर मौजूद रहना है एवं जाँच दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। निरीक्षण पंजी पर दल के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रावधान है। उक्त विभागीय पत्र के अनुसार दिनांक 09.03.15 से 13.03.15 के बीच जाँच दल का द्वितीय स्थल दौरा निर्धारित था एवं अध्यक्ष, कटाव निरोधक कार्य द्वारा मुख्य अभियंता को सूचित करना कि कार्यपालक अभियंता को सूचना देने के बावजूद वे स्थल पर उपस्थित नहीं हुए एवं आपके द्वारा अनमने ढ़ग से जवाब दिया गया। उक्त शिकायत के संदर्भ में मुख्य अभियंता द्वारा आपसे स्पष्टीकरण भी किया गया। उक्त के आलोक में आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण में अंकित सभी बातों को असत्य एवं आधारहीन बताया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उच्चाधिकारियों के आदेश/निदेश की अवहेलना करते हुए जानबूझ कर पूर्व से निर्धारित स्थल भ्रमण कार्यक्रम के तहत स्थल जाँच में उपस्थित नहीं होने के लिए आप दोषी हैं।

उक्त के आलोक में श्री झा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में कहा गया है कि उन्होंने पूर्व में ही इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण एवं बचाव–बयान संचालन पदाधिकारी के समक्ष दे चुके हैं। श्री झा द्वारा पूर्व में जो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है उसमें आरोपों के संदर्भ में निम्न बातें कही गयी हैं :–

(1) कार्य पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं संवेदक की सामूहिक रूप से होती है। यदि कार्य की प्रगति धीमी थी, तो इसके लिए सिर्फ कार्यपालक अभियंता को दोषी माना जाना कहाँ तक उचित है। कटाव निरोधक कार्य (2015) को पूर्ण करने की तिथि 15.05.2015 थी। एक कार्य छोड़कर सभी कार्य प्रारंभ (02.03.15 तक) पूर्ण हो चुका था। एजेण्डा सं०–125/349 कार्य पायलट चैनल सफाई का था। यह कार्य पायलट चैनल सफाई का था। यह कार्यस्थल बागमती नदी के उत्तर में था। जहाँ कार्य कराने हेतु यांत्रिक साधन नाव से ले जाना था। फिर जिस पायलट चैनल की सफाई करना था उसमें पानी या दलदल था। जिसे कार्य लायक सूखने की प्रतीक्षा की जा रही थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रमण्डलाधीन सभी कार्य एकरारित समय 15.05.15 तक पूर्ण हो चुका है। अतः कार्य में अभिरूची नहीं लिये जाने के आरोप के प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

(2) जिला पदाधिकारी, खगड़िया का पत्रांक–760, दिनांक 11.06.2015 द्वारा किये गये स्पष्टीकरण पर मेरे द्वारा समर्पित जवाब परिशिष्टि–2 पर संलग्न है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा बैठक से अनुपस्थित रहने की बात कही गई जबकि मुख्य अभियंता द्वारा कार्य में अभिरूची नहीं लेने की बात कही गई है। स्पष्ट है कि मुख्य अभियंता द्वारा मामले को बढ़ा–चढ़ाकर प्रतिवेदित किये जाने के उद्देश्य से पत्र को संलग्न कर दिया गया है।

(3) जिला पदाधिकारी का पत्रांक–1143, दिनांक 18.05.15 मेरे वेतन को विमुक्त करने से संबंधित है, जबकि मुख्य अभियंता द्वारा उक्त पत्र को कार्य में अभिरूचि नहीं लेने के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो विचारणीय बिन्दु है।

(4) आरोप कंडिका 2 एवं 3 के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 14.03.2015 को श्री शैलेश कुमार, अध्यक्ष कटाव निरोधक कार्य द्वारा दूरभाष पर स्थल पर उपस्थित रहने से संबंधित कोई निदेश अधोहस्ताक्षरी को नहीं दिया गया था, यह मुख्य अभियंता, खगड़िया के स्तर से गठित एक मनगढ़त आरोप है। इसी कारणवश इस आरोप के पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। परिशिष्टि–5 पर संलग्न अभिलेख के अवलोकन से भी स्पष्ट कि उक्त तिथि को अध्यक्ष को कोई भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। अतः साक्ष्य रहित इस आरोप को मेरे विरूद्ध प्रमाणित माने जाने का कोई आधार नहीं है। इसी परिशिष्टि पर संलग्न विभागीय पत्रांक–430, दिनांक 10.02.15 के कंडिका 'च' से स्पष्ट है कि अध्यक्ष को किसी प्रकार का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी को नहीं दिया जाना था।

(5) अध्यक्ष कटाव निरोधक कार्य के अनुमति से मैं दिनांक 06.05.2015 को अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मो0 शमशाद आलम के बुलाये जाने पर परिषदन खगडिया गया था। साक्ष्य के रूप में परिषदन में आहूत बैठक से संबंधित जिला पदाधिकारी खगड़िया के पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है। उक्त बैठक के बाद दिनांक 07.05.2015 एवं 08.05.2015 को मैं

स्थल निरीक्षण के क्रम में अध्यक्ष के साथ स्थल पर उपस्थित था। अतः विभाग को वरीय पदाधिकारियों के साथ सम्मान/शिष्टाचार से पेश नहीं आने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री झा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी जिसमें निम्न तथ्य पाये गये –

श्री झा ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर मे अंकित किया है कि कटाव निरोधक कार्य को पूर्ण करने की तिथि 15.05.2015 थी। एक कार्य को छोड़कर सभी कार्य दिनांक 02.03.2015 तक पूर्ण हो चुके थे। एजेण्ड सं०–125/349 से संबंधित कार्य पायलट चैनल के सफाई का था। यह कार्य स्थल बागमती नदी के उत्तर में था, जहाँ कार्य कराने हेतु यांत्रिक साधन नाव से ले जाना था। जिस पायलट चैनल की सफाई करना था, उसमें पानी या दलदल था जिसे सूखने की प्रतिक्षा की जा रही थी। सभी कार्य एकरारित सयम दिनांक 15.05.2015 तक पूर्ण हो चुके थे। अतः कार्य में अभिरूचि नहीं लेने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–2, खगड़िया द्वारा समर्पित दिनांक 28.05.15 तक के प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रमंडलाधीन बाढ़ 2015 के पूर्व कुल 18 अद्द कार्य दिनांक 28.05.15 तक समाप्त हो चुका था, परन्तु मुख्य अभियंता के पत्रांक–2056, दिनांक 31.08.15 के समय दिनांक 02.03.15 तक प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकतर कार्यो की प्रगति धीमी रही तथा एक एजेण्डा सं०–125/349 का कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ । साथ ही दिनांक 14.3.2015 को विभागीय स्तर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में समीक्षोपरांत कार्य में रूचि नहीं लेने के संदर्भ में श्री झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण किये जाने तथा स्थानांतरण का प्रस्ताव हेतु मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि कार्य के प्रारंभिक अवस्था से ही आरोपी द्वारा कार्य में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही थी। प्रपत्र–'क' के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी के पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री झा, बाढ़ तैयारी संबंधी समीक्षात्मक बैठक में लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जिसके लिए जिला पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा इनका वेतन बार–बार रोका गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री झा के विरूद्ध कार्य में लापरवाही बरतने एवं समीक्षात्मक बैठक में लगातार रहने के संबंध में दिया गया द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप ई0 नन्द कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–02, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत को प्रमाणित आरोप के लिए **"पेंशन से 05(पाँच) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए"** का दण्ड देने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया। उक्त निर्णय दण्ड पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री नन्द कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०–02, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है।

**"पेंशन से 05(पाँच) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए"।**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

---

**5 जनवरी 2018**

**सं० 22/नि०सि०(मोति०)–08–15/2014/41**––श्री अशोक कुमार (आई0डी0–5197), तत्कालीन सहायक अभियंता, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध चम्पारण तटबंध के कि0मी0 9.00 पर हुए टूटान/कटान में बरती गयी लापरवाही आदि कतिपय प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1108 दिनांक 16.08.2014 द्वारा निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–26 दिनांक 06.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दू पर विभागीय पत्रांक–2458 दिनांक 02.11.2015 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गयी एवं विभागीय अधिसूचना सं0–2299 दिनांक 07.10.2015 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया। श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर के पश्चात मामले की सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–486 दिनांक 28.03.2016 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

**(I) एक वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।**

**(II) तीन वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक।**

उक्त के पश्चात विभागीय पत्रांक–752 दिनांक 10.05.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11(5) के तहत श्री कुमार से निलंबन अवधि दिनांक 16.08.2014 से 06.10.2015 तक सेवा विनियमन के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त आलोक में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

(i) तटबंध की सतत निगरानी एवं सुरक्षा के मद्देनजर चम्पारण तटबंध पर दिन–रात गश्ती हेतु गृह रक्षक प्रतिनियुक्त थे और अपने कर्तव्य पर उपस्थित थें गृह रक्षक के द्वारा भी दिनांक 16.08.2014 को सुबह 4:00 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा बाँध काटे जाने की सूचना दी गयी।

(ii) अपने घरों की सुरक्षा हेतु अज्ञात लोगों के द्वारा तटबंध काट दिया गया। तटबंध काटने की प्राथमिकी थाने मे दर्ज करायी गयी। थानाध्यक्ष चौतरवा द्वारा अपने अनुसंधान प्रतिवेदन मे तटबंध के कटान को सत्य पाया है, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, बगहा के पर्यवेक्षण टिप्पणी से होती है।

(iii) सम्पूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके संबंध में गठित आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया है।

वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए श्री कुमार द्वारा निलंबन अवधि को विनियमित करते हुए सम्पूर्ण वेतन आदि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मे यह पाया गया कि यद्यपि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया, परन्तु संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु पर द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर को असंतोषजनक पाये जाने के कारण उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0–486 दिनांक–28.03.2016 द्वारा वृहत दण्ड संसूचित किया गया। द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा प्रशिक्षित श्रमिकों की प्रतिनियुक्ति नहीं किया गया था, इसलिए तटबंध पर जहाँ पानी का ओवर टॉपिंग हुआ, वहाँ तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। बाँध क्षतिग्रस्त की सूचना भी श्री कुमार द्वारा ससमय उच्चाधिकारियों की नहीं दी गयी। इसलिए इनके द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर को संतोषजनक नहीं पाया गया। इस प्रकार इनका निलंबन औचित्यपूर्ण था।

मामले की सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के निलंबन अवधि दिनांक 16.08.2014 से 06.10.2015 तक की अवधि को निम्नरूपेण विनियमित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया :–

**''निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि नहीं मानते हुए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।''**

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार (आई0डी0–5197), तत्कालीन सहायक अभियंता, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी के निलंबन अवधि दिनांक 16.08.2014 से 06.10.2015 तक को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

**''निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि नहीं मानते हुए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।''**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

**5 जनवरी 2018**

**सं० 22/नि०सि०(मोति०)–08–03/2013(अंश–1)(खण्ड–क)/44**––श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा (आई0डी0–1760), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02, जल संसाधन विभाग, पटना के विरूद्ध नेपाल हितकारी योजना–2009 गंडक परियोजना के अन्तर्गत एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री उपयोग के बावजूद ढुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड की बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद दर के अनुरूप किये जाने संबंधी निम्नांकित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–296 दिनांक 12.03.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया। तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग के जाँच में पाया गया कि स्थानीय सामग्री के प्रयोग के बावजूद भी सामग्री ढुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद दर के अनुरूप किया गया है। कार्य के निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा स्थानीय सामग्री के उपयोग का उद्घोषण नहीं कर तथ्य को छिपाकर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त अनियमित भुगतान में उनके स्तर से सहयोग करने के आरोप के लिए वे प्रथम दृष्टया दोषी है।

दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत होने के कारण श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0–09 सहपठित ज्ञापांक–61 दिनांक 18.01.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी (अपर विभागीय जाँच आयुक्त) द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया कि आरोपित पदाधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, सचिवालय स्तर के वरीय अधीक्षण अभियंता का दायित्व बनता था कि स्थल निरीक्षण/क्षेत्र भ्रमण के दौरान कार्य कि प्रगति की समीक्षा के साथ–साथ एकरारनामा के विपरीत कार्य में हो रहें स्थानीय सामग्री को भी उद्घोषित करते, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। फलस्वरूप इतना बड़ा अनियमित भुगतान हुआ। इसलिए श्री सिन्हा पर लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक–503 दिनांक 11.04.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गई। उक्त आलोक में उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

(I) माननीय मुख्यमंत्री की सेवा–यात्रा के दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रही योजनाओं के कार्यों की भौतिक प्रगति की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण प्रतिवेदन में मुख्यतः प्रगतिधीन कार्यों के बारे में उल्लेख किया। उन्हें किसी कार्य की जाँच हेतु कोई आदेश नहीं था। भ्रमण (निरीक्षण) के दौरान खुली आँखों से कार्यस्थल पर रखे गए सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टि के बारे मे पता लगाना संभव नहीं था। अधीक्षण अभियंता (मोनिटरिंग) के साथ कोई प्रयोगशाला की टीम संलग्न नहीं रहती है।

(II) अधीक्षण अभियंता (मोनिटरिंग) अंचल, पटना के अधीन मुख्य कार्य क्षेत्र योजना एवं गैर योजना के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना है। मुख्य पश्चिमी नहर से सेवा पथ के निर्माण में स्थानीय सामग्री के प्रत्युक्त होने की जानकारी उन्हें निरीक्षण की तिथि 12.11.2011 तक नहीं थी। दिनांक 04.05.2011 एवं दिनांक–11.12.2011 को मुख्य अभियंता, श्री दिनेश कुमार चौधरी द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा भी सामग्री की विशिष्टि एवं गुणवत्ता पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

(III) उन पर लगाया गया आरोप वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 का है। वे दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत हो चुके है। विभागीय ज्ञापांक–61 दिनांक–18.01.2017 द्वारा वर्ष 2016–17 में सेवानिवृत के उपरांत विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया है। इसलिए यह मामला संभवतः कालबाधित है।

(IV) जल संसाधन विभाग मे ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं है कि किसी भी निर्माण कार्य मे न्यून स्तर के प्रत्युक्त सामग्री तथा अनियमित भुगतान कर विभाग के मोनिटरिंग के अभियंता को जिम्मेवार ठहराया गया है। किसी भी कार्य मे अगर मोनिटरिंग के अभियंता को दोषी ठहराया जाता है तो मोनिटरिंग के अभियंता कार्यस्थल पर जाने से बचेंगे तथा सचिवालय में बैठ कर ही मोनिटरिंग कार्य करेंगे जिससे कार्य की भौतिक प्रगति/वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने में दिक्कत होगी तथा कार्य स्थल की वास्तविकता प्रगति से वे अवगत नहीं हो पायेंगे तथा सही मोनिटरिंग नहीं हो पाएगी। विभाग से कई बार निदेश दिये जाते है कि मोनिटरिंग के अभियंता क्षेत्र में जाकर भौतिकी एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करें ताकि भौतिकी एवं वित्तीय प्रगति में बेहतर परिणाम आये तथा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत योजना पूर्ण हो सके।

(V) तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा उन पर अनियमित भुगतान में सहभागिता का आरोप उनके द्वारा लिखित निरीक्षण/भ्रमण प्रतिवेदन पर आधारित है। इसी को साक्ष्य मान कर उनके द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि अनियमित भुगतान में उनकी सहभागिता थी। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी इसी को साक्ष्य माना गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के तरफ से उनके विरूद्ध कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके निरीक्षण की तिथि 12.11.2011 तक 09 (नौ) चालू विपत्रों में से सिर्फ प्रथम एवं द्वितीय चालू विपत्रों का भुगतान हुआ था जैसा कि तकनीकी परीक्षण के प्रतिवेदन मे स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा मोनिटरिंग की सहमति के पश्चात ही भुगतान किया जाता था या आज भी किया जाने का नियम है। कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा के तहत कार्य की गुणवत्ता एवं विशिष्टि से संतुष्ट होने तथा सामग्रियों की लीड की संतुष्टि के पश्चात ही भुगतान किया जाता है, अगर क्षेत्र में कोई दिक्कत होती है तो वे क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता से दिशा–निर्देश प्राप्त करते है। अगर निधि की कमी होती है तो मुख्य अभियंता के अधियाचना पर विभागीय स्तर से निधि संबंधित प्रमंडल को तुरन्त आवंटित की जाती है, ताकि निधि के अभाव मे कार्य में बाधा नहीं हो तथा समय–सीमा पर कार्य पूर्ण हो सके। समय पर निधि आवंटन की जवाबदेही विभाग में मोनिटरिंग की बनती है तथा गुणवत्ता एवं विशिष्टि की जवाबदेही क्षेत्रीय कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता की बनती है न कि मोनिटरिंग के अभियंता की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिन्दु पर जाँच अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

(VI) उनके पदस्थापन अवधि दिनांक 14.02.2012 के पश्चात गंडक नदी नियंत्रण संघर्ष समिति, कुडिया–4 बी गैप नवल परासी के सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा दिनांक 16.06.2012 से हस्ताक्षरित शिकायत पत्र पर निगरानी विभाग के अभियंता प्रमुख तकनीकी परीक्षण कोषांग के द्वारा जाँच के निमित एक जाँच दल गठित किया गया जिसके सदस्य दो अधीक्षण अभियंता के स्तर के पदाधिकारी थे। जाँच दल द्वारा दिनांक 12.08.2012 से 13.08.2012 तक स्थलीय जाँच किया गया तथा तकनीकी परीक्षण कोषांग के जाँच बिन्दु 2.2.0 मे आरोप का मुख्य जाँच बिन्दु मुख्य पश्चिमी नहर का सामग्री ढुलाई मद भुगतान माना गया है। क्रमांक 3.0.0 से अभिलेखीय जाँच, क्रमांक 4.0.0 से स्थलीय जाँच, क्रमांक 5.0.0 प्रयोगशाला जाँच का प्रतिवेदन दिया गया। तकनीकी परीक्षक कोषांग को स्थानीय सामग्री की प्रत्युक्त तथा ढुलाई मद में अनियमित भुगतान की जाँच करना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

क्रमांक 6.0.0 के निरीक्षण प्रविवेदन में स्थानीय सामग्री के प्रयोग का खुलासे की बात कही गई है जो उनके मुख्य जाँच बिन्दु से बाहर का मामला बनता है। उनके द्वारा दिनांक 10.11.2011 से 12.11.2011 तक श्री सिन्हा द्वारा चार पृष्ठों मे दिया गया निरीक्षण प्रतिवेदन (भ्रमण प्रतिवेदन) को ठीक से अध्यन नहीं किया गया। श्री सिन्हा द्वारा तीन दिनों में मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर के क्षेत्राधीन कई नहरों एवं बराजस्थल के प्रगतिधीन कार्यों को देखा गया था, जिसका मोटा–मोटी भौतिकी प्रगति प्रतिवेदन मैं अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में दिया था। पश्चिमी मुख्य नहर का भी संक्षिप्त मे मोटा–मोटी भौतिकी प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता से पूछकर निरीक्षण प्रतिवेदन (भ्रमण प्रतिवेदन) दिया था जिसे तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा अपने प्रतिवेदन क्रमांक 6.1.0 मे इसकी चर्चा की गई है, तथा 8.4.0 से मुझे अनियमित भुगतान में उनकी सहभागिता के संदर्भ मे संभावना एवं अनुमान के आधार पर आरोप लगाया गया है। स्पष्ट है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा मुख्य जाँच बिन्दु एवं जाँच के कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर अपने मन से मनगढ़ंत एवं तथ्यहीन तरीके से संभावना एवं अनुमान के आधार पर अनियमित भुगतान में सहभागिता का आरोप उन पर लगाया गया जो न्यायसंगत नहीं है। इस बिन्दु पर भी जाँच अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।

उपरोक्त बिन्दुवार तथ्यों से स्पष्ट है कि उनके स्थल भ्रमण के समय एकरारनामा के विपरीत कार्य में हो रहे स्थानीय सामग्री के उपयोग की जानकारी उन्हें नहीं थी। अगर उन्हें स्थानीय सामग्री का उपयोग की जानकारी होती तो वे निरीक्षण/भ्रमण प्रतिवेदन मे इसकी उद्घोषणा अवश्य करता। उनके द्वारा अनियमित भुगतान मे किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया है। उन पर लगाये गये आरोप मनगढ़ंत, बेबुनियाद एवं गलत है। उन पर अनियमित भुगतान मे सहयोग देने हेतु कोई अभिलेखीय प्रमाण भी नहीं है सिर्फ संभावना एवं अनुमान व्यक्त की गई है। संदेह, संभावना एवं अनुमान के आधार

पर उन्हें दोषी ठहराना न्यायोचित एवं न्यायसंगत नहीं हैं इस प्रकार उन पर अनियमित भुगतान मे सहयोग का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

अतः अनुरोध है कि उन पर लगाये गये मनगढ़ंत आरोप से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

**श्री सिन्हा के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा**

श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में उल्लेख किया है कि अधीक्षण अभियंता (मोनिटरिंग) का कार्य केवल योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करनी है। कार्य मे प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टि प्राक्कलन के अनुसार है कि नहीं, इसकी जाँच स्थापित प्रयोगशाला द्वारा की जानी है।

श्री सिन्हा ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा मे स्वीकार किया है कि उन्होंने नेपाल हितकारी योजना, 2009 के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का निरीक्षण दिनांक 12.11.2011 को किया था। निरीक्षण के समय उन्हें स्थानीय सामग्री का उपयोग होने की जानकारी नहीं थी। श्री सिन्हा स्वयं एक वरीय अभियंता थें। इसलिए कार्य में प्रयुक्त की जा रही सामग्री की गुणवत्ता का सरसरी तौर पर आकलन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अधीक्षण अभियंता (मोनिटरिंग) का दायित्व केवल योजनाओं को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना नहीं है बल्कि योजनाओं को प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप कराना भी है। इसलिए श्री सिन्हा के कारण पृच्छा उत्तर का यह अंश स्वीकार योग्य नही है।

श्री सिन्हा का यह कहना कि उनके विरूद्ध संचालन की गई विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के अन्तर्गत कालबाधित है। श्री सिन्हा के सेवाकाल में ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक–296 दिनांक 12.03.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया जा चुका है जिसे उनके सेवानिवृति के उपरांत विभागीय आदेश सं0–09 सहपठित ज्ञापांक–61 दिनांक 18.01.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) में सम्परिवर्तित किया गया है। इसलिए श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित की गयी विभागीय कार्यवाही कालबाधित नहीं है। संचालन पदाधिकारी ने भी अपने मंतव्य में अंकित किया है कि निरीक्षण के दौरान कार्य में प्रयुक्त हो रही स्थानीय सामग्रियों की उद्घोषणा नहीं करने के लिए श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा (आई0डी0–1760), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02, जल संसाधन विभाग, पटना संप्रति सेवानिवृत के द्वितीय कारणपृच्छा को अस्वीकार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके विरूद्ध निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है :–

**''20 (बीस) प्रतिशत पेंशन से कटौती 5 (पाँच) वर्षों के लिए।''**

उक्त निर्णय दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–1924 दिनांक 06.11.2017 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा (आई0डी0–1760), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02, जल संसाधन विभाग, पटना संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है :–

**''20 (बीस) प्रतिशत पेंशन से कटौती 5 (पाँच) वर्षों के लिए।''**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

**5 जनवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(पू0)01–03/2014–45**––मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन तत्का0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के पदस्थापन अवधि के दौरान पूर्वी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन कार्य योजना के तहत कुर्सेला वितरणी 61.90 पर निर्माणाधीन कैनाल साईफन हेतु सम्बद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने समुचित ढ़ग से सरकारी राशि 17,17,04,202 (सतरह करोड़ सतरह लाख चार हजार दो सौ दो रूपये) के विरूद्ध 8,06,71,790 (आठ करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार सात सौ नब्बे रूपये) के अनुचित भुगतान के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपो के लिए श्री महेन्द्र चौधरी, तत0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1513, दिनांक 16.10.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री रामपुकार रंजन, अभियंता प्रमुख (मध्य) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन की छायाप्रति देते हुए श्री महेन्द्र चौधरी,तत0 कार्य0 अभि0 से विभागीय पत्रांक–2317, दिनांक 24.10.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, तदालोक में श्री महेन्द्र चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर निम्नरूपेण की गयी :–

**श्री महेन्द्र चौधरी, तत0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा**

**आरोप** :– "पूवी कोशी नहर प्रणाली पुनर्स्थापन (ERM) कार्य योजना के तहत कुर्सेला वितरणी 61.90 पर निर्माणाधीन कैनाल सायफन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने, समुचित ढ़ग से पर्यवेक्षण

नहीं किये जाने, डिवाटरिंग जैसे कार्य को अनियंत्रित ढ़ग से कराये जाने तथा सुनियोजित ढ़ग से सरकारी राशि का 17,17,04,202/– रूपये के विरूद्ध 8,06,71,790/– रूपये का अनुचित भुगतान के लिए प्रथम दृष्टया आप दोषी हैं।"

**संचालन पदाधिकारी का मंतव्य** :–समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री महेन्द्र चौधरी ( ID-4372) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के विरूद्ध गठित विभागीय आरोप प्रमाणित होता है।

**आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण पच्छा के क्रम में बचाव बयान का सार** :–

श्री चौधरी द्वारा अपने बचाव बयान के कंडिका 01 से 10 में डिवाटरिंग मद से संबंधित मात्र एक आरोप गठित किये जाने, 31.01.15 को मूल बचाव बयान एवं दिनांक 09.07.15 को पूरक बचाव बयान दिये जाने, पूरक बचाव बयान के कंडिका 5 एवं 7 को उद्दृत किया गया है।

**कंडिका –1** – संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है।

**(क)** विषयांकित कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन में डिवाटरिंग मद का प्रावधान मुख्य अभियंता, पूर्णियां द्वारा नहीं किया गया था और न डिवाटरिंग मद के भुगतान में 5 प्रतिशत की राशि सीमित की गई थी।

मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ के पत्रांक–2659, दिनांक 09.12.11 से दिये गये आदेश में डिवाटरिंग मद में प्रयुक्त Well point system के मशीनों का लॉगबुक संधारित करते हुए उसके आधार पर भुगतान किये जाने का आदेश है। भुगतान की राशि 5 प्रतिशत सीमित नहीं की गयी है।

अनुचित भुगतान रोकने में कार्यपालक अभियंता के रूप में अक्षम होने की संचालन पदाधिकारी की समीक्षा तथ्य पर आधारित नहीं है। मेरे द्वारा भुगतान पर समुचित नियंत्रण रखने हेतु भरपूर प्रयास किया गया एवं पूरक बचाव बयान दिनांक 09.07.15 के कंडिका–7 में भुगतान को लॉगबुक के घंटो को Disallowed करते हुए विपत्र की राशि को सीमित करते हुए अंतरिम विपत्र पारित किया गया क्योंकि डिवाटरिंग पर अंतिम निर्णय बाकी था।

आलोच्य सायफन का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं नियमित रूप से जल प्रवाह हो रहा है।

एकरारनामा के Clause-7 एवं लोक निर्माण लेख संहिता के नियम 247 ( b) के अनुसार अंतिम विपत्र, जो अभी निष्पादित नहीं है, से सभी चालू विपत्रों का समायोजन करने का प्रावधान है।

उक्त वर्णित परिस्थिति में सरकार को कोई वित्तीय क्षति किसी रूप में नहीं हुई है तथा सायफन का निर्माण का उद्देश्य प्राप्त हो चुका है।

**(ख)** संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में मेरे द्वारा संरचना को पूर्ण कराने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम में खानापुरी बताया गया जो सत्य नहीं है। मेरे प्रतिनियुक्ति के पूर्व बिना कार्यक्रम के डिवाटरिंग एवं संरचना कार्य कराया जा रहा था। प्रतिनियुक्ति के बाद प्रथम बार संरचना पूर्ण कराने के लिए कार्यक्रम दिया गया एवं निर्माण पूर्ण कराया गया। सामान्यतया कार्य प्रारंभ के पूर्व ही समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर तदनुसार कार्य कराया जाता है जो विषयांकित निर्माण में नहीं किया गया है।

**(ग)** संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में मात्र कार्यपालक अभियंता के स्तर पर ही जिम्मेवारी निर्वहन नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए डिवाटरिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जाँच Routine आधारित करने के आधार पर मेरे स्तर से अधूरे रूप से पर्यवेक्षण करने का लांछन का उल्लेख किया गया है जो सत्य से परे है। वस्तुतः डिवाटरिंग मद में भुगतान का मूल स्रोत लॉगबुक है, जो स्वीकृत प्राक्कलन में चूक के कारण है। कार्यपालक अभियंता के रूप में सदैव भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से लॉगबुक के घंटो को Disallowed कर अंतरिम भुगतान किया गया। जिसका आधार था कि डिवाटरिंग के भुगतान के संबंध में सक्षम प्राधिकार का अंतिम निर्णय बाकी है।

**(घ)** संचालन पदाधिकारी द्वारा सायफन निर्माण में आदि से अंत तक के सभी activity पर सम्यक विचार किये बिना आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया जो युक्तिसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है।

**(च)** मूल पदस्थापन के अतिरिक्त तीन अन्य प्रमंडलों के प्रभार में रहते हुए डिवाटरिंग कार्य को भी नियंत्रित ढ़ग से करने का प्रयास के तथ्य को संचालन पदाधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

**(छ)** LWL से 30'–4" नीचे तक कार्य कराने एवं Ground Water flow को नियंत्रित करने का कोई प्रावधान स्वीकृत नक्शा में नहीं है। जबकि सामन्यतया बैरल की Stability एवं नींव की खुदाई के क्रम में भूगर्भ जल प्रवाह को नियंत्रित/कम करने के लिए सीट पाइल का प्रावधान किया जाता है, जो स्वीकृत नक्शा में नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य को ध्यान नहीं देकर अनियंत्रित डिवाटरिंग कहते हुए दोषी मान लिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

**(ज)** आलोच्य संरचना के निर्माण के दौरान स्थलीय जटिलता एवं अप्रत्याशित डिवाटरिंग को देखते हुए विभागीय दिशा निदेश की माँग की गयी। जिसके क्रम में अभियंता प्रमुख, विभागीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा Well Point से डिवाटरिंग को सही ठहराया गया।

**(झ)** संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में हुई उक्त चूक पर विभागीय समीक्षा में नहीं होने के कारण मूझसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी जो तर्क संगत एवं न्यायसंगत नहीं है।

अंत में उक्त तथ्यगत कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

**समीक्षा** :– आरोपी श्री चौधरी संभवतः 1.3.13 से सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के प्रभार में रहे क्योंकि इनके पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता, श्री राजवल्लभ यादव दिनांक 28.02.13 को सेवानिवृत हुए। इस प्रकार 1.3.13 से 1.7.13 तक कैनाल सायफन कार्य में डिवाटरिंग का कार्य इनके पदस्थापन अवधि में किया जाना परिलक्षित होता है।

श्री चौधरी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में संचालन पदाधिकारी द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर समीक्षा में हुई चूक पर विभागीय समीक्षा नहीं होने के कारण द्वितीय कारण पृच्छा किये जाने को प्रतिवेदित किया गया है। उनके द्वारा वैसे अंकित बयान का संक्षिप्त ब्योरा उपरोक्त कंडिका 'क' से 'झ' में अंकित किया गया है। हालांकि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री चौधरी के बयान के समीक्षोपरांत तथ्यों को उद्दृत करते हुए आरोप प्रमाणित होने को निष्कर्षित किया गया है।

कैनाल सायफन के प्राक्कलन में डिवाटरिंग मद का प्रावधान नहीं होना, मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ द्वारा डिवाटरिंग कार्य में लॉगबुक संधारित करते हुए उसके आधार पर भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाना, डिवाटरिंग मद की राशि 5 प्रतिशत सीमित नहीं होना, लॉगबुक के घंटों को Disallowed (कुल 45404 घंटा) करते हुए अंतरिम भुगतान किये जाने के श्री चौधरी के कथन कंडिका–क की पुष्टि संगत अभिलेखों से होती है।

श्री चौधरी का कहना है कि मेरे प्रतिनियुक्ति के पूर्व बिना कार्यक्रम के डिवाटरिंग का कार्य कराया जा रहा था जबकि प्रतिनियुक्ति के बाद प्रथम बार उनके द्वारा कार्यक्रम तैयार किया गया एवं निर्माण पूर्ण किया गया। अधीक्षण अभियंता, पूर्णियां के बचाव बयान के साथ संलग्न मुख्य अभियंता पूर्णियां के पत्रांक 1469, दिनांक 09.06.10 से पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन कार्य का समग्र रूप से कार्यक्रम विभागीय अनुमोदन हेतु भेजे जाने का बोध होता है। आलोच्य कैनाल सायफन उक्त परियोजना का अंश है। इस आशय की टिप्पणी जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदनों में भी किया जाना परिलक्षित होता है जिससे बिना कार्यक्रम के संरचना निर्माण कराये जाने के श्री चौधरी के कथन की पुष्टि होती है। श्री चौधरी द्वारा प्रतिनियुक्ति के बाद कार्यक्रम तैयार करने को मात्र एक खानापूर्ति करने को संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है क्योंकि कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा कराने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होती है। जो पूर्ण होना परिलक्षित नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी जाँच प्रतिवेदन में मात्र कार्यपालक अभियंता के स्तर पर जिम्मेवारी निर्वहन नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए अधूरे रूप से पर्यवेक्षण का लांक्षण लगाने के श्री चौधरी का कथन (कंडिका–ग) में सत्य प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी संलग्नित पदाधिकारियों के मामले में पर्यवेक्षण में कमी पाये जाने को निष्कर्षित किया गया है।

श्री चौधरी द्वारा कंडिका 'घ' एवं 'च' में प्रतिवेदित किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा सायफन निर्माण में आदि से अंत के सभी activity पर विचार नहीं एवं अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए डिवाटरिंग कार्य को नियंत्रित करने के मेरे प्रयास के तथ्यों पर बिना ध्यान दिये आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। श्री चौधरी द्वारा मशीन, श्रमबल, सामग्री की कमी का उल्लेख किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि इनके कई प्रयास के उल्लेख के बावजूद तीना पालियों में डिवाटरिंग का कार्य नहीं कराया गया जो स्पष्टतः समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण कर संरचना कार्य नहीं कराये जाने, समुचित ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किये जाने एवं अनियंत्रित ढ़ग से डिवाटरिंग कार्य कराया जाना परिलक्षित करता है। इस प्रकार श्री चौधरी के उक्त तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

संरचना निर्माण के दौरान स्थलीय जटिलता, एवं अप्रत्याशित डिवाटरिंग को देखते हुए विभागीय दिशा–निदेश की माँग की गठित जाँच द्वारा Well point system से डिवाटरिंग को सही ठहराये जाने का उल्लेख किया गया (कंडिका–ज)। Well point system से डिवाटरिंग कार्य को जाँच समिति द्वारा सही ठहराये जाने के बयान की पुष्टि जाँच प्रतिवेदनों से होती है। परन्तु जाँच प्रतिवेदन में निर्माण के दौरान मशीन तथा निर्माण सामग्री की कमी, डिवाटरिंग कार्य होते हुए भी concreting का कार्य नहीं होने का उल्लेख है। साथ ही तीन पाली में कार्य कराने का Mile stone तैयार कर कार्य कराया जाता तो डिवाटरिंग पर भुगतान कम होने को भी अंकित किया गया है। उपरोक्त से समबद्ध कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वयन नहीं किये जाने एवं अनियंत्रित ढ़ग से डिवाटरिंग कार्य कराया जाना परिलक्षित होता है।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि मेरे पदस्थापन के पूर्व पूर्ववर्ती द्वारा रू0 1,86,21,640/– एवं प्रतिनियुक्ति के बाद इनके द्वारा रू0 4,02,43,223/– कुल रू0 5,88,64,863/– डिवाटरिंग मद में भुगतान किया गया है। इस तरह स्पष्ट होता है कि कुल 45404 घंटो का Disallowed किया गया है एवं allowed घंटो की राशि रू0 5,93,15,929.48 होता है। स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा लॉगबुक के आधार पर रू0 17,17,04,202/– का मुकदमा दायर किया गया है क्योंकि Disallowed घंटो को लॉगबुक में Disallowed नहीं किया गया। साथ ही डवाटरिंग मद (अतिरिक्त मद) का भुगतान सक्षम प्राधिकार के बिना स्वीकृति किया गया है जो अनियमित श्रेणी में परिलक्षित होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री महेन्द्र चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत श्री महेन्द्र चौधरी, तत्का0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा को उक्त प्रमाणित आरोप के लिये **"तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक"।** देने का निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री महेन्द्र चौधरी, तत्का0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा को निम्न दंड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है –

**"तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक"।**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।**

**23 फरवरी 2018**

**सं0 22/नि0सि0(वीर0)–07–01/2012–491**––श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वर्ष 2011–12 में कोशी बराज के U/s में प्रस्तावित चैनल एवं वेलमाउथ में जमें सिल्ट का ड्रेजींग कर हटाने का कार्य में बरती गयी अनियमितता के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–872, दिनांक 04.07.14 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की विभाग के स्तर पर समीक्षा की गयी। विभागीय समीक्षोपरांत श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–741, दिनांक 27.03.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

जब आप जल संसाधन विभाग, वीरपुर में मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थापित थे, तब कोशी बराज U/s में प्रस्तावित पायलट चैनल एवं वेलमाउथ में जमें सिल्ट हटाने के कार्य में हुई अनियमितता की जाँच विभागीय निदेश के आलोक में उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त कार्य एकरारनामा सं०–01SBD/2010-11 के शर्त के अनुसार Even विपत्र की जाँच Ocean Engineering Department IIT Madras/ Bombay/ Kharagpur से सत्यापन कराने का प्रावधान था। परन्तु, एकरारनामा शर्तो का अनुपालन नहीं करते हुए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर द्वारा सेक्सनल मेजरमेंट के आधार पर भुगतान किया गया है।

Ocean Engineering Department IIT Madras/ Bombay/ Kharagpur से शर्तो के अनुसार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद भी आपके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जबकि आप सक्षम प्राधिकार थे।

इस प्रकार एकरारनामा शर्त के अनुसार Even विपत्र की जाँच हेतु कार्रवाई नहीं करने के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1060, दिनांक 09.06.16 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री पासवान द्वारा निम्न का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है :–

श्री पासवान का कहना है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर द्वारा एकरारनामा शर्त के अनुसार नामित संगठन को Even विपत्र की जाँच हेतु पत्र लिखा गया। इस संबंध में Ocean Engineering द्वारा Even विपत्र की जाँच हेतु अपने पत्रांक–1556, दिनांक 12.06.11 द्वारा अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल, वीरपुर को उनके स्तर से कार्रवाई करने हेतु पत्र दिया गया। परन्तु उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

आई0आई0टी0 एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसमें मुख्य अभियंता के उपर के विभागीय स्तर के अधिकारी द्वारा Even विपत्र की जाँच हेतु पत्र लिखा जाना चाहिए था जो, उनके स्तर से भी नहीं किया गया। जबकि, मुझे सक्षम प्राधिकार कहकर दोषी प्रतीत माना गया है।

आई0आई0टी0 पूर्व में भी विभाग द्वारा Ocean Engineering Department IIT Madras/ Bombay/ Kharagpur द्वारा Even विपत्र की जाँच हेतु सहमति ली जानी चाहिए थी जो, उनसे सहमति नहीं ली गयी।

वर्षा ऋतु के कारण नदी में अत्यधिक जलश्राव आ जाने के कारण पायलट चैनल को काटकर खोलना भी आवश्यक था। जिसे दिनांक 14.06.11 को पायलट चैनल में नदी के जलश्राव को प्रवाहित करने के लिए काटकर खोल दियज्ञं

अंत में संबंधित अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता को दोषी मानते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध इनके द्वारा किया गया है।

श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के जवाब की विभागीय समीक्षा की गयी। जिनमें मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया :–

कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर के अनुरोध के बावजूद ड्रेजिंग कार्य का Even एवं अंतिम विपत्र की जाँच हेतु निविदा/एकरारनामा की शर्त के अनुसार आई0आई0टी0 संस्थानों के अभियंताओं को प्रतिनियुक्त कराने के लिए कार्रवाई नहीं करने का आरोप इनपे प्रमाणित होता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पासवान आरोपित पदाधिकारी के मामले में द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्का0 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दंड दिया गया –

**(i) पें□ान से 10 (दस) प्रति□ात की कटौती 03 (तीन) वर्श के लिए**

उक्त दंड के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा विभाग में पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। श्री पासवान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

श्री पासवान द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में कार्रवाई सेवानिवृति की तिथि से एक–दो दिन पूर्व होनी चाहिए। उनके सेवानिवृति की तिथि 30.09.12 है जबकि,

विभागीय ज्ञापांक–741, दिनांक 27.03.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में कार्रवाई की गयी है। श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। यद्यपि कार्य के संवेदक मेसर्स धरती ड्रेजिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ दिनांक 15.03.2011 को कार्य का एकरारनामा किया गया, किन्तु दिनांक 26.07.2011 तक कार्य प्रगति में था, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न मापीपुस्त की छायाप्रति से स्पष्ट है।

श्री पासवान के विरूद्ध दिनांक 27.03.15 को प्रपत्र–'क' एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प निर्गत किया गया है जो आरोप की तिथि 26.07.2011 के 4 (चार) वर्ष के अंतर्गत है। इसलिए बिहार पेंशन नियमावली के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही का निर्गत संकल्प विधि सम्मत है।

उक्त के आलोक में श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्का0 मुख्य अभियंता, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्का0 मुख्य अभियंता, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

———————

**16 फरवरी 2018**

**सं० 22 / नि०सि०(मोति0)–08–03 / 2013 / 355**––श्री हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव (आई0डी0–1847), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, वाल्मीकिनगर को नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर, प्रमंडल वाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग करने, स्थानीय सामग्री के प्रयोग के बावजूद भी सामग्री ढुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड की बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद दर के अनुरूप करने आदि वित्तीय अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1777 दिनांक–27.11.2014 द्वारा निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–197 दिनांक 21.01.2015 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है। तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग के जाँच में पाया गया कि स्थानीय सामग्री का उपयोग के बावजूद भी सामग्री ढुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद दर के अनुरूप किया गया।

(1) वे भलीभाँति अवगत थें कि कार्य में स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस तथ्यों का उदघोषण उनके द्वारा पुरे कार्य अवधि में नहीं किया गया, जो कर्तव्यहीनता एवं सहभागिता का घोतक है। मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर द्वारा 17.02.2012, 31.03.2012, 27.04.2012 एवं 09.05.2012 को स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त तथ्यों को उद्धत करते हुए इसे घोर आपत्तिजनक बताया गया है एवं उक्त अनियमित भुगतान में रोक लगाने हेतु मुख्य अभियंता ने पत्रांक–276 दिनांक 21.03.2012 के माध्यम से भुगतान को स्थगित रखने हेतु निदेशित किया गया है। मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर द्वारा अनेक पत्र के माध्यम से निम्न गुणवत्ता के कार्य भुगतान पर रोक सहित स्थानीय निर्माण सामग्री से कार्य का निर्माण लागत संबंधी प्रस्ताव की माँग की गयी है और विशिष्टि जाँच हेतु निदेशित किया गया। पुनः मुख्य अभियंता के पत्रांक–349 दिनांक 23.05.2012 द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद भी संवेदक से कार्य की गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कराने में अक्षम रहें और उच्चाधिकारियों के निदेश का पालन नहीं किया गया। फलतः संवेदक के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की गयी, परन्तु उनके स्तर से कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी एवं वे हो रहे वित्तीय अनियमितता के प्रति सजग नहीं रहे। उनके द्वारा दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति की गयी, जिसके फलस्वरूप सिर्फ सामग्री ढुलाई मद में 24.65 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इससे स्पष्ट है कि उक्त सरकारी राजस्व की क्षति होने में आपके स्तर से भरपुर सहयोग किया गया, जिसके लिए वे प्रथम दृष्टया दोषी है।

(2) कंक्रिट एवं रोड़ के कार्यों मे स्थानीय Singles के उपयोग के कारण कार्यों की गुणवत्ता घटी है। विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराने तथा विशिष्टि के विरूद्ध कार्य चलते रहने देने में उनकी सहभागिता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिसके लिए वे दोषी है।

विभागीय अधिसूचना सं0–487 दिनांक 28.03.2016 द्वारा श्री हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, वाल्मीकिनगर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनके सेवानिवृत (सेवानिवृत तिथि 31.01.2016) होने के कारण बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) में सम्परिवर्तित किया गया तथा दिनांक 31.01.2016 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी (विभागीय जाँच आयुक्त) द्वारा श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री श्रीवास्तव से विभागीय पत्रांक–778 दिनांक 30.05.2017 से द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने पर विभागीय

पत्रांक–1060 दिनांक 03.07.2017 द्वारा स्मारित भी किया गया परन्तु उक्त के पश्चात भी द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर अप्राप्त रहा। दोनों पत्र निबंधित डाक से भेजा गया था, जो वापस नहीं हुआ। अतः यह माना जा सकता है कि दोनों पत्र श्री श्रीवास्तव को प्राप्त हो चुका है, किन्तु जानबुझकर प्रमाणित आरोपों के सन्दर्भ में किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया गया।

नेपाल हितकारी योजना 2009 के अंतर्गत मुख्य पश्चिमी नहर में कराये गये पुनर्स्थापन कार्य की जाँच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से करायी गयी। तकनीकी परीक्षक कोषांग ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्राक्कलन में स्टोन मेटल/चिप्स आदि की ढुलाई शेखपुरा खदान से एवं बालू की ढुलाई कोयलवर से करने का प्रावधान था, किन्तु इसके विपरीत संवेदक द्वारा स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया, जिसकी गुणवत्ता विशिष्टि के अनुरूप नहीं थी। इसके बावजूद भी संवेदक को प्राक्कलन में प्रावधानित मद दर के अनुसार लीड का भुगतान किया गया। ऐसी बात नहीं थी कि स्थानीय सामग्री का उपयोग किये जाने की जानकारी कार्य में संलग्न अभियंताओं को नहीं थी। इस संदर्भ में तत्कालीन मुख्य अभियंता श्री राम पुकार रंजन द्वारा समय–समय पर कार्य के निरीक्षणोपरांत स्थानीय का उपयोग किये जाने की बात उदघाटित करते हुए संबंधितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता रहा। तत्कालीन मुख्य अभियंता का पत्रांक–687 दिनांक 10.05.2012, पत्रांक–557 दिनांक 27.04.2012, पत्रांक–499 दिनांक 09.04.2012, पत्रांक–480 दिनांक 31.03.2012, पत्रांक–479 दिनांक 31.03.2012, पत्रांक–437 दिनांक 30.03.2012, पत्रांक–118 दिनांक 01.03.2012 एवं पत्रांक–96 दिनांक 23.03.2012 द्वारा भेजे गये पत्रों में पुनर्स्थापन कार्य में स्थानीय सामग्री एवं गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग किये जाने का उल्लेख है, जिसकी प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, वाल्मीकिनगर को भी दी गयी थी, किन्तु इसके बावजूद श्री श्रीवास्तव द्वारा किसी प्रकार का कारगर कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार मुख्य अभियंता के द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी पुनर्स्थापन कार्य में स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया जाता रहा एवं संवेदक को प्राक्कलन में प्रावधानित मद दर के अनुसार भुगतान किया जाता रहा। तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग ने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि मुख्य पश्चिमी नहर के अधीन कम से कम 61.62 प्रतिशत स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया गया, जिस योजना में करीब 62 प्रतिशत स्थानीय एवं गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग किया जाय, उस योजना की गुणवत्ता निश्चित रूप से खराब होगी। यही कारण है कि संवेदक द्वारा कराये गये लाईनिंग कार्य ध्वस्त हो गया। इसकी पुष्टि तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा समर्पित पूरक प्रतिवेदन में की गयी।

संचालन पदाधिकारी ने भी आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये बचाव बयान एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर इस आरोप को प्रमाणित पाया है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित है। संवेदक द्वारा गुणवत्ताविहीन कार्य कराया जाता रहा, जिसमें श्री श्रीवास्तव की मौन स्वीकृति प्राप्त थी। संचालन पदाधिकारी ने माना है कि विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने एवं संवेदक को किये गये अनियमित भुगतान की जानकारी श्री हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव को थी, इसके बावजूद भी इन्होंने इसके रोक–थाम के लिए किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया। प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में श्री श्रीवास्तव से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। स्मारित किये जाने के बावजूद भी इनका द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। दोनों पत्र निबंधित डाक से भेजे गये थें। इसलिए यह माना जा सकता है कि दोनों पत्र श्री श्रीवास्तव को प्राप्त हो चुके हैं। पत्र प्राप्ति के बावजूद भी उत्तर नहीं दिया जाना, इस बात को प्रमाणित करता है कि श्री श्रीवास्तव को आरोपों के संदर्भ में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, वाल्मीकिनगर संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया :–

**''पेंशन से 50 (पचास) प्रतिशत की स्थायी रूप से कटौती।''**

उक्त निर्णित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–2653 दिनांक 01.02.2018 के माध्यम से सहमति प्रदान की गयी।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव (आई0डी0–1847), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, वाल्मीकिनगर संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है :–

**''पेंशन से 50 (पचास) प्रतिशत की स्थायी रूप से कटौती।''**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।**

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 20–571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**